बी एण्ड आर
B AND R

Building Nation Since 1920

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023 - 2024

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED

(भारत सरकार का एक उद्यम / A Government of India Enterprise)

105 वर्ष की

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920
उत्कृष्टता राष्ट्र निर्माण में

विषयवस्तु

- **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश** 4
- **कॉर्पोरेट अवलोकन**

कॉर्पोरेट जानकारी 9
निदेशक मंडल 11
मुख्य कार्यपालक 12
विजन मिशन 13
सतत व्यावसायिक प्रथाएं 14
पिछले कुछ वर्षो में 16
उत्कृष्टता की एक सदी 18
अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक 19
संचालन के क्षेत्र 20
हमारे हितधारक 22
प्रमुख ग्राहक वर्ग 23
एक नज़र में वर्ष 24
नए क्षितिज की ओर बढ़ना 25
परियोजना की मुख्य विशेषताएँ और चल रही परियोजनाएँ 26
कार्यक्रम को मुख्य बातें 30

• वैधानिक रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट	33
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	81
कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट	87
सीईओ / सीएफओ प्रमाणन	93
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	93
सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	94

• वित्तीय विवरण

दस साल का सारांश	97
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	98
तुलन पत्र	110
लाभ और हानि का विवरण	112
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	114
नकदी प्रवाह विवरण	115
वित्तीय विवरणों के नोट	118

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

श्री राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय मूल्यवान शेयरधारक

नमस्ते।

जैसा कि हम पिछले वर्ष प्रतिबिंबित करते हैं, मुझे यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ने गतिशील और अक्सर चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के बीच लचीलापन, नवाचार और विकास का प्रदर्शन करना जारी रखा है। हमारा विविध पोर्टफोलियो हमें उद्योग में उतार–चढ़ाव और आर्थिक अनिश्चितताओं का मुकाबला करने में सक्षम बनाता है, जिससे हम अपने ग्राहकों को मूल्य प्रदान करने और अपने सहयोगियों को इंजीनियरिंग चमत्कार बनाने के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आपका अटूट समर्थन हमारी प्रगति में सहायक रहा है और मुझे हमारी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें हमारे प्रदर्शन और रणनीतिक दिशा का विवरण दिया गया है।

> **"यह वर्ष हमारी कंपनी के लिए उल्लेखनीय रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां, रणनीतिक सहयोग और प्रमुख सुधारों का कार्यान्वयन शामिल है, जिससे उद्योग में हमारी स्थिति और मजबूत हुई है।"**

वित्तीय प्रदर्शन

पिछले वर्ष में, हमने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं जो उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। पिछले वर्ष की तुलना में हमारे राजस्व में 21% की वृद्धि हुई और लाभप्रदता दोगुनी हो गई, जो नए अनुबंध हासिल करने की हमारी क्षमता और समय पर और बजट के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अब तक का सर्वोच्च 2023–24

टर्नओवर
₹ 4,014.28 करोड़

लाभप्रदता (पीबीटी)
₹ 101.36 करोड़

इस वर्ष की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक, एक ही परियोजना से 500 करोड़ रुपये से अधिक का बिल बनाकर बेंचमार्क स्थापित करना था। यह मील का पत्थर न केवल बड़े पैमाने की परियोजनाओं को प्रबंधित करने की हमारी क्षमता को उजागर करता है, बल्कि भविष्य में हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसके लिए एक नया मानक भी निर्धारित करता है।

"हमारे वित्तीय परिणाम हमारे व्यापार मॉडल की मजबूती और हमारी टीम के समर्पण को दर्शाते हैं, जिनकी विशेषज्ञता और व्यावसायिकता हमारी सफलता की आधारशिला हैं।"

कर्मचारियों की अपनी भूमिकाओं के प्रति प्रतिबद्धता और उनके अथक प्रयासों ने कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रति कर्मचारी राजस्व ₹ 4.02 करोड़ प्रति कर्मचारी के उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया। सावधानीपूर्वक निधि प्रबंधन के परिणामस्वरूप बैंक उधार पर ब्याज व्यय में कमी आई। कर से पहले हमारा लाभ ₹101.36 करोड़ रहा, जो परिचालन उत्कृष्टता और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। चूंकि कंपनी ने कर के बाद अपना उच्चतम लाभ प्राप्त किया है, इसलिए निदेशक मंडल प्रति शेयर ₹ 4.09 के उच्चतम लाभांश की घोषणा करते हुए प्रसन्न है।

"कंपनी के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के परिणामस्वरूप फंड-आधारित कार्यशील पूंजी सीमा के लिए बाहरी रेटिंग को "ए/स्थिर" से बढ़ाकर "ए/सकारात्मक" कर दिया गया है। यह सकारात्मक परिवर्तन टर्नओवर, लाभप्रदता और अन्य प्रासंगिक अनुपात जैसे प्रमुख वित्तीय संकेतकों में सुधार को दर्शाता है।"

परिचालन प्रदर्शन

बाजार की अस्थिर स्थितियों और निर्माण सामग्री की कीमतों में असामान्य वृद्धि के बावजूद, हमारी अनुकूलनशीलता और नई इंजीनियरिंग और निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने से हमें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली है। कंपनी ने राष्ट्रीय और सामरिक महत्व की कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए हमारी प्रतिष्ठा मजबूत हुई है।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:

- उत्तर मध्य रेलवे के लिए पीएमसी आधार पर ₹ 2221 करोड़ मूल्य की रेल फ्लाईओवर परियोजना
- ₹ 1985 करोड़ के ईपीसी आधार पर पारादीप में कच्चे तेल आयात टर्मिनल परियोजना के साथ-साथ नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना
- एचपीसीएल – राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए बाड़मेर, राजस्थान में ₹ 1509 करोड़ की लागत से सिविल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और स्टोरेज टैंक का कार्य
- ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पीएमसी आधार पर ₹ 1150 करोड़ की लागत से 33 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
- ₹ 1136 करोड़ लागत की आईओसीएल, वडोदरा रिफाइनरी की लुपेच (जे-18) परियोजना।
- आईओसीएल की ₹ 1234 करोड़ की पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों के लिए पीएमसी आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण

इस वर्ष, कंपनी ने रणनीतिक सहयोग के माध्यम से अपनी उपस्थिति और क्षमताओं का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से एक मुख्य आकर्षण मेसर्स एएसटीआईसी, जापान के साथ हमारा तकनीकी सहयोग था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के लिए फ़्लू गैस डिसल्फ़राइज़ेशन (एफजीडी) परियोजनाएँ हासिल की गईं। यह साझेदारी हमारे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में विविधता लाने और हमारी तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय भागीदार के साथ मिलकर, हम न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, बल्कि भारत में अपनी परियोजनाओं में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भी ला रहे हैं।

यह सहयोग उद्योग में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करने और उनके साथ काम करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है और हमें विश्वास है कि यह भविष्य में और अधिक अवसरों के द्वार खोलेगा।

व्यापार विकास

कंपनी ने प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल पर सफलतापूर्वक काबू पाया और अपने मुख्य व्यवसाय खंडों में अपनी बाजार स्थिति को बढ़ाया और साथ ही पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं में विविधीकरण के माध्यम से और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान दिया।

अपनी विभिन्न व्यावसायिक विकास पहलों के माध्यम से हमारी कंपनी ने विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ग्राहकों से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 4158.21 करोड़ के नए ऑर्डर हासिल किए।

पीएमसी कार्यों, ईपीसी अनुबंधों और आइटम दर अनुबंधों के बीच व्यापार मिश्रण को अनुकूलित करते हुए, प्राप्त कुछ प्रमुख अनुबंधों में शामिल हैं:

पर्यावरण संरक्षण

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के लिए ईपीसी आधार पर तकनीकी सहयोग के माध्यम से कोरबा और मारवा थर्मल पावर स्टेशनों पर एफजीडी प्रणाली की स्थापना, जिसकी लागत 1400 करोड़ रुपये है।

औद्योगिक परियोजनाएँ

- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना (पी25)
- नुमालीगढ़ में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की विस्तार परियोजना और पारादीप में कच्चे तेल आयात टर्मिनल।
- गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए उसर की पीडीएच–पीपी परियोजना।

पीएमसी आधार पर बुनियादी ढांचे का विकास

- उत्तराखंड सरकार के लिए मेडिकल कॉलेजों और विद्यालयों का निर्माण
- पूर्वोत्तर में विभिन्न स्थानों पर असम राइफल्स के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कार्य।
- भारतीय रेलवे के लिए विभिन्न परियोजनाएँ

इसके अलावा, हमारे पास लगभग ₹17,500 करोड़ के मजबूत ऑर्डर हैं। परियोजनाओं की यह स्वस्थ पाइपलाइन निरंतर विकास सुनिश्चित करती है और आने वाले वर्षों में निरंतर सफलता के लिए हमें अच्छी स्थिति में रखती है। यह हमारे ग्राहकों द्वारा हम पर रखे गए भरोसे और विश्वास का स्पष्ट संकेत है और हम इन परियोजनाओं को गुणवत्ता और दक्षता के उच्चतम मानकों के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मेक इन इंडिया

केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) और सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से खरीद ने खरीद में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ–साथ ठेकेदारों की नियुक्ति को सक्षम किया है, जबकि गुणवत्ता मानकों और समय–सीमा को लागत–प्रभावी तरीके से पूरा किया है। हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहयोगियों का समर्थन करने से अधिक नवाचार, मजबूत सामुदायिक संबंध, सभी समावेशी विकास हुआ है, जिससे अंततः हमारी कंपनी के समग्र प्रदर्शन में वृद्धि हुई है।

> **वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान GeM के माध्यम से ₹ 382 करोड़ की खरीद होगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना है।**
>
> **सीपीपी पोर्टल के माध्यम से दिए गए अनुबंधों का मूल्य ₹ 3614 करोड़ था।**
>
> **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद लगभग 28% तक पहुंची**

कंपनी की "वोकल फॉर लोकल" पहल ने स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री, उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके अलावा, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने से बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण, तेज़ डिलीवरी समय और मजबूत सामुदायिक संबंध विकसित हुए हैं, जिससे अंततः निर्माण परियोजनाओं के समग्र प्रदर्शन में वृद्धि हुई है।

ईएसजी

कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों को पारदर्शिता, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, व्यावसायिक स्थिरता और व्यावसायिक जिम्मेदारी उपायों के माध्यम से कंपनी के संचालन में एकीकृत किया गया है।

यह हमें एक उभरते विकसित व्यावसायिक परिदृश्य में पनपने और विभिन्न हितधारकों और नियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने, ग्राहकों के मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित सेवाएँ और समाधान प्रदान करने, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में बेहतर स्थिति में रहने में सक्षम बनाता है।

> **हम मानते हैं कि हमारी सफलता सिर्फ वित्तीय संकेतकों से ही नहीं मापी जाती, बल्कि उन समुदायों और पर्यावरण पर हमारे सकारात्मक प्रभाव से भी मापी जाती है जहां हम काम करते हैं।**

जैसे–जैसे हम अपने परिचालनों का विकास और विस्तार करते रहेंगे, हम सतत विकास लक्ष्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेंगे।

हम विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें टिकाऊ निर्माण प्रथाओं को अपनाना, बेहतर सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ ऊर्जा कुशल उपकरणों का उन्नयन, ऊर्जा जल संरक्षण उपाय, अपव्यय में कमी, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री, GRIHA अनुरूप इमारतें और हमारी परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों का एकीकरण शामिल है। एफजीडी प्रणाली सहित हमारी पर्यावरण परियोजनाएँ इस बात का एक

प्रमुख उदाहरण हैं कि हम अपने संचालन में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को कैसे शामिल कर रहे हैं।

इसके अलावा, हम विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से उन समुदायों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनमें हम काम करते हैं। चाहे वह शैक्षिक अवसर प्रदान करना हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना हो, स्वास्थ्य सेवा पहलों का समर्थन करना हो या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना हो, हम समाज को वापस देने और अपने साथी नागरिकों की भलाई में योगदान देने में विश्वास करते हैं।

ब्रिज एण्ड रूफ पिछले कई वर्षों से कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन में 'उत्कृष्ट रेटिंग' प्राप्त कर रहा है।

डिजिटल परिवर्तन

ब्रिज एण्ड रूफ में, हम मानते हैं कि निरंतर सुधार दीर्घकालिक सफलता को बनाए रखने की कुंजी है। इस वर्ष, हमने कंपनी के भीतर पारदर्शिता, प्रक्रियात्मक दक्षता और कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य से कई आईटी उन्नयन लागू किए हैं।

ई–ऑफिस प्रणाली, जिसे आंतरिक रूप से विकसित किया गया है, ने हमारी कंपनी में पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक दक्षता को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे प्रक्रियात्मक देरी कम हुई है, फाइल ट्रैकिंग में सुधार हुआ है, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) की शुरूआत हमारी मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कर्मचारी डेटा के बेहतर प्रबंधन की अनुमति देता है, सूचना तक पहुँच में सुधार करता है और पूरे संगठन में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। यह एक अधिक चुस्त और उत्तरदायी संगठन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की हमारी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

इसके अलावा, हमने ऑनलाइन मूल्यांकन (एपीएआर) प्रणाली शुरू की है, जो प्रदर्शन मूल्यांकन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह प्रणाली न केवल मूल्यांकन में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करती है, बल्कि कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन मीट्रिक में अधिक दृश्यता देकर उन्हें सशक्त भी बनाती है। पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम एक मजबूत, अधिक प्रेरित कार्यबल का निर्माण कर रहे हैं।

ये सुधार हमारे संचालन को आधुनिक बनाने और उन्हें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं। वे एक दूरदर्शी संगठन होने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जो हमारे लोगों और हमारी प्रक्रियाओं दोनों को उच्च मूल्य देता है।

> **"डिजिटल उन्नति और तकनीकी नवाचार वैश्विक रूप से जुड़े और टिकाऊ भविष्य की ओर जाने का मार्ग है।"**

आगे बढ़ना

जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो हम आत्मविश्वास और आशावाद के साथ ऐसा करते हैं। एक सदी से भी अधिक समय में हमने जो नींव रखी है और वर्ष के दौरान जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वे हमें उभरते अवसरों का लाभ उठाने और आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करती हैं।

हमारा ध्यान अपनी मुख्य क्षमताओं को मजबूत करने, अपनी बाजार उपस्थिति का विस्तार करने और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर रहेगा जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा और विकास को गति देगा। हम प्रौद्योगिकी और नवाचार में भी निवेश करना जारी रखेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम उद्योग के रुझानों में सबसे आगे रहें और अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में हों।

मैं इस अवसर पर हमारी सरकार, ग्राहकों, भागीदारों और हितधारकों को उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्रिज एण्ड रूफ में आपका विश्वास ही हमें हर काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। मैं अपने कर्मचारियों के प्रति भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता हमारी सफलता के पीछे असली प्रेरक शक्ति है।

अंत में, मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने पिछले साल साथ मिलकर क्या हासिल किया है और मैं भविष्य की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हूँ। साथ मिलकर, हम अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, नई चुनौतियों का सामना करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिज एंड रूफ इंजीनियरिंग, निर्माण और परियोजना प्रबंधन उद्योग में अग्रणी बना रहे।

शुभकामनाओं सहित

राजेश कुमार सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

कॉर्पोरेट अवलोकन

वार्षिक रिपोर्ट 2023–24

कॉर्पोरेट जानकारी

बैंकर्स

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. इंडियन बैंक
5. आईसीआईसीआई बैंक
6. यस बैंक
7. पंजाब नेशनल बैंक
8. एचडीएफसी बैंक
9. बैंक ऑफ इंडिया
10. एक्सिस बैंक
11. केनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंकड़िया सेंटर, 5वीं मंजिल
2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता 700071
✆ (033) 2217-2108
ईमेल : bridge@bridgeroof.co.in

आंचलिक कार्यालय

दिल्ली:
बी-22,2वीं मंजिल, हिमालय हाउस,
23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
ईमेल: delhi@bridgeroof.co.in

मुंबई:
401-408, कुकरेजा सेंटर, सेक्टर-11
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614
ईमेल: mumbai.mech@bridgeroof.co.in

कोलकाता:
कांकरिया सेंटर, 5वीं मंजिल
2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता 700071
ईमेल : bridge@bridgeroof.co.in

चेन्नई:
626 तीसरी मंजिल, जेवीएल प्लाजा, अन्ना सलाई तेनाम्पेट,
चेन्नई - 600018, तमिलनाडु
ईमेल: Chennai.office@bridgeroof.co.in

भुवनेश्वर:
दूसरी मंजिल, ओसीएचसी कॉम्प्लेक्स , जनपथ,
यूनिट-III, भुवनेश्वर - 751001, ओडिशा
ईमेल: bbsr.office@bridgeroof.co.in

गुवाहाटी:
कार्यालय नंबर 808, 8वीं मंजिल, कामाख्या टॉवर,
जीएस रोड, गुवाहाटी, असम - 781005
ईमेल: bandr.guwahati@bridgeroof.co.in

वैधानिक लेखा परीक्षक

1. मेसर्स रे एंड रे
   चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
2. मेसर्स एल.बी. झा एंड कंपनी
   चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

प्रधान कार्यालय एवं वर्क्स

427/1, ग्रांड ट्रंक रोड,
हावड़ा - 711101
✆ (033) 2666-9131
ईमेल : marketing.howrah@bridgeroof.co.in

क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय

वडोदरा:
18, ताराकुंज, दूसरी मंजिल हरिभक्ति सोसाइटी,
रेस कोर्स रोड, वडोदरा - 390007, गुजरात
ईमेल: baroda@bridgeroof.co.in

रांची:
पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 309/सी, अशोक नगर,
रांची - 834002, झारखंड
ईमेल: Bandr.ranchi@bridgeroof.co.i

विशाखापत्तनम:
फ्रेंको ग्रैंड एमआईजी- 71, सामंतनगर, गजुवका
विशाखापत्तनम-530044, आंध्र प्रदेश
ईमेल: Bandr.vizag@bridgeroof.co.in

प्रयागराज:
26-एचआईजी, पहली मंजिल, देवप्रयागम कॉलोनी, झलवा,
प्रयागराज- 211012
ईमेल: bandr.prayagraj@bridgeroof.co.in

रायपुर:
यूनिट नंबर-6057, 6वीं मंजिल, करेंसी टावर,
वीआईपी रोड, विशाल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

हमारी उपस्थिति

कॉर्पोरेट कार्यालय कोलकाता | आंचलिक/क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय | परियोजना स्थल, 105

निदेशक मंडल

श्री राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पूर्णकालिक निदेशक

श्री रवि कुमार
निदेशक (परियोजना प्रबंधन)

श्री नव रत्न गुप्ता
निदेशक (वित्त)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. रेणुका मिश्रा, आईईएस

श्री आदित्य कुमार घोष

गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री एस. कृष्ण कुमार

श्री आशीष चतुर्वेदी

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती चंद्राणी गुप्ता

प्रमुख अधिकारी

श्री राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

श्री तपस साहा
समूह महाप्रबंधक (वर्क्स)

श्री गुरमुख सिंह
समूह महाप्रबंधक (परियोजनाएं)

श्री देबाशीष दास
समूह महाप्रबंधक/प्रमुख
(एसबीयू–I)

श्री चंचल कु. मुखर्जी
समूह महाप्रबंधक/
प्रमुख (एसबीयू–II)

श्री संजय भट्टाचार्य
समूह महाप्रबंधक
(इंजीनियरिंग)

श्रीमती नम्रता मेहता
महाप्रबंधक
(कॉर्पोरेट सेवाएँ)

श्रीमती राखी कर
कंपनी सचिव

दृष्टि

लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करके और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करके इंजीनियरिंग, निर्माण और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनना।

उद्देश्य

निर्माण उद्योग में उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुरक्षा के साथ समय पर पूरा होने और परियोजनाओं के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं के माध्यम से उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करना, जिससे ग्राहकों की सबसे पसंदीदा पसंद बन जाना।

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाएँ

आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली: बहु अनुशासनात्मक	**आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली: विनिर्माण**	**आईएसओ 45001:2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली**

आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली	आईएसओ 50001:2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली	आईएसओ 27001:2022 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

पिछले कुछ वर्षों में

1920

निगमित निकाय
बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी

1972
CPSE

राष्ट्रीयकृत
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इंडो–बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड द्वारा बामर लॉरी का अधिग्रहण

1978
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

एमओपीएनजी
सीधे इंडो–बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत

1987
बीवाईएन
BYN

बीवाईएनएल डी एच आई, एमओइइच एण्ड पिइ
भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारत यंत्र निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी

2008

डी एच आई, एमओइइच एण्ड पिइ

भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन

MINI-RATNA

2010

मिनीरत्न

मिनीरत्न कंपनी – श्रेणी–I का दर्जा

2020

शताब्दी वर्ष

राष्ट्र की सेवा में 100 वर्ष

बी एण्ड आर
B AND R

2021

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF
HEAVY INDUSTRIES

सीधे भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में

उत्कृष्टता की एक शताब्दी

1920
ईस्ट इंडियन रेलवे के लिए लोहे का काम, लखनऊ

1931
रेलवे पुल पर उत्कीर्ण

1956
कोक ओवन बैटरी, दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए गैस संग्रहण मुख्य

1968
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए ओबरा में 3X200 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन

कार्यशाला

चाय बागानों, कोयला खदानों और रेलवे के लिए संरचनात्मक निर्माण एजेंसी के रूप में हावड़ा वर्कशॉप से काम करना शुरू किया

रेलवे

कंपनी के वर्कशॉप में निर्मित रेलवे पुल और वैगन

संरचनात्मक

तीस के दशक के मध्य तक, टिस्को और भारी उपकरण निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस और गैस क्लीनिंग प्लांट जैसे अन्य क्षेत्रों में कदम रखा।

सिविल

तेल रिफाइनरियों, इस्पात, ताप विद्युत, उर्वरक परियोजनाओं सहित विभिन्न उद्योगों में सिविल निर्माण

1979
मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के लिए बॉय फ्लोटिंग रूफ क्रूड ऑयल टैंक

1981
कोलकाता में 1,20,000 क्षमता वाला साल्ट लेक स्टेडियम

1988
ओएनजीसी जीजीएस–II बालोल में उत्पाद और बाथ सेपरेटर

2014
रायगडा, ओडिशा में बेली टाइप यूनिट ब्रिज

यांत्रिक

तेल डिपो, रिफ़ाइनरी और टैंक फ़ार्म। 76 मीटर व्यास के टैंकों का डिज़ाइन और निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी

आधारभूत संरचना

जल आपूर्ति प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, स्टेडियम और खेल परिसर में बुनियादी ढांचे का विकास

ईपीसी

डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निरीक्षण, निर्माण, स्थापना, कमीशनिंग और ग्राहक को सिस्टम सौंपना

पीएमसी

अवधारणा से कमीशनिंग तक परियोजना प्रबंधन परामर्श

अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक

1

परियोजना की संकल्पना

- ग्राहकों की जरूरतों और परियोजना के उद्देश्यों को समझना।
- तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करना।

2

विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन

- विस्तृत इंजीनियरिंग ड्राइंग और विनिर्देश बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रणालियाँ सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करें।

3

खरीद प्रबंधन

- गुणवत्ता वाले आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और चयन करना।
- कच्चे माल और उपकरणों की खरीद करके इष्टतम सामग्री सोर्सिंग।

4

निर्माण प्रबंधन

- ऊर्जा कुशल उपकरणों के साथ टिकाऊ निर्माण विधियाँ।
- निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना।

5

परियोजना प्रबंधन

- परियोजना समयसीमा का पालन।
- व्ययों का प्रभावी प्रबंधन।

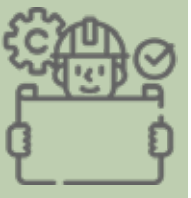

6

परीक्षण और कमीशनिंग

- कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण आयोजित करना।
- संचालन के लिए तैयार परियोजना को ग्राहक तक पहुँचाना।

संचालन के क्षेत्र

260+
तेल रिफाइनरी/टर्मिनल, पेट्रोकेमिकल, गैस, एलएनजी, बायो-रिफाइनरी परियोजनाएं

145+
तापीय, परमाणु, सौर, जलविद्युत, पवन सहित विद्युत परियोजनाएं

120+
स्टील, एल्युमिनियम, रसायन, उर्वरक, सीमेंट परियोजनाएं

तेल

गैस

जैव रिफाइनरी

ऊष्मा विद्युत

परमाणु शक्ति

सौर

हाइड्रो

इस्पात

एल्युमिनियम

रासायनिक

उर्वरक

सीमेंट

300+
बुनियादी ढांचा परियोजनाएं स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक आवास, बंदरगाह, पेयजल

100+
रेलवे परियोजनाएँ
स्टेशन विकास, रेल संपर्क और पुल

1000+
सीमावर्ती क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेली ब्रिज

स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना

शैक्षिक संस्थान

पत्तन, बंदरगाह और जेटी

पेयजल प्रणालियाँ

रेलवे एवं सड़क पुल

स्टेशन विकास

सिंचाई परियोजनाएं

सड़कें एवं राजमार्ग

हवाई अड्डा टर्मिनल

बैराज और बांध

बेली ब्रिज

ट्रीटमेंट प्लांट

हमारे हितधारक

ग्राहक गण
सरकार
व्यावसायिक सहयोगी
कर्मचारी
स्थानीय समुदाय
निवेशक गण
वैधानिक प्राधिकरण
बी एण्ड आर
B AND R

प्रमुख ग्राहक वर्ग

बुनियादी ढांचे का विकास औद्योगिक क्षेत्र

वर्ष पर एक नज़र

वित्तीय	कुल आय	₹	4,014.28	करोड़
	ईबीआईटीडीए	₹	191.41	करोड़
	पीबीटी	₹	101.36	करोड़
	नई संपत्ति	₹	490.51	करोड़
	ईपीएस	₹	13.62	
संचालन	हाथ में ऑर्डर	₹	13,250 करोड़	
	चालू अनुबंध		142	
	परियोजना स्थान		105	
सामाजिक	कुल कर्मचारी		971	
	प्रति कर्मचारी राजस्व	₹	4.02 करोड़	
	ग्राहक		63	
	बिजनेस एसोसिएट्स		7000+	
पर्यावरणीय	बिजली संयंत्रों में एफजीडी प्रणाली			
	सौर ऊर्जा			
	जैव–रिफाइनरियाँ			
	पवन ऊर्जा			

नये क्षितिज की ओर

कुल आय
(₹ करोड़ में)

↗ 21%

₹ 4,014.29 करोड़.

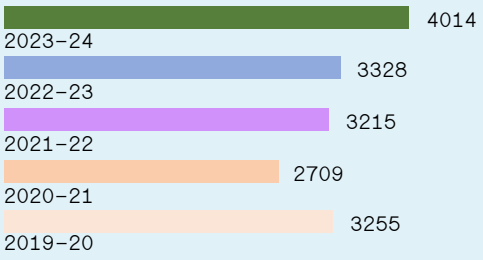

इविआइडिए
(₹ करोड़ में)

↗ 47%

₹ 191.41 करोड़.

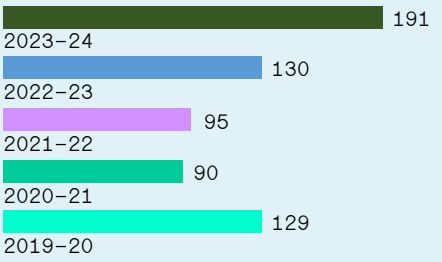

₹ 490.50 Cr.

कर पूर्व लाभ
(₹ करोड़ में)

↗ 79%

₹ 101.36 करोड़.

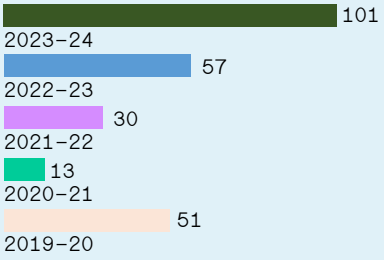

निवल मूल्य
(₹ करोड़ में)

↗ 14%

₹ 490.50 करोड़.

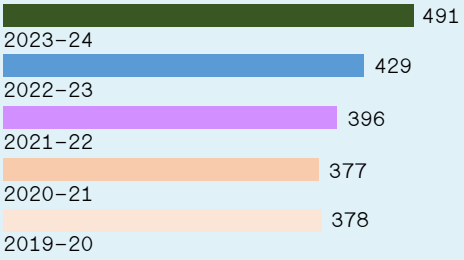

प्रति शेयर आय
(%)

↗ 83%

₹ 13.62 करोड़.

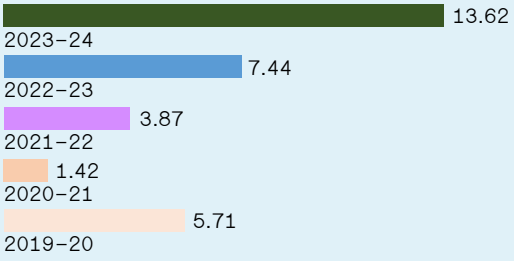

इक्विटी पर रिटर्न
(%)

↗ 64%

₹ 16.29 %

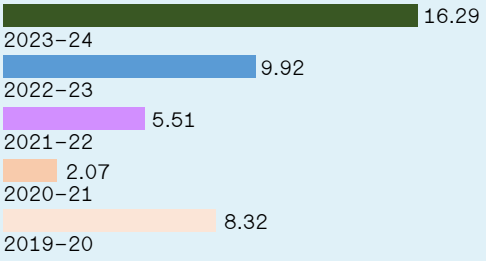

वित्त वर्ष 2020–21 और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कोविड के कारण प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

पीडीएच/पीपी परियोजना गेल (इंडिया) लिमिटेड, उसर, महाराष्ट्र में भारत का सबसे ऊंचा उत्पाद विभाजक कॉलम

- 126 मीटर ऊंचा स्तंभ, जिसका वजन 1600 मीट्रिक टन है।
- उच्च ग्रेड के प्रोपलीन के लिए बेहतर आसवन।
- भारत में पहली बार प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन (पीडीएच) इकाई स्थापित की जा रही है, जिसके बाद डाउनस्ट्रीम पॉलीप्रोपलीन (पीपी) इकाई स्थापित की जाएगी।
- 1600 मीट्रिक टन क्रॉलर क्रेन और 650 मीट्रिक टन टेलिंग क्रेन का उपयोग करके निर्माण कार्य। निर्धारित समय से पहले 4 चरणों में पूरा किया गया।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड विस्तार परियोजना 3.0 एमएमटीपीए से 9.0 एमएमटीपीए तक – नुमालीगढ़, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी – ईपीसी आधार पर पारादीप बंदरगाह, ओडिशा में कच्चा तेल आयात टर्मिनल

- 7000 घनमीटर की एकल नींव जिसमें 2300 घनमीटर की सिंगल पोर, तकनीकी संरचनाओं के लिए +18 मीटर स्तर पर 2.5 मीटर डेक स्लैब के साथ टेबल टॉप नींव।
- एचआरपीटीयू और पीएफसीसी इकाइयाँ
  - कॉलम, वेसल्स, रोटरी उपकरण सहित भारी उपकरण निर्माण
  - संरचनात्मक स्टीलवर्क, पाइपिंग

- एलएसटीके आधार पर परियोजना मूल्य ₹ 1150 करोड़
- 10 नग 60,000 घनमीटर क्षमता वाले कच्चे तेल भंडारण टैंक।
- एल 400 मीट्रिक टन वजनी टैंक की डबल डेक फ्लोटिंग रूफ संरचना हाइड्रोलिक जैकिंग विधि द्वारा बनाई गई, टैंक को पानी से भरने के बजाय पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए, 173 दिनों के अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड समय में एक टैंक को उठाने और पूरा करने में लगभग 8 घंटे लगे।

भुवनेश्वर के बारामुंडा में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) और ईपीसी आधार पर खंडगिरी में बस डिपो, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण, ओडिशा सरकार,

- अंतरराज्यीय और अंतरशहरी बस संचालन के लिए विश्व स्तरीय पारगमन अवसंरचना
- 15.5 एकड़ में फैला हुआ
- लगभग 1,200 बसें प्रतिदिन संचालित होती हैं
  - अंतरराज्यीय बस के लिए 44 सक्रिय बस बे
  - सिटी बस सेवाओं के लिए 5 बस बे
  - 111 बसों के लिए खाली पार्किंग स्थान।
- सुविधाएँ बच्चों के अनुकूल हैं और सार्वभौमिक पहुँच दिशा–निर्देशों का पालन करती हैं।
- एकीकृत टर्मिनल में वाणिज्यिक कार्यालय स्थान, खुदरा स्थान, बहु–स्तरीय कार पार्किंग की सुविधा है
- सौर पैनलों सहित गृह (जीआरआईएचए) अनुरूप इमारत।

केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पीएमसी आधार पर हरिद्वार में सरकारी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार

अस्पताल भवन (430 बिस्तर)

शैक्षणिक ब्लॉक

प्रमुख चल रही परियोजनाएँ

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज मंडल के लिए पीएमसी आधार पर रेल फ्लाईओवर परियोजना का क्रियान्वयन
आरएफओ–1: अलीगढ़–दाउद खान तीसरी लाइन और दाउद खान में आरएफओ
आरएफओ–2: इलाहाबाद–बुमरौली चौथी लाइन, सूबेदारगंज में आरएफओ के साथ
आरएफओ–4: अलीगढ़ में आरएफओ

आरएफओ–1

आरएफओ–2

एचपीसीएल – राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए सिविल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, पाइपिंग और स्टोरेज टैंक का कार्य, बाड़मेर, राजस्थान

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वडोदरा रिफाइनरी, गुजरात में लूपेच (जे–18) परियोजना में इंटरकनेक्टिंग पाइप रैक, सिविल, स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल कार्य

जनजातीय कार्य मंत्रालय के जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी के तहत ओडिशा में 17, झारखंड में 15, पश्चिम बंगाल में 01 पीएमसी आधार पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण

तंगरपल्ली (ओडिशा)
स्कूल भवन

सुबदेगा (ओडिशा) गर्ल्स हॉस्टल

मसलिया (झारखंड)
स्कूल भवन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पीएमएसएसवाई सहित विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सरकारों के लिए पीएमसी आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण

हरियाणा सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए कुटैल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
(आवासीय और संस्थागत ब्लॉकों के साथ 730 बिस्तरों वाला अस्पताल)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा पारस थर्मल पावर स्टेशन में 2x250 मेगावाट क्षमता वाली पारस यूनिट 3 और 4 के लिए ईपीसी आधार पर फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली

चिमनी के साथ फ्लू

- पर्यावरण संरक्षण परियोजना
- ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन में कमी लाना
- गीला चूना पत्थर एफजीडी प्रणाली
- फ्लू गैस में सल्फर की मात्रा 90% से अधिक कम हो जाएगी

कार्यक्रम की मुख्य बातें

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार सिंह को नई दिल्ली में आयोजित पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव में उद्योग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 'पीएसयू समर्पण पुरस्कार' 2024 से सम्मानित किया गया।

XIII सार्वजनिक उपक्रम उत्कृष्टता पुरस्कार

9 वें पीएसयू गवर्नेंस अवार्ड्स में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लीडरशिप अवार्ड

16 जनवरी, 2024 को हावड़ा वर्क्स में कंपनी का 105 वां स्थापना दिवस मनाया गया।

श्री राजेश कुमार सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिज एण्ड रूफ ने कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, कोलकाता में निदेशक (परियोजना प्रबंधक), निदेशक (वित्त), मुख्य सतर्कता अधिकारी और ब्रिज एण्ड रूफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई।

ब्रिज एण्ड रूफ ने स्वच्छ पर्यावरण के लिए सतत प्रयासों में कदम बढ़ाया: एएसटीआईसी पर्यावरण इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (जापान) के साथ तकनीकी सहयोग में ब्रिज एण्ड रूफ ने मारवा और कोरबा में एफजीडी कार्यों में सफलतापूर्वक जीत हासिल की है।

हमारे बीएसएफ रायगंज परियोजना (51 आवासीय क्वार्टर) का उद्घाटन 09 मई, 2023 को श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री – भारत सरकार द्वारा वर्चुअली किया गया।

ब्रिज एण्ड रूफ ने महान कवि रवींद्र नाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 मई, 2023 को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, कोलकाता में रवींद्र जयंती मनाई।

सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं तथा अन्य सीपीएसई द्वारा आयोजित 33 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिज एण्ड रूफ की भागीदारी।

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

वैधानिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

सम्मानित शेयरधारक,

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के कामकाज पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। यह रिपोर्ट 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रदर्शन और वित्तीय मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

1.0 वित्तीय मुख्य बातें:

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 4014.28 करोड़ रुपये की अब तक की सर्वाधिक कुल आय हासिल की है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 3328.35 करोड़ रुपये थी, जो लगभग 20.61% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के परिचालन से राजस्व में 20.79% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्त वर्ष 2022–23 में 3315.38 करोड़ रुपये की तुलना में 4004.57 करोड़ रुपये है। इस वृद्धि का श्रेय परियोजनाओं के कुशल निष्पादन को दिया जा सकता है।

लाभप्रदता के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 101.36 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2022–23 में 56.65 करोड़ रुपये की तुलना में 44.71 करोड़ रुपये की प्रभावशाली वृद्धि है। इसी तरह, कर पश्चात लाभ (पीएटी) में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023–24 में 74.92 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो वित्त वर्ष 2022–23 में 40.90 करोड़ रुपये से 83.17% की वृद्धि है।

आपकी कंपनी की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2022–23 में 429.06 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 490.51 करोड़ रुपये हो गई है।

अ) परिचालन परिणाम :

पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े करोड़ ₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष: 2023–24	वित्तीय वर्ष: 2022–23
कुल आय	4014.28	3328.35
सकल मार्जिन	191.41	130.28
वित्त व्यय	78.18	61.33
मूल्यह्रास	11.87	12.30
कर से पूर्व लाभ	101.36	56.65
कर व्यय	26.44	15.75
कर के पश्चाद लाभ	74.92	40.90
लाभांश	22.49	12.32

आ) लाभांश:

आपकी कंपनी के पास लाभांश भुगतान का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड है। वित्त वर्ष 2023–24 में, निदेशक मंडल ने 10/– रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 4.09 रुपये (पिछले साल 2.24 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) के लाभांश की घोषणा की। यह राशि लगभग 22.49 करोड़ रुपये है, जिसे यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में मंजूरी मिल जाती है, तो उन सभी इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनका नाम 13 सितंबर 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है। यह वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कर–पश्चात लाभ का 30% दर्शाता है।

इ) आरक्षित निधि में स्थानांतरण:

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित न करने का निर्णय लिया है।

ई) शेयर पूंजी :

31 मार्च, 2024 तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 60 करोड़ थी, जिसमें ₹10/– अंकित मूल्य के 6,00,00,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के प्रमोटर यानी भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 99.35% थी। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की चुकता पूंजी 54.99 करोड़ रुपये थी, जिसमें 10/– रुपये प्रति शेयर के 5,49,87,155 इक्विटी शेयर शामिल थे, जिनमें से 5,46,27,155 इक्विटी शेयर, जो कुल चुकता पूंजी का 99.35% है, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के पास हैं।

उ) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में शेयरों का हस्तांतरण :

जिन शेयरधारकों के लाभांश लगातार सात वर्षों तक लाभांश खातों में भुगतान नही किए गए थे, उनके शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2.0 वर्ष के दौरान घटित प्रमुख घटनाएँ

अ) कंपनी मामलों की स्थिति:

कंपनी द्वारा की गई निर्माण गतिविधियों में तेजी आई।

हमारी सौ साल पुरानी कंपनी के लचीलेपन के साथ, हमने सावधानीपूर्वक योजना, सख्त बजट और नियंत्रण, इष्टतम संसाधन का उपयोग और अत्यधिक वित्तीय विवेक का प्रदर्शन करते हुए परियोजनाओं को क्रियान्वित किया। ठोस प्रयासों और समर्पित टीम वर्क के परिणाम स्वरूप कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 4014.28 करोड़ रुपाय की आय हासिल की।

आ) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, पश्चिम बगांल सरकार के लिए इको–पार्क, कोलकाता में सोलर डोम।

इ) वर्ष के अंत से लेकर रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों:

रिपोर्ट की तिथि तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान और उसके बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

ई) विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने ₹ शून्य करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 7.92 करोड़ रहा।

उ) वित्तीय विवरण:

कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी दे दी है।

3.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण:

अ) निष्पादन :

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 4014.28 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक कारोबार हासिल किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 3328.35 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया गया था। कर से पहले लाभ (पीबीटी) पिछले वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 56.65 करोड़ रुपये की तुलना में 101.36 करोड़ रुपये रहा।

परियोजना प्रभाग:

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों में किए गए कार्य का मूल्य 4004.57 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वर्ष यह 3315.38 करोड़ रुपये था। वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक पूरी की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं:

बीपीसीएल कोचि रिफाइनरी में एक्रिलेट यूनिट

परियोजनाओं का विवरण

ग्राहक	विवरण	स्थान
रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड.	तेलंगाना के रामागुंडम में रामागुंडम उर्वरक परिसर, आरएफसीएल के पुनरुद्धार के लिए औद्योगिक भवन और प्रक्रिया इकाइयों के समग्र कार्यों का नवीनीकरण।	रामागुंडम तेलंगाना
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वाइजग, आंध्र प्रदेश में विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी) के लिए टैंकेज और संबद्ध सिविल कार्य (भाग–बी)।	वाइजग आंध्र प्रदेश
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर कृषि, बागवानी और वानिकी, मत्स्य पालन के 8 महाविद्यालयों का निर्माण।	विभिन्न स्थान
ओडिशा निर्माण सौधा, ओडिशा सरकार	सरदार वल्लभभाई पटेल स्नातकोत्तर बाल चिकित्सा संस्थान (एसवीपीपीजीआईपी), शिशु भवन, कटक, ओडिशा में मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स और पीजी छात्र के लिये छात्रावास का निर्माण।	कटक ओडिशा
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	आईआईटी खड़गपुर में डायमंड जुबली कॉम्प्लेक्स के सीआरएफ/नैनो और लाइफ साइंसेज भवनों का निर्माण	खड़गपुर पश्चिम बंगाल
ऑयल इंडिया लिमिटेड	यूजीपीएस–II परियोजना के अंतर्गत मदारीहाट, सोनारपुर, डुमर और बरौनी में नाहरकटिया–बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन के बरौनी–बोंगाईगांव–गुवाहाटी सेक्टर की पंपिंग क्षमता बढ़ाने के लिए समग्र कार्य (भाग–बी)	मदारीहाट एवं अन्य, पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल सरकार	इको–पार्क, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में सोलर डोम का निर्माण, जिसमें एकीकृत सौर पीवी संयंत्र का डिजाइन, इंजीनियरिंग, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है।	कोलकाता पश्चिम बंगाल
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर टर्मिनल मे हाइड्रोकार्बन उत्पाद और जल भंडारण के लिए टैंकेज कार्य।	कानपुर उत्तर प्रदेश
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के लिए मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2X660 मेगावाट), मेजा, उत्तर प्रदेश में जल पी–ट्रीटमेट प्लांट।	मेजा उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार	पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड के लिए कोलकाता में कार्यालय भवन का निर्माण।	कोलकाता पश्चिम बंगाल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	सेल, आईआईएससीओ के लिए बीओएफ गैस होल्डर और बैकिंग स्ट्रिप्स का निर्माण, फैब्रिकेशन, परीक्षण, कमीशनिंग।	बर्नपुर, पश्चिम बंगाल
बीआरओ, भारतीय सेना, पीडब्ल्यूडी – हिमाचल प्रदेश, पीडब्ल्यूडी– अरुणाचल प्रदेश	भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लम्बाई और चौड़ाई के बेली टाइप यूनिट ब्रिज / बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण, आपूर्ति, निरीक्षण और परिवहन।	भारत में विभिन्न स्थान

आ) ऑर्डर बुकिंग की स्थिति:

सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य के बावजूद, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ग्राहकों से 4158.21 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुकिंग दर्ज की है।

वर्ष के दौरान बुक किए गए प्रमुख ऑर्डर:

ग्राहक	विवरण	स्थान
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	एबीवी थर्मल पावर स्टेशन, मारवा और हसदेव थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) और सहायक प्रणाली।	कोरबा और मारवा छत्तीसगढ़
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पार्ट–बी एमएस ब्लॉक के लिए सिविल, स्ट्रक्चरल, पाइपिंग और इलेक्ट्रिकल कार्य।	पानीपत हरियाणा
	पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना (पी25) के लिए उपयोगिताओं और ऑफसाइटों (भाग– ए और बी) के लिए समग्र कार्य।	
	पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना (पी25) के लिए इकाइयों (एवीयू, सल्फर ब्लॉक, पीआरयू और कॉमन एमयूजी कंप्रेसर यूनिट) (भाग ए, बी और सी) के लिए समग्र कार्य।	
	जेएनपीटी टर्मिनल मे टैंक की नींव और संबद्ध कार्यों सहित माइल्ड स्टील वर्टिकल स्टोरेज टैंक (आईएफआरवीटी और सीआरवीटी) का फैब्रिकेशन, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	नवी मुंबई महाराष्ट्र
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	एसएमटी संवर्धन परियोजना के लिए समग्र कार्य।	सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
	पीएफसीसी यूनिट – एनआरईपी (ग्रुप–बी) के लिए स्ट्रक्चरल स्टील की आपूर्ति, फैब्रिकेशन और स्थापना, पाइपिंग और उपकरण स्थापना, पेंटिंग और इन्सुलेशन कार्य।	नुमालीगढ़ असम
	नुमालीगढ़ में आईपीपीएस 3 और प्रप्ति टर्मिनल (आरटी) के लिए समग्र कार्य (भाग–सी)।	गुवाहाटी असम
	सीओआईटी और डिस्पैच टर्मिनल, पारादीप के लिए समग्र कार्य।	पारादीप, ओडिशा
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	पीडीएच–पीपी परियोजना के लिए पीडीएच इकाई के लिए समग्र कार्य।	ऊसर महाराष्ट्र
	गेल उसर पीडीएच–पीपी परियोजना के लिए भवनों का निर्माण।	
	वाराणसी, पटना, रांची, पूर्वी सिंहभूम, कटक और खुर्दा (भुवनेश्वर) में सिटी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)।	विभिन्न स्थान
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जेएनपीटी जेट्टी से बीपीसीएल उरण टर्मिनल तक कोल्ड इंसुलेटेड पाइपलाइन के लिए मैकेनिकल और संबद्ध सुविधाएं कार्य।	उरण महाराष्ट्र
	एजी फ्लोटिंग रूफ, कोन रूफ (फिक्स्ड टाइप) – यूजी टैंक का निर्माण।	जम्मू, जम्मू और कश्मीर
	जम्मू सीयूएफ में भवन, शेड, टैंक डाइक और अन्य संबद्ध कार्यों का निर्माण।	

ग्राहक	विवरण	स्थान
उत्तराखंड सरकार	दून मेडिकल कॉलेज में छात्रावासों और आवासों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)।	देहरादून उत्तराखंड
	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)।	बागेश्वर उत्तराखंड
	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)।	उधम सिंह नगर, उत्तराखंड
असम राइफल्स	सीओएमडी इकाइयों सहित कोहिमा, चिस्वेमा, काशीरामबस्ती, जोरहाट में आवासीय भवन के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं में नए बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)।	असम और नागालैंड में विभिन्न स्थान
भारतीय खेल प्राधिकरण	राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)	हमीरपुर हिमाचल प्रदेश
विशाखापत्तनम नगर निगम	जीवीएमसी में 7 वर्ष की अवधि के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग, विभिन्न वाटों की आधुनिक लाइटिंग का संचालन एवं रखरखाव तथा सीसीएमएस सहित नई लाइटों की स्थापना एवं रखरखाव।	विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश
भारतीय रेल	पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल के कोडरमा, पहाड़पुर, कतरासगढ़, हजारीबाग, चोपन, रेणुकूट, नगरऊंटारी, गढ़वा टाउन और चंद्रपुरा स्टेशनों पर कंपनी के हावड़ा वर्कशॉप द्वारा फुट ओवर ब्रिज की आपूर्ति, निर्माण और परिवहन।	झारखंड के विभिन्न स्थान
बीआरओ, पीडब्ल्यूडी – हिमाचल प्रदेश, पीडब्ल्यूडी – अरुणाचल प्रदेश, भारतीय सेना	कंपनी के हावड़ा वर्कशॉप द्वारा विभिन्न स्पैन के बेली टाइप यूनिट ब्रिज / बेली सस्पेंशन ब्रिज का विनिर्माण, फैब्रिकेशन, आपूर्ति, निरीक्षण और परिवहन।	भारत में विभिन्न स्थान

इ) बाह्य वातावरण:

उद्योग के कुछ क्षेत्रों में ट्रेंडिंग ग्रोथ की कैप्चर करने के उद्देश्य से, हम आने वाले वर्षों में उद्योग की मूलभूत विशेषताओं में होने वाले बड़े बदलावों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा फोकस क्षेत्र बन गया है और यह बहुत तेज़ गति से बढ़ने के लिए अग्रसर है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) का बजट आवंटन मुख्य रूप से निम्नानुसार है:

- 50% इन्फ्रा के लिए (यानी लगभग 1100 बिलियन डॉलर),
- 28% उद्योग – बिजली, तेल और गैस और इस्पात के लिए (यानी लगभग 620 बिलियन डॉलर),
- 11.53% रेलवे के लिए (यानी लगभग 250 बिलियन डॉलर)।

भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में 2024–2029 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान 9.57% की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से वृद्धि होने का अनुमान है।

सड़क और राजमार्ग, रेलवे, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, मेट्रो रेल सहित शहरी सार्वजनिक परिवहन से जुड़े अवसंरचना क्षेत्र में प्रमुख निवेश सरकार द्वारा ईपीसी अनुबंधों या पीपीपी अनुबंधों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी), यूरोपीय निवेश बैंक (इआइबी), जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआइसिए) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निवेश, सरकार द्वारा

एफडीआइ नीति को प्रोत्साहित करने के कारण हो रहे हैं, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति आदि के तहत ऐसी परियोजनाओं के लिए हो रहा हौ।

कंपनी ऐसे जीवंत व्यावसायिक वातावरण का प्रभावी ढंग से लाभ उठाते हुए अपने कारोबार के विस्तार की संभावना तलाश रही है।

आगामी परियोजनाओं पर भावी व्यवसाय का दृष्टिकोण

कंपनी अखिल भारतीय स्तर पर बहु–विषयक औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल है। 500 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाली छोटी कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, कम परिचालन लागत के साथ; कंपनी निर्माण उद्योग में अन्य सीपीएसई और प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा वाले व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

कंपनी ने तेल और गैस क्षेत्र, ताप विद्युत, खनन, जल विद्युत, पंप भंडारण परियोजनाओं, हरित ऊर्जा (सौर, पवन या रासायनिक से ऊर्जा) परियोजनाओं, शैक्षिक स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास, इस्पात संयंत्रों, एल्युमीनियम संयंत्रों: बुनियादी स्तर, आधुनिकीकरण और विस्तार में प्रमुख व्यावसायिक अवसरों की पहचान की है।

उच्च मूल्य का अनुबंध प्राप्त करने के लिए कंपनी को प्रौद्योगिकी प्रदाताओं / इंजीनियरिंग सलाहकारों और वास्तुकला फर्मों के साथ सहयोग करना होगा, तथा हितधारकों के प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, व्यापार और प्रौद्योगिकी के साझा जोखिमों के साथ एक संघ के रूप में बोलियों में भाग लेने की आवश्यकता है।

कंपनी ने पहले ही ऐसी प्रौद्योगिकी प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता कर लिया है और थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन पैकेज को क्रियान्वित कर रही है और प्रौद्योगिकी प्रमुख कंपनियों के साथ सहयोग करने की इसी तरह की पद्धति के साथ अन्य क्षेत्रों में भी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का इरादा रखती है। कंपनी प्रौद्योगिकी भागीदारों और इंजीनियरिंग सलाहकारों के ऐसे सहयोग के गठन मैं और तेजी ला रही है, ताकि इस खंड में उछाल पर ईपीसी व्यावसाय को आगे बढ़ाया जा सके।

कंपनी ने कई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परियोजनाएं, आवास, शैक्षिक बुनियादी ढांचे, पुल, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तय अनुबंध के आधार पर पुरा किया हैं और क्रियान्वित कर रही है, तथा सरकार की ओर से फंड प्रबंधन सहित अवधारणा से कमीशनिंग के आधार पर परियोजनाओं को संभाल रही है।

कंपनी ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन परामर्श में भी प्रवेश किया है।

ई) विविधीकरण:

कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश रही है और इस उभरते बाजार में सरकारी निवेश को हासिल करने तथा सतत विकास हासिल करने के लिए अधिकतम सीमा तक व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने की उम्मीद करती है:

- पम्प स्टोरेज परियोजनाएं।
- जल विद्युत परियोजनाएं।
- मेट्रो रेलवे अवसंरचना।
- शहरी गैस वितरण परियोजनाएं।
- प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स आदि का बुनियादी ढांचा।
- सीपीएसई और अन्य राज्य स्वामित्व वाली संस्थाओं के कार्यालय भवन और बुनियादी ढांचा।
- रेलवे स्टेशन का विकास।
- बांधों और बिजली घर का निर्माण।
- सूक्ष्म सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई।
- सिंचाई परियोजनाएँ: वितरण प्रणाली सहित नहर का पुनर्वास और नवीनीकरण।
- हवाई अड्डों के लिए नए या अतिरिक्त टर्मिनल भवन।
- पेयजल आपूर्ति प्रदान करते हुए परियोजनाए।
- ताप विद्युत संयंत्रों में पर्यावरण प्रबंधन।

दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागाछी स्टेशन के फुटओवर ब्रिज सहित स्टेशन विकास कार्य

विविधीकरण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, कंपनी पहले से ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मानदंडों और मार्गदर्शन के तहत, महाराष्ट्र की महाजेनको के पारस थर्मल पावर स्टेशन और छत्तीसगढ़ की सीएसपीजीसीएल के कोरबा पश्चिम और मारवा थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

कंपनी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल) से भारत के छह शहरों की सीजीडी परियोजना हासिल करके तेल और गैस क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन परामर्श में भी प्रवेश किया है।

उ) आगे का रास्ता

स्थायी व्यावसायिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए, कंपनी द्वारा कंपनी के पारंपरिक व्यवसाय की मात्रा को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और इंजीनियरिंग सलाहकारों के सहयोग से नए व्यावसायिक क्षेत्रों में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु विभिन्न पहल किए जा रहे हैं।

क) व्यवसायिक रणनीति

निर्माण उद्योग में आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, कंपनी प्रमुख कंपनियों या अन्य सीपीएसई के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ, जमा/ओबीई अनुबंध के आधार पर और उच्च मूल्यों के पीएमसी आधार पर परियोजनाओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी व्यवसाय की शीर्ष और निचली पंक्ति दोनों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ईपीसी मोड पर उच्च मूल्य की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

तदनुसार, कंपनी का इरादा बेहतर लाभ संभावनाओं और तकनीकी उन्नति के साथ अनुबंध हासिल करने का है।

डिपॉजिटरी/ओबीई अनुबंधों के लिए क्रेडिट संसाधनों का न्यूनतम उपयोग आवश्यक है; जिससे सकारात्मक नकदी प्रवाह हो जो कंपनी के लिए अनुकूल है। तदनुसार, डिपॉजिटरी आधार पर अनुबंध प्राप्त करना वित्तीय रूप से लाभप्रद होगा, क्योंकि कंपनी के वित्तीय संसाधनों (बैंक गारंटी/नकद ऋण और कार्यशील पूंजी) का उपयोग ईपीसी/आइटम दर अनुबंधों के आधार पर निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के नकदी प्रवाह को सुचारू बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा, बाजार में उतार–चढ़ाव के व्यावसायिक जोखिमों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर सीमित प्रभाव पड़ेगा।

उच्च मूल्य वाले ईपीसी अनुबंध प्राप्त करने के लिए, कंपनी बोलियों को अनुबंधों में बदलने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग सलाहकारों के साथ सहयोग करने की प्रक्रिया में है। कंपनी उच्च मूल्य वाले अनुबंधों पर ध्यान केंद्रित करके और संसाधनों (मानवशक्ति और उपकरण दोनों) का अनुकूलन करके और समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करके उच्च वार्षिक कारोबार और

लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए आश्वस्त है।

कंपनी अनुबंधों को पूरा करने और अनुबंधगत बकाया राशि वसूलने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे जनशक्ति के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों का उपयोग अन्य नकदी उत्पादक परियोजनाओं में किया जा सके।

कंपनी मालिक के बारे में समुचित जांच–पड़ताल करने के बाद ही व्यावसायिक अवसरों का चयन कर रही है, तथा परियोजना भूमि और सांविधिक मंजूरी से संबंधित प्रत्याशित विवादों वाली परियोजनाओं से बच रही है; तथा अपेक्षाकृत कम सफलता की संभावना वाले व्यवसायों के लिए भी, तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान प्रत्याशित मुकदमों की संभावना को न्यूनतम करने का प्रयास कर रही है।

कंपनी परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) कार्यो, निष्पादन एजेंसी (ईए) के रूप में जमा अनुबंधों, सरकारी विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र और प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के ग्राहकों के ईपीसी और मद दर अनुबंधों के बीच व्यापार मिश्रण को अनुकूलित करने की योजना बना रही है।

कंपनी ने एक अलग बिजनेस वर्टिकल भी बनाया है जो ईपीसी और पीएमसी आधार पर औद्योगिक विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।

इस तरह के विविध व्यावसायिक पोर्टफोलियो के साथ, कंपनी का लक्ष्य परियोजना प्रबंधन अनुबंधों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना है।

ख) व्यवसाय विकास

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सरकारी निवेशों तथा प्रमुख क्षेत्रों के अनुरूप, कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में सतत विकास परियोजनाएं शुरू कर रही है:

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के अंतर्गत बायो–रिफाइनरी परियोजनाएं, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, एलएनजी टर्मिनल और प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क।
- जलशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी जोड़ो परियोजनाएं और पेयजल वितरण नेटवर्क।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत नदी ड्रेजिंग परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास।
- विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली।
- संबंधित मंत्रालयों के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, रेलवे, एक्सप्रेसवे और राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे और अन्य क्षेत्रों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं
- ईपीसी मोड में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बुलेट टैंक।
- हाइड्रोकार्बन उद्योग में डबल वॉल स्टोरेज टैंक।
- संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के माध्यम से ईपीसी मोड में उच्च मूल्य वाली सड़कें और राजमार्ग परियोजनाएं।
- कंसोर्टियम के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र और इसकी सहायक इकाइयां कोयले।
- इस्पात संयंत्रों का प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार
- तापीय और सौर ऊर्जा दोनों प्रकार के विद्युत संयंत्रों का विस्तार।

रायगढ़ा, ओडिशा में उत्कल एल्युमिना रिफाइनरी

ग) प्रक्रियात्मक दक्षता उपाय

कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कंपनी ने अभिलेखों और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण की पहल की है, ताकि पहुंच को सुगम बनाया जा सके, खरीद चक्र समय को कम करने के लिए खरीद प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए कंपनी के भीतर फ़ाइलों/दस्तावेजों/मांगों की आंतरिक आवाजाही के लिए ई–ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की गई है।

कंपनी प्रक्रियागत अनुपालन और तेजी से निर्णय लेने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन की लगातार समीक्षा और उन्नयन कर रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद को लागू किया गया है।

ईपीसी परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग और डिजाइन दस्तावेजों को भविष्य के संदर्भ और शोध के लिए कंपनी के सर्वर पर बनाए रखा जा रहा है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वास्तविक समय के आधार पर परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली (डीपीएमएस) लागू की गई है।

घ) वित्तीय नियंत्रण और योजना

वित्तीय नियंत्रण और योजना के एक भाग के रूप में कंपनी द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थित परिवर्तन किए गए हैं:

- आईटी सक्षम लेखा प्रणाली, ईआरपी प्रणाली कार्यान्वयन
- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली
- लागत लाभ विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना
- वित्त लागत पर अंकुश लगाने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन
- मूल्य वर्धित सेवाएँ प्रदान करके निवल संकत्ति में वृद्धि

ङ) आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और स्वचालन

कार्यकुशलता, गुणवत्ता में सुधार लाने तथा सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए निर्माण उपकरणों का उन्नयन किया जा रहा है। कुछ विवरण इस प्रकार हैं:–

- परियोजना स्थल

I. कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए निर्माण पद्धति का आधुनिकीकरण।

II. विशिष्ट क्षेत्रों में निर्माण प्रौद्योगिकी के अवशोषण के लिए विशेष एजेंसियों के साथ टाई–अप।

- **हावड़ा, पश्चिम बंगाल में कार्यशाला**

I. कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (सीएनसी) मशीनों की खरीद के साथ हावड़ा कार्यशाला में और अधिक स्वचालन।

II. मौजूदा उत्पादों के डिजाइन में सुधार जैसे कि बंक हाउस के वजन को कम करना ताकि गुणवत्ता और विपणन क्षमता में वृद्धि हो सके।

III. हावड़ा कार्यशाला में स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन कार्य, ग्रेटिंग और रिम सील अग्निशमन उपकरण का निर्माण, रूफ शीट प्रोफाइलिंग कार्य जो परियोजना स्थलों के लिए फीडर यूनिट के रूप में कार्य करेगा।

IV. निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक नवीनतम डिजाइन संबंधी सॉफ्टवेयर को पेश करके डिजाइन विभाग को उन्नत करना।

च) प्रतिभा प्रबंधन

कंपनी कर्मचारियों के कौशल विकास और उन्नयन के लिए प्रशिक्षण के निरंतर प्रयास में है। आंतरिक आधार को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विशेषज्ञ कर्मियों की भर्ती की मांग की जा रही है। हम कर्मचारियों के बीच सशक्तिकरण और प्रेरणा बढ़ाने की दिशा में एक जीवंत कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से अपने कर्मचारियों के बीच जुड़ाव के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

छ) जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने व्यवसाय योजना के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखने तथा बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से संबंधित जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न हितधारकों के बीच अधिक विश्वास पैदा हुआ है तथा

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन किया जा रहा है। परिचालन, पर्यावरण, वित्त, मानव संसाधन, विधि, सूचना सुरक्षा आदि से जुड़े जोखिम तथा वित्तीय रूप से प्रभाव की डिग्री, परिसंपत्तियों, सुविधाओं तथा तीसरे पक्ष पर इसके संभावित प्रभाव का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। संभावित जोखिमों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं, साथ ही आपात स्थितियों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रथाओं, जिसमें संचार प्रणाली तथा सूचना प्रसारित करने का तरीका शामिल है, की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा कंपनी पर प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अद्यतन किया जाता है। आपकी कंपनी तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार जोखिम शमन तथा रणनीति योजना को वित्तीय वर्ष 2012-2013 से लागू किया गया है। डिपोजिटरी/ओबीई और पीएमसी आधार पर मध्यम से कम जोखिम वाले अनुबंधों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करके जोखिम प्रोफाइल को संतुलित करना तथा ईपीसी/आइटम दर आधार पर उच्च मूल्य की परियोजनाओं को निष्पादित करना, जिनमें मध्यम से उच्च जोखिम प्रोफाइल हो।

ज) एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

ताकत

- **क्षेत्रीय उपस्थिति –** कंपनी तेल और गैस, बिजली, इस्पात, एल्युमीनियम, रसायन और उर्वरक, रेलवे, सड़क मार्ग/राजमार्ग, बंदरगाह और जेटी, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पुल और फ्लाईओवर, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान, भवन और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अनुबंध निष्पादित करती है।
- **अखिल भारतीय उपस्थिति –** कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय कोलकाता में है और कार्यशाला पास में ही हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कंपनी की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति है, इसके अलावा रांची, रायपुर, प्रयागराज और वडोदरा में अन्य क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालय हैं, जो देश भर में किसी भी समय लगभग 150 परियोजना स्थलों की निगरानी और नियंत्रण में आसानी प्रदान करते हैं।
- **बहु-विषयक अभियांत्रिकी संगठन –** कंपनी एक बहुमुखी संगठन है, जो भारत में ईपीसी समाधान और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाओं, जमा अनुबंध / ओबीई (ओपन बुक एस्टीमेट) अनुबंध और आइटम दर अनुबंधों की विस्तृत शृंखला प्रदान करती है।
- **विशेषज्ञता –** बी एण्ड आर के पास उद्योगों की विभिन्न प्रक्रिया इकाइयों में ईपीसी अनुबंधों, विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में पीएमसी और डिपॉजिटरी अनुबंधों और उद्योगों और अवसंरचना क्षेत्र दोनों में पारंपरिक आइटम दर अनुबंधों को निष्पादित करने की खासियत है।
- **लगातार लाभ और टिकाऊ नेट वर्थ –** बी एण्ड आर के पास लगातार लाभ कमाने वाली कंपनी होने और कड़ी प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल के अस्थिर बाजार में उतार-चढ़ाव की चुनौतियों पर काबू पाने का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है।
- **सुनिश्चित गुणवत्ता और सुरक्षा –** बी एण्ड आर के पास नवीनतम आईएसओ के अनुसार सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ सेवाएँ देने का एक सिद्ध रिकॉर्ड है और यह व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएच एण्ड एसएमएस) आईएसओ 45001:2018 से भी मान्यता प्राप्त है।
- **तकनीकी जनशक्ति विशेषज्ञता –** कंपनी के पास सीपीएसई निर्माण कंपनियों के बीच स्थायी कैडर में अनुभवी और योग्य तकनीकी जनशक्ति का एक बड़ा समूह है।
- **मजबूत मानव संसाधन प्रबंधन –** कौशल विकास, निर्माण से संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, लागत प्रभावी संसाधन उपयोग, कर्मचारियों की व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पेशेवर क्षमताओं को तैयार करना और बढ़ाना, कंपनी का प्राथमिक ध्यान है।
- **इन-हाउस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग –** बी एण्ड आर के पास औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए इन-हाउस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता है, जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से जुड़े अनुबंधों को संभालने के लिए है।
- **कार्यशाला –** बी एण्ड आर के पास हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित कार्यशाला में विभिन्न स्टील संरचनात्मक उत्पादों के निर्माण की क्षमता है। ऐसी विनिर्माण क्षमता का उपयोग कंपनी की परियोजना निर्माण गतिविधियों के लिए फीडर इकाई की भूमिका के रूप में भी किया जाता है।

कमज़ोरियाँ

- **निवेश के लिए सीमित संसाधन-** कंपनी की विकास योजना के अनुरूप अपने व्यवसाय की मात्रा, निवेश और कार्यशील पूंजी को बढ़ाना एक चुनौती है।
- **सीमित प्रचार-** कम या सीमित प्रचार और ब्रांड की स्थापना जिसके परिणामस्वरूप देश में निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ पहचान नहीं बन पाती।

- सीमित उत्पाद और सेवा क्षेत्र के कारण केवल परियोजना/निर्माण कार्य पर निर्भर रहना।
- अन्य प्रकार के अनुबंद्धों एलएसटीके, बीओओटी, एचएएम, पीपीपी आदि के संचालन के लिए परियोजना वित्तपोषण प्रतिष्ठानों के साथ गठबंधन की व्यवस्था का पता नहीं चल पाया है।

अवसर

- **व्यापार विस्तार:**
  - भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद और भारत सरकार द्वारा किए गए निवेश ने तेल और गैस, बुनियादी ढांचे, बिजली, रसायन और उर्वरक क्षेत्रों में व्यापार की मात्रा का विस्तार करने के लिए बहुत बड़ा अवसर लाया है।
  - हरित ऊर्जा परियोजनाएं, पंप स्टोरेज परियोजनाएं बड़े निवेश को आकर्षित करती हैं और बहुत सारे व्यापार अवसर खोलती हैं।
  - इस्पात संयंत्रों का बड़े पैमाने पर विस्तार, थर्मल पावर प्लांट विस्तार में अतिरिक्त निवेश पर्याप्त व्यापार वृद्धि की संभावनाएं प्रदान करता है।
  - बंदरगाहों और जेटी, हवाई अड्डों, जल संसाधन और वितरण, उपचार संयंत्रों और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश, जहां सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिक निवेश की उम्मीद है।
- **विविधीकरण –** फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट, बायो–रिफाइनरियों, नदी इंटरलिंकिंग परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, नदी ड्रेजिंग, एलएनजी टर्मिनल, हवाई अड्डों आदि के कार्यान्वयन में विस्तार करना।
- हावड़ा स्थित फैक्ट्री/वर्कशॉप का उपयोग करके विविध उत्पादों जैस प्रेशर वेसल, हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर, स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर, पीईबी आदि के विकास की संभावनाए तलाशना।
- परियोजना वित्तपोषण और बीओओटी, एचएएम, पीपीपी आदि के माध्यम से विभिन्न अनुबंधों के निष्पादन के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ रणनीतिक और सामूहिक टाई–अप।
- **अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ–** बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर विस्तार करना, कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाना ताकि लगातार वृद्धि और उच्च लाभ मार्जिन बनाए रखा जा सके।

खतरे

- प्रतिस्पर्धा – बी एण्ड आर को कम परिचालन लागत वाली निजी संस्थाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को सुरक्षित करने के लिए लाभ मार्जिन कम हो जाता है।
- परियोजना ओवररन – पर्यावरण मंजूरी, अधिग्रहित भूमि, कार्य मोर्चा, एएफसी ड्राइंग, मुफ्त जारी सामग्री और क्लाइंट से अन्य संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण होने वाली देरी के परिणामस्वरूप परियोजना ओवररन होती है जिससे परियोजना लागत बढ़ जाती है जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती है।
- असामान्य मूल्य भिन्नता – निर्माण संबंची कच्चे माल की असामान्य मूल्य उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप परियोजना लागत बढ़ जाती है और लाभ मार्जिन कम हो जाता है।
- क्लाइंट द्वारा परियोजनाओं / अनुबंधों को कई पैकेजों में विभाजित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के उप–ठेकेदारों और कम परिचालन लागत वाली अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा होती है।

कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के लिए अमृत के तहत 9.0 एमजी क्षमता वाले सौ साल पुराने ओवरहेड बैलेंसिंग स्टील जलाशय (तल्लाह टैंक) का नवीनीकरण

झ) ऊर्जा संरक्षण:

ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा और संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना शामिल है। इसमें व्यवहार परिवर्तन, जैसे उपयोग में न होने पर लाइट बंद करना, और तकनीकी प्रगति, जैसे ऊर्जा–कुशल उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग करना शामिल है। सतत विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में, ऊर्जा संरक्षण का उद्देश्य ऊर्जा की जरूरतों को पर्यावरण संरक्षण और संसाधन प्रबंधन के साथ संतुलित करना है। वैश्विक जनसंख्या बढ़ने और ऊर्जा की मांग बढ़ने के साथ, ऊर्जा संरक्षण का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। यह अभ्यास न केवल पर्यावरण पर ऊर्जा उत्पादन और खपत के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सक्रिय रही है। कंपनी ने अपने संचालन में ऊर्जा दक्षता और स्थिरता में सुधार के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, त्वरित औद्योगीकरण, शहरीकरण और बढ़ती उपभोक्ता मांगों के कारण ऊर्जा की मांग में काफी वृद्धि हुई है। इससे ऊर्जा संरक्षण को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

ऊर्जा खपत तकनीकों की सिफारिश करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा वार्षिक विस्तृत ऊर्जा ऑडिट किया जाता है, और कंपनी इन सिफारिशों को तदनुसार लागू करती है।

ऊर्जा संरक्षण के अपने प्रयासों के तहत, हमने अपने वर्कशॉप बे में एग्जॉस्ट ब्लोअर पंखों की जगह पवन–संचालित टर्बो वेंटिलेटर लगाए हैं। हमारे हावड़ा वर्कशॉप में, 40 टर्बो वेंटिलेटर लगाए गए हैं, जिससे सालाना 3,744 यूनिट बिजली की बचत होती है। हम ऊर्जा को और अधिक संरक्षित करने के लिए पुराने एयर कंडीशनर यूनिट को नए BEE–रेटेड यूनिट से बदलने की भी योजना बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हमने नेट मीटरिंग के माध्यम से एक सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है, जिससे उत्पादन 26 किलोवाट तक बढ़ गया है और प्रति वर्ष लगभग 50,000 यूनिट बिजली मिल रही है, जिसे 45 किलोवाट तक बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा, हमारे हावड़ा वर्क्स में लाइटिंग सर्किट में टाइमर लगाना सफल रहा है। रात में जब उत्पादन नहीं होता है, तो लैंप बंद करके, हम प्रति माह लगभग 10,000 यूनिट बिजली बचा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, हम अपने पावर फैक्टर की निरंतर निगरानी करते हैं और इसे 0.95 पर बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। अपने संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, हमने पुराने कंप्रेसर को पोर्टेबल वाले से बदल दिया है, जिससे सालाना कम से कम 34,199 यूनिट बिजली की बचत होती है। ये पहल न केवल हमारे कार्बन फुट्प्रिन्ट को कम करती हैं, बल्कि निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र की अन्य कंपनियों के लिए एक उदाहरण भी स्थापित करती हैं।

ऊर्जा उपयोग पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक–I के अनुसार संलग्न है।

हम कोलकाता में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में पहले के उपकरणों के बजाय ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरणों का उपयोग करके प्रति वर्ष 15370 यूनिट बचा रहे हैं।

इसके अलावा, हमारे वर्कशॉप बे में एग्जॉस्ट ब्लोअर पंखों के स्थान पर पवन संचालित टर्बो वेंटिलेटर की स्थापना ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है। हमारे हावड़ा वर्कशॉप में 40 टर्बो वेंटिलेटर लगाए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप हम सालाना 3744 यूनिट बिजली बचा रहे हैं। इसके अलावा, कंपनी ने अपने हावड़ा वर्कशॉप में अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी सौर ऊर्जा विकसित की है, जो हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण और आपातकालीन क्षेत्रों में बिजली वितरित करके और 14,300 यूनिट (लगभग) बिजली का उपयोग करके है। 4 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की हमारी पायलट परियोजना की सफलता से हमने ग्रिड से जुड़े सौर उत्पादन संयंत्र के माध्यम से नेट मीटर के माध्यम से सौर परियोजना का और विस्तार किया है, जिससे उत्पादन 26 किलोवाट (कुल 30 किलोवाट) हो गया है, जो अंततः एक वर्ष में 50,000 यूनिट (लगभग) का उत्पादन करेगा।

यह स्पष्ट है कि हम बिजली के उपकरणों का आधुनिकीकरण करके और ऊर्जा बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बहुत अच्छी मात्रा में ऊर्जा बचा रहे हैं और इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं। हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का भी उपयोग कर रहे हैं।

ऊर्जा सुरक्षा: कम ऊर्जा का उपयोग करके, देश आयातित ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आपूर्ति में व्यवधान और मूल्य में उतार–चढ़ाव की भेद्यता कम हो जाती है।

संसाधन संरक्षण: कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे कई ऊर्जा स्रोत सीमित और गैर–नवीकरणीय हैं। ऊर्जा संरक्षण इन संसाधनों के जीवनकाल को बढ़ाने में मदद करता है और पर्यावरण के लिए विनाशकारी निष्कर्षण विधियों की आवश्यकता को कम करता है।

ऊर्जा दक्षता

ऊर्जा दक्षता किसी भी प्रणाली, प्रक्रिया या उपकरण में कुल ऊर्जा इनपुट के लिए उपयोगी ऊर्जा आउटपुट के अनुपात को संदर्भित करती है। अनिवार्य रूप से, यह मापता है कि ऊर्जा को उपयोगी कार्य या सेवाओं में कितनी प्रभावी रूप से परिवर्तित किया जाता है।

ऊर्जा दक्षता में सुधार ऊर्जा की खपत को कम करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। ऊर्जा दक्षता के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:

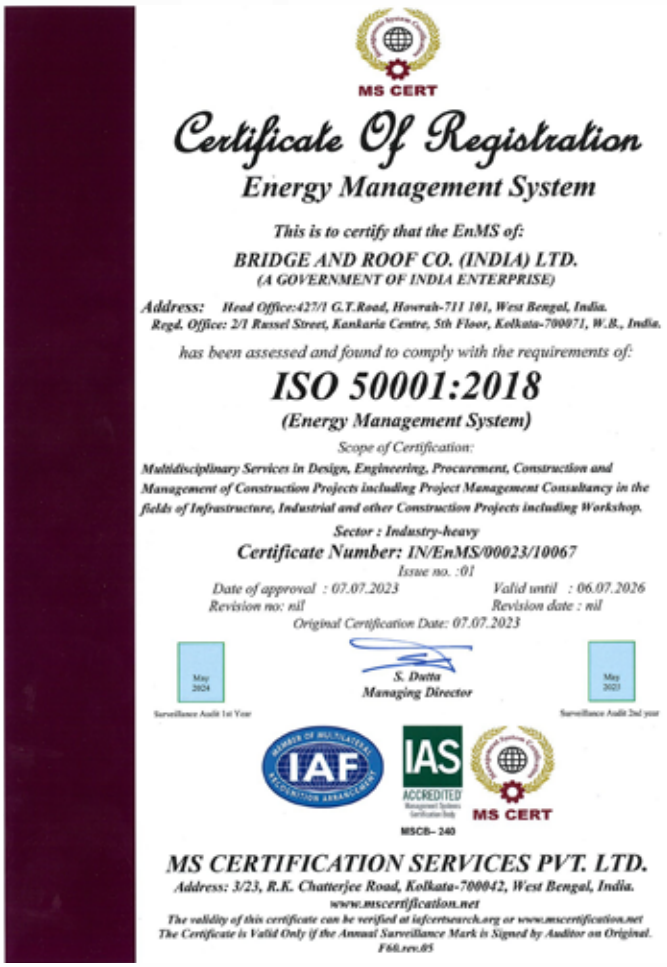

MS CERT

Certificate Of Registration

Energy Management System

This is to certify that the EnMS of:

BRIDGE AND ROOF CO. (INDIA) LTD.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Address: Head Office:427/1 G.T.Road, Howrah-711 101, West Bengal, India.
Regd. Office: 2/1 Russel Street, Kankaria Centre, 5th Floor, Kolkata-700071, W.B., India.

has been assessed and found to comply with the requirements of:

ISO 50001:2018

(Energy Management System)

Scope of Certification:

Multidisciplinary Services in Design, Engineering, Procurement, Construction and Management of Construction Projects including Project Management Consultancy in the fields of Infrastructure, Industrial and other Construction Projects including Workshop.

Sector : Industry-heavy

Certificate Number: IN/EnMS/00023/10067

Issue no. :01

Date of approval : 07.07.2023 Valid until : 06.07.2026

Revision no: nil Revision date : nil

Original Certification Date: 07.07.2023

May 2024 Surveillance Audit 1st Year

S. Dutta
Managing Director

May 2025 Surveillance Audit 2nd year

IAF IAS ACCREDITED MS CERT

MSCB- 240

MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

Address: 3/23, R.K. Chatterjee Road, Kolkata-700042, West Bengal, India.

www.mscertification.net

The validity of this certificate can be verified at iafcertsearch.org or www.mscertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.
F66.rev.05

1. **प्रौद्योगिकी:** प्रौद्योगिकी में प्रगति ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें अधिक कुशल उपकरण, वाहन, औद्योगिक उपकरण और भवन प्रणाली विकसित करना शामिल है। उदाहरण के लिए, ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटिंग पारंपरिक तापदीप्त बल्बों की तुलना में कम बिजली की खपत करती है जबकि समान या बेहतर रोशनी प्रदान करती है।
2. **डिजाइन:** ऊर्जा दक्षता को इमारतों, परिवहन प्रणालियों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के डिजाइन में एकीकृत किया जा सकता है। बेहतर इन्सुलेशन, कुशल हीटिंग और कूलिंग सिस्टम और प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था के साथ इमारतों को डिजाइन करने से ऊर्जा की मांग कम हो जाती है। इसी तरह, वायुगतिकीय आकृतियों और हल्के पदार्थों से वाहनों को डिजाइन करने से ईंधन दक्षता में सुधार होता है।
3. **व्यवहार:** ऊर्जा दक्षता मानव व्यवहार पर भी निर्भर करती है। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद करना, उपकरणों पर ऊर्जा-बचत सेटिंग्स का उपयोग करना और उपकरणों को ठीक से बनाए रखना जैसी सरल क्रियाएँ ऊर्जा की खपत को काफी कम कर सकती हैं।
4. **नीतियाँ और विनियमन:** सरकारें नीतियों और विनियमों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दे सकती हैं। इनमें बिल्डिंग कोड शामिल हो सकते हैं जिनमें ऊर्जा-कुशल निर्माण, वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानक और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।
5. **शिक्षा और जागरूकता:** लोगों को ऊर्जा दक्षता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और इसे बेहतर बनाने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करना ऊर्जा-बचत प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने की ओर ले जा सकता है।

ऊर्जा दक्षता में सुधार से अनेक लाभ मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- लागत बचत: ऊर्जा-कुशल तकनीक और अभ्यास अक्सर व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए कम ऊर्जा बिलों का कारण बनते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण: ऊर्जा की खपत को कम करके, ऊर्जा दक्षता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े अन्य प्रदूषकों को कम करने में मदद करती है।
- ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करने से आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होती है और ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ती है।
- संसाधन संरक्षण: ऊर्जा दक्षता सीमित और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करती है।

ञ) अनुसंधान, विकास और तकनीकी उपलब्धियाँ:

कंपनी अनुसंधान और विकास प्रयासों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने और गुणवत्ता मानकों को उन्नत करने के लिए निरंतर

प्रयास कर रही है। कंपनी का लक्ष्य सहयोग के साथ–साथ इन–हाउस विकास के विवेकपूर्ण मिश्रण द्वारा इसे प्राप्त करना है। व्यावसायिक रणनीति और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो को संरेखित करके, कंपनी बदलते व्यावसायिक वातावरण और सरकारी नीतियों के बीच एक विजयी प्रस्ताव बनाने का प्रयास करती है। कंपनी के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को पिछले वर्ष में नया रूप दिया गया है, जिसमें अल्पावधि में बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार नए उत्पादों और सेवाओं को पेश करने के साथ–साथ भारत सरकार की नीति के अनुरूप उभरते और भविष्य के क्षेत्रों में काम करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।

कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित किया है:

- वेट फ्लू गैस डी – सल्फराइजेशन में प्रदूषण फैलाने वाली गैसों जैसे SO_2, NO_x, और CO_2 के मापन के लिए यूवी डिफरेंशियल ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक के बजाय इन्फ्रा–रेड (आईआर) एब्जॉर्प्शन तकनीक का उपयोग।
- निर्माण के दौरान पानी का उपयोग करने के स्थान पर हाइड्रोलिक जैकिंग विधि द्वारा फ्लोटिंग रूफ टैंक की डबल डेक रुफ को उठाना।
- टैंक के निर्माण के दौरान गर्थ वेल्डिंग मशीन का उपयोग करके क्षैतिज बट जोड़ों की वेल्डिंग।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की आवश्यकताओं के अनुपालन में अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुकूलन के विवरण इस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली अनुसूची–II में संलग्न हैं।

4.0 मानव संसाधन विकास :

मानव संसाधन

कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उसके कर्मचारियों की कुशलता सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए सर्वोपरि है। यह लगातार अपने कर्मचारियों की क्षमता को हमेशा उच्च महत्व देती है और सभी के लिए सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा देती है प्रबंधन आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाकर एक सक्षम और चुस्त मानव संसाधन के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए, कंपनी रोजगार के विभिन्न पहलुओं की से सावधानिपूर्वक देखरेख करती है।

अपने सतत प्रयासों के एक भाग के रूप में, इस वर्ष कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा की शर्तों और नियमों के अनुसार अनुपालन हेतु अनिवार्य सभी शक्तियों की अनुसूची (एसओपी) की व्यापक समीक्षा की शुरूआत की गई।

कंपनी ने हाल ही में अपने कर्मचारी सेवा ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। सबसे पहले, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कर्मचारी पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। यह अपग्रेडे किया गयी पोर्टल कर्मचारियों को सेवा से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे छुट्टी, वेतन, यात्रा व्यवस्था, प्रतिपूर्ति, व्यक्तिगत जानकारी, संपत्ति रिटर्न फॉर्म जमा करना, वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक आयकर विवरण और भी बहुत कुछ तक पहुँच प्रदान करता है तथा

"भावनात्मक बुद्धिमत्ता" वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा रहा है।

इसकी गतिशील कार्यक्षमता ने इसे कर्मचारियों के लिए एक मूल्यवान मंच में बदल दिया है, जिससे आवश्यक जानकारी तक आसान पहुंच की सुविधा मिलती है और जब भी आवश्यक हो, संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत संभव हो पाती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है, जो प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाती है। यह डिजिटल प्लेटफार्म कर्मचारियों को अपनी प्रगति को ट्रैक करने, फीडबैक प्राप्त करने और प्रबंधन के साथ रचनात्मक संवाद में शामिल होने की अनुमति देता है, जिससे समग्र कर्मचारी अनुभव में और वृद्धि होती है।

मानव संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र

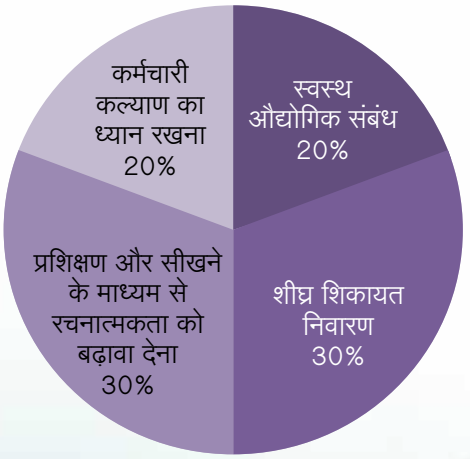

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएमडी द्वारा कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की सराहना की गई।

वेबिनार और वेब-लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षण

कर्मचारियों के प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। कर्मचारियों की व्यावसायिक और प्रबंधकीय दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सावधानीपूर्वक व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात लगभग 105 (एक सौ पांच) कर्मचारियों को वेबिनार और वेब लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें संविदा विवाद समाधान प्रशिक्षण, आईएसओ 45001:2018 पर आधारित ओएचएसएमएस ऑडिटर/लीड ऑडिटर कोर्स, औद्योगिक सुरक्षा में एडवांस डिप्लोमा शामिल हैं।

सीपीएसई/एसएलपीई के कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए नए श्रम संहिता, सेवाओं में रोस्टर और आरक्षण, अनुबंध प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन और विभिन्न अन्य मामले, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी), प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता और प्रभावकारिता बनाए रखने के लिए, कंपनी ने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कानपुर, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, कोलकाता, राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास अकादमी, नई दिल्ली, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) जैसे संस्थानों से संपर्क किया है।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

कंपनी हमेशा हर क्षेत्र में पूरी पारदर्शिता रखने का समर्थन करती है और जब भी रिपोर्ट की जाती है या देखी जाती है, तो भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करती है। इस उद्देश्य के लिए, सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने पहले से ही व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है। हाल ही में, कंपनी ने धोखाधड़ी रोकथाम नीति भी लागू की है, जिसके तहत न केवल संगठन के सभी कर्मचारियों बल्कि बाहरी पक्षों को भी किसी कंपनी की ओर से समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले किसी भी गतिविधि में देखी गई 'धोखाधड़ी' की रिपोर्ट करने की गुंजाइश दी गई है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस नीति के अलावा, खरीद में होने वाली गड़बड़ियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए खरीद मैनुअल को भी संशोधित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से

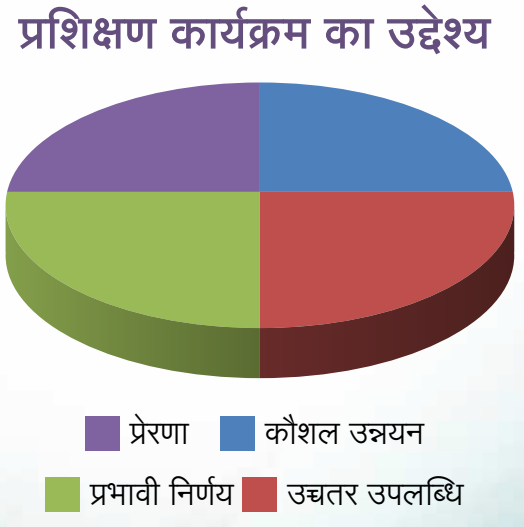

सभी कार्यक्रम आयोजित करती है, जैसे रक्तदान, आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) आदि। देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ, हिंदी या राजभाषा पखवाड़ा, समय-समय पर स्वच्छता पखवाड़ा जिसमें विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, 2016 से, कंपनी ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव को अपनाया है। इसमें शारीरिक फिटनेस बढ़ाने के उद्देश्य से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है, जिसमें इच्छुक कर्मचारी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक विस्तृत नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समिति (आईसी) की स्थापना की गई है। यह अपने नियमित, आउटसोर्स कर्मचारियों और आगंतुकों सहित सभी महिलाओं को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

अ) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

आ) वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या: शून्य

इ) वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

ई) वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व:

डीपीई के दिनांक 14 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/17/2008-स्था.(आरक्षण) के अनुपालन में, एससी/एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व की स्थिति प्रदान करने के लिए दो निर्धारित प्रारूपों में सूचना अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत की गई है।

ये कंपनी के कर्मचारियों की उपरोक्त श्रेणियों के आंकड़े दर्शाते हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनते हुए अनुलग्नक III और IV में संलग्न हैं।

सीएटी के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन:

कंपनी को अभी तक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है, ताकि उसके निर्णय/आदेशों को लागू किया जा सके।

सभी परियोजना स्थलों और कार्यशालाओं में
स्वच्छता पखवाड़ा विशेष अभियान 3.0

हिंदी कार्यशाला में श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का स्वागत करते हुए श्री सुप्रकाश चट्टोपाध्याय, कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट सेवाएं) एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और श्री अभिजीत राय, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग :

कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने तथा कंपनी के दैनिक संचार में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और "हिंदी के प्रगामी प्रयोग" से संबंधित विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए पूरे वर्ष में समय-समय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.भा.का.स) की बैठकें आयोजित की गईं।

कंपनी ने राष्ट्रीय, राज्य और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) स्तर की बैठकों/सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लिया और नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार जीते।

14 से 29 सितंबर 2023 तक हिंदी पखवाड़े के दौरान, राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार, हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों में व्यापक कर्मचारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हाइब्रिड माध्यम का उपयोग करके कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस पद्धति से पूरे भारत में कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी संभव हुई। प्रतियोगिताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया: हिंदी और गैर-हिंदी भाषी कर्मचारी। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित 5 प्रतियोगिताओं के कुल 29 विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसमें रुचि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सहित विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं:

- हिंदी शब्द और वाक्य तथा उनका अनुवाद कंपनी के कर्मचारी पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन भेजा जाता है।
- कार्यालय में एक आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किया गया है, जिसमें हिंदी की 400 से अधिक पुस्तकें तथा अन्य भारतीय भाषाओं की 600 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं।
- कार्यालयों में हिंदी समाचार-पत्र, साप्ताहिक और मासिक हिंदी पत्रिकाएँ शुरू की गई हैं।
- कंपनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम)-कोलकाता के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा इसके कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेती है।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति कंपनी के कर्मचारियों के लिए "प्रबोध", "प्रवीण", "प्राज्ञ" और "पारंगत" पाठ्यक्रमों की कक्षाएं संचालित करती है।

एसएमएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए लालगंज, रायबरेली, यूपी में रेल व्हील फैक्ट्री।

5.0 स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण:

ब्रिज एण्ड रूफ लगातार अपने व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) को बनाए रख रहा है और आईएसओ 45001: 2018 के अनुरूप प्रतिष्ठित ओएचएसएमएस प्रमाणन को सफलतापूर्वक बनाए रखने में सक्षम रहा है जो विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों से ऑर्डर हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी एण्ड आर के पास मजबूत और प्रभावी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीतियाँ हैं। ये नीतियाँ ओएचएसएमएस (आईएसओ 45001: 2018) का अभिन्न अंग हैं और लागू अधिनियमों और नियमों के अनुपालन सहित हमारे परियोजना स्थलों और वर्क्स प्रभाग में लागू की जा रही हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ब्रिज एण्ड रूफ ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) पर आईएसओ 14001: 2015 प्रमाणपत्र हासिल किया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता है कि बी एण्ड आर की परियोजना गतिविधियों से आसपास का पर्यावरण प्रदूषित न हो। यह अभ्यास सुनिश्चित करता है कि संयंत्र अत्यंत सावधानी से संचालित हों और कोई खतरा या दुर्घटना न हो।

आगे सुधार के लिए गुंजाइश की पहचान करने और प्रभावशीलता को मापने के लिए नियमित अंतराल पर आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा की जाती है।

हमारे एचएसई लक्ष्य हैं (1) कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटना। (2) कर्मचारियों के बीच अच्छी एचएसई प्रणाली को बनाए रखने के लिए सकारात्मक और उत्तरदायी दृष्टिकोण को आत्मसात करना और बनाए रखना। (3) सभी स्तर के कर्मचारियों से शत प्रतिशत घटना रिपोर्टिंग।

सुरक्षा टूल बॉक्स टॉक

ब्रिज एण्ड रूफ को इंस्टीट्यूशन ऑफ सेफ्टी इंजीनियर्स (इंडिया) से आईएसईआई एक्सीलेंस अवार्ड 2023 और सेफ्टी अवार्ड्स–2023 के तहत भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सबसे प्रतिष्ठित 'प्रशंसा प्रमाण पत्र' प्राप्त करने पर गर्व है।

परियोजना स्थलों पर सुरक्षा शपथ

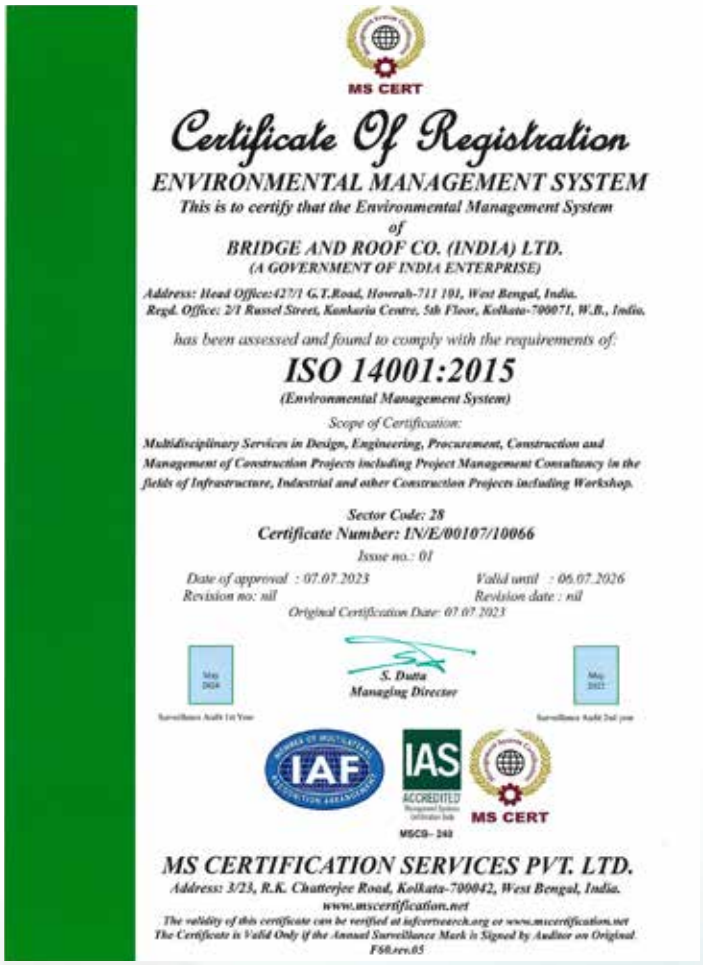

MS CERT

Certificate Of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that the Environmental Management System of

BRIDGE AND ROOF CO. (INDIA) LTD.
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Address: Head Office:427/1 G.T.Road, Howrah-711 101, West Bengal, India.
Regd. Office: 2/1 Russel Street, Kanharia Centre, 5th Floor, Kolkata-700071, W.B., India.

has been assessed and found to comply with the requirements of:

ISO 14001:2015
(Environmental Management System)

Scope of Certification:

Multidisciplinary Services in Design, Engineering, Procurement, Construction and Management of Construction Projects including Project Management Consultancy in the fields of Infrastructure, Industrial and other Construction Projects including Workshop.

Sector Code: 28

Certificate Number: IN/E/00107/10066

Issue no.: 01

Date of approval : 07.07.2023 Valid until : 06.07.2026
Revision no: nil Revision date : nil
Original Certification Date: 07.07.2023

S. Dutta
Managing Director

IAF IAS ACCREDITED MS CERT

MSCB- 240

MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.
Address: 3/23, R.K. Chatterjee Road, Kolkata-700042, West Bengal, India.
www.mscertification.net

The validity of this certificate can be verified at iafcertsearch.org or www.mscertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.
F68.rev.05

कंपनी को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) आईएसओ 45001:2018 से भी मान्यता प्राप्त है।

कंपनी ने संबंधित क्लाइंट के एचएसई प्रबंधन प्रणाली ढांचे के अनुरूप विभिन्न परियोजनाओं में एचएसई प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इस एचएसई प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य यह परिभाषित करना और समझाना है कि परियोजना के निष्पादन अवधि के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्रों में एचएसई प्रबंधन प्रणाली कैसे लागू की जाएगी और उसका पालन कैसे किया जाएगा। एचएसई प्रबंधन प्रणाली में मोटे तौर पर एचएसई जागरूकता कार्यक्रम, जोखिम प्रबंधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन योजना आदि शामिल हैं। एचएसई प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन परियोजना में विभिन्न एचएसई प्रथाओं जैसे कौशल और प्रशिक्षण, साइट पर प्रेरण, प्रबंधन के साथ एचएसई बैठक, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई),

एचएसई साइन बोर्ड, उपकरण अनुवर्ती आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। एचएसई प्रबंधन प्रणाली की निगरानी और समीक्षा एचएसई वॉकथ्रू, एचएसई प्रबंधन दौरे, साइट ऑडिट कार्यक्रम, एचएसई मासिक रिपोर्टिंग के माध्यम से की जाती है। एचएसई अनियोजित घटनाओं की रिपोर्टिंग, घटना की जांच प्रक्रिया, सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई अनुवर्ती, फ्लैश दुर्घटना संचार आदि।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/संस्थानों को आमंत्रित करते हुए 2023–24 के दौरान कंपनी के कर्मचारियों के लिए विभिन्न एचएसई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

6.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ:

यह सुनिश्चित किया जाता है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 से संबंधित अनुसूची–VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 और उसके संशोधनों के अनुसार संचालित की जाती हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विस्तृत किया गया है और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियाँ:

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर विषयगत परियोजना 'स्वास्थ्य और पोषण' थी। इस संबंध में की गई परियोजना इस प्रकार थी:

- "चिकित्सा विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय के लिए मोबाइल डेंटल वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, जिसे उत्तर प्रदेश के चंदौली और सोनभद्र (कंपनी की परियोजना स्थल के निकट स्थानीय क्षेत्र) के आकांक्षी जिलों में क्रियान्वित किया गया है।

सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दंत विज्ञान संकाय के लिए मोबाइल डेंटल वैन की खरीद।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एक विस्तृत सीएसआर रिपोर्ट अनुलग्नक–V के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार संलग्न की जा रही है

यह सुनिश्चित किया जाता है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 और उसके संशोधनों से संबंधित अनुसूची– VII के अनुसार की जाती हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विस्तृत किया गया है और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

7.0 कॉर्पोरेट प्रशासन:

कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा–निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने पर बहुत ज़ोर देती है, दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने और अल्पसंख्यक अधिकारों को बनाए रखने में उनके महत्व को पहचानती है। यह कंपनी के संचालन, प्रदर्शन, नेतृत्व और प्रशासन के बारे में समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना एक मौलिक दायित्व मानती है। मई 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन प्रमाणपत्रों के साथ, संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

8.0 लेखापरीक्षा समिति :

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 7 जून 2023 को लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया।

निदेशक (परियोजना प्रबंधन), (बी एंड आर) के रूप में श्री बिस्वजीत बिस्वास का कार्यकाल 14.04.2023 को समाप्त हो गया।

दिनांक 12.04.2023 के आदेश संख्या 3(14)/2022–पीई–IV/सीपीएसई–I के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने श्री रवि कुमार, महाप्रबंधक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को निदेशक (परियोजना प्रबंधन), ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एण्ड आर), कोलकाता के पद पर 1,60,000–2,90,000/– रुपये (आईडीए) के वेतनमान पर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति को मंजूरी दी थी।

श्री रवि कुमार ने 15.04.2023 (एफएन) से कार्यभार ग्रहण किया था।

इसके अलावा, दिनांक 19.04.2023 के आदेश संख्या 3(11)/2021–पीई–IV/सीपीएसई–I के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने श्री नव रतन गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड–इंडिया) को निदेशक (वित्त), ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एंड आर), कोलकाता के पद पर 1,60,000–2,90,000/– (आईडीए) के वेतनमान पर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से या उनकी सेवानिवृत्ति

की तिथि तक यानी 31.03.2027 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की नियुक्ति को मंजूरी दी है।

श्री नव रत्न गुप्ता ने 20.04.2023 से कार्यभार ग्रहण किया।

इसलिए, 31.03.2024 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे, श्री ए. चतुर्वेदी, अध्यक्ष, श्री ए.के. घोष, सदस्य, श्री रवि कुमार, सदस्य, श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य और श्री एस. कृष्ण कुमार, सदस्य।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पांच बैठकें 07.06.2023, 25.07.2023, 30.08.2023, 29.12.2023 और 21.03.2024 को आयोजित की गईं।

9.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 7 जून, 2023 को सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया।

निदेशक (परियोजना प्रबंधन), (बी एण्ड आर) के रूप में श्री बिस्वजीत विश्वास का कार्यकाल 14.04.2023 को समाप्त हो गया।

आदेश संख्या 3(14)/2022–पीई–IV/सीपीएसई–I दिनांक 12.04.2023 के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने श्री रवि कुमार, महाप्रबंधक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को निदेशक (परियोजना प्रबंधन), ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एण्ड आर), कोलकाता के पद पर 1,60,000–2,90,000/– (आईडीए) के वेतनमान पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की नियुक्ति को मंजूरी दी थी।

श्री नव रत्न गुप्ता ने 20.04.2023 से कार्यभार ग्रहण किया।

इसलिए, 31.03.2024 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे, श्री ए. चतुर्वेदी, अध्यक्ष, श्री ए.के. घोष, सदस्य, श्री रवि कुमार, सदस्य, श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य और श्री एस. कृष्ण कुमार, सदस्य।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर समिति की तीन बैठकें 07.06.2023, 29.12.2023 और 21.03.2024 को आयोजित की गईं।

10.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 7 जून 2024 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया।

निदेशक (परियोजना प्रबंधन), (बी एण्ड आर) के रूप में श्री बिस्वजीत बिस्वास का कार्यकाल 14.04.2023 को समाप्त हो गया।

आदेश संख्या 3(14)/2022–पीई–IV/सीपीएसई–I दिनांक 12.04.2023 के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री रवि कुमार को निदेशक (परियोजना प्रबंधन) के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी थी।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एण्ड आर), कोलकाता को ₹ 1,60,000–2,90,000/– (आईडीए) के वेतनमान पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

श्री रवि कुमार ने 15.04.2023(एफएन) से कार्यभार ग्रहण किया था।

इसके अलावा, दिनांक 19.04.2023 के आदेश संख्या 3(11)/2021–पीई–IV/सीपीएसई–I के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने श्री नव रत्न गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड–इंडिया) को निदेशक (वित्त), ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एण्ड आर), कोलकाता के पद पर ₹ 1,60,000–2,90,000/– (आईडीए) के वेतनमान पर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 31.03.2027 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी थी।

श्री नव रत्न गुप्ता ने 20.04.2023 से कार्यभार ग्रहण किया।

इसलिए, 31.03.2024 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे, श्री ए. चतुर्वेदी, अध्यक्ष, श्री ए.के. घोष, सदस्य, श्री रवि कुमार, सदस्य, श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य और श्री एस. कृष्ण कुमार, सदस्य।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 25.07.2023 और 30.08.2023 को आयोजित की गईं।

11.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

(अ) वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;

(आ) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(इ) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(ई) निदेशकों ने वार्षिक लेखा चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया था;

(उ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

(ऊ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

12.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता:

कंपनी ने कार्यान्वयनाधीन सभी साइटों के संबंध में परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की हैं।

13.0 सूचना प्रौद्योगिकी संचालित व्यवसाय

एक सदी पुरानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते, कंपनी अब सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उन्नति के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूचना सुरक्षा दिशा-निर्देशों को बनाए रखने के बाद आईटी संचालित व्यावसायिक संचालन पर नज़र रखती है। कंपनी ने आईटी संचालित व्यावसायिक संचालन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन पहलों को अपनाया है।

डिजिटल अपनाने और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आईटी पहल का प्रमुख परिदृश्य दशकों पहले कंपनी में वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों को नियंत्रित करने के लिए विश्व स्तरीय Oracle EBS ERP सिस्टम की तैनाती करके शुरू हुआ था। हाल ही में इसने अपने डेटा सेंटर और साथ ही मल्टी क्लाउड सेटअप में हाई एंड सर्वर, SAN स्टोरेज, DR सर्वर, टेप लाइब्रेरी आदि को लागू करके अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप को बढ़ाया है। Oracle EBS ERP सिस्टम Oracle 21c डेटाबेस प्लटफार्म में बिजनेस इंटेलिजेंस (BI) ECC मॉड्यूल के साथ 12.2 के नवीनतम और उच्चतर एप्लिकेशन संस्करणों में माइग्रेशन के अंतिम चरण में हैं। यह कंपनी को व्यापक सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता प्रदान करने और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह BI आधारित रिपोर्टिंग टूल ERP से वास्तविक समय का डेटा प्राप्त करता है और विभिन्न वित्तीय और MIS स्टेटमेंट तैयार करने में मदद करता है। कंपनी ने अपने सभी हितधारकों को होस्ट-टू-होस्ट (H2H) पद्धति द्वारा भुगतान को स्वचालित करने के लिए डिजिटल परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, कंपनी के ERP सर्वर को सीधे विभिन्न समर्पित बैंक सर्वर से जोड़कर मानवीय त्रुटि की संभावनाओं को कम किया है और साथ ही भारी व्यावसायिक प्रयासों को भी कम किया है। यह ईआरपी एचआरएमएस: ईआईएस के साथ एकीकृत है – यह कंपनी का एकल खिड़की पोर्टल है, जहां सभी कर्मचारियों को सीधे अपनी डिजिटल सेवा पुस्तिका के साथ-साथ कागज रहित स्वयं सेवा एचआरएमएस गतिविधियों तक पहुंच मिल रही है, जिसमें अवकाश, वेतन पर्ची, पीएफ पर्ची, फॉर्म 16, मूल्यांकन, परिपत्र, सुझाव बॉक्स आदि शामिल हैं।

कागज रहित कार्यालय की दिशा में, कंपनी ने इन-हाउस परिष्कृत डिजाइन के साथ ई-फाइल-ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के नवीनतम उपकरणों और ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी की विशेषताओं वाले ओटीपी आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया है, जो संगठन के भीतर फाइलों, नोट शीट और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुमोदन और आंदोलन के लिए प्रक्रियात्मक दक्षता को सक्षम बनाता है। भारत सरकार की ओर से कागज रहित कार्यालय पहल की दिशा में, कंपनी ने परियोजना, सलाहकार और ग्राहक के बीच डिजाइन और ड्राइंग अनुमोदन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए ई-पीएमएस प्रणाली भी शुरू की है। साथ ही केंद्रीय भुगतान प्रसंस्करण प्रणाली (सीपीपीएस) कुल भुगतान अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और तेज करने की एक पहल है। कंपनी ने सभी कार्यालयों और परियोजना स्थलों के लिए एक समर्पित सर्वर के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और गतिशील अवकाश प्रबंधन प्रणाली के लिए एचआरएमएस:ईआईएस इंटरफ़ेस के साथ एकीकृत बायो-मेट्रिक सर्वर शुरू किया। कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं की प्रभावी, गतिशील परियोजना नियोजन और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, आईटी ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जहाँ साप्ताहिक/पाक्षिक परियोजना प्रगति प्रगति डेटा और प्रगति फोरो के साथ-साथ विविध ग्राफिकल प्रतिबिंब के साथ परिलक्षित होती है। कंपनी ने कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अपना स्वयं का ई-डॉक्स सिस्टम शुरू किया है। कंपनी

MS CERT

Certificate Of Registration

Information Security Management System

This is to certify that the ISMS of

BRIDGE AND ROOF CO. (INDIA) LTD.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Address: Head Office:427/1 G.T.Road, Howrah-711 101, West Bengal, India.
Regd. Office: 2/1 Russel Street, Kankaria Centre, 5th Floor, Kolkata-700071, W.B., India.

has been assessed and found to comply with the requirements of:

ISO 27001:2022

(Information Security Management System)

Scope of Certification:

Multidisciplinary Services in Design, Engineering, Procurement, Construction and Management of Construction Projects including Project Management Consultancy in the fields of Infrastructure, Industrial and other Construction Projects including Workshop to Secure the Information as per Statement of Applicability Ver No.1 dated 02.06.2023

Sector Code: 28

Certificate Number: IN/ISMS/00012/10068

Issue no.: 01

Date of approval : 07.07.2023 Valid until : 06.07.2026
Revision no: nil Revision date : nil

Original Certification Date: 07.07.2023

May 2024 — Surveillance Audit 1st Year

S. Dutta
Managing Director

May 2025 — Surveillance Audit 2nd year

IAF IAS ACCREDITED MS CERT

MSCB- 240

MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

Address: 3/23, R.K. Chatterjee Road, Kolkata-700042, West Bengal, India.
www.mscertification.net
The validity of this certificate can be verified at iafcertsearch.org or www.mscertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.
F66.rev.05

ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय और अन्य कार्यालयों के लिए निगरानी प्रणाली, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (वीएमएस) / ई–गेट पास प्रणाली भी शुरू की है। विभिन्न परियोजना स्थलों पर तैनात परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग के लिए 'एसेट ट्रैकिंग' पोर्टल चालू है। सभी ऑनलाइन पोर्टल Meity द्वारा सूचीबद्ध मल्टी–क्लाउड वातावरण में लागू किए गए हैं।

कंपनी की अधिकांश खरीद एनआईसी जीईपीएनआईसी की सरकारी ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से की जाती है, जो सार्वजनिक खरीद क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में पेश की जाती है और जीईएम पोर्टल और कंपनी के अपने ई–टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से सभी चरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले कार्य प्रवाह तंत्र के साथ सिस्टम द्वारा उत्पन्न इंडेंट और ऑर्डर के साथ खरीद आवश्यकताओं और खरीद जैसे कार्यों को स्वचालित करने के लिए और सभी परियोजना स्थलों में इन्वेंट्री प्रबंधन की सुविधा और नियंत्रण के लिए कंपनी ने समर्पित पोर्टल के माध्यम से इंजीनियरिंग सामग्री प्रबंधन प्रणाली शुरू की।

सभी आईटी परिचालनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आईटी विभाग कर्मचारियों के लिए 1000 से अधिक मानव–घंटे कवर करने वाले वीसी के माध्यम से व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये है और साथ ही अपनी आईटी टीम के लिए सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, मायएसक्यूएल, लारवेल और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क पर बाहरी विशेषज्ञों द्वारा 60 मानव–घंटे का प्रशिक्षण आयोजित करवाएं है।

कंपनी ने परियोजनाओं की समीक्षा, बोलीदाताओं के साथ बैठकों आदि के लिए निर्बाध बैठकों के लिए हार्डवेयर के साथ–साथ सॉफ्टवेयर मोड (सिस्को–वेबएक्स) पर समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू की। कंपनी की ई–मेल सेवा अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारत सरकार के पास 60 एमबीपीएस आईएलएल बैकबोन और बैकअप लाइन के साथ है और कवच की शुरुआत करके उच्च अंत सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

साइबर सुरक्षा पहल का नेतृत्व महाप्रबंधक (आईटी) द्वारा आईटी विभाग के सूचना सुरक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में किया जाता है। आईटी विभाग के सूचना सुरक्षा प्रकोष्ठ ने 'आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं' के लिए विस्तृत मैनुअल और 'साइबर संकट प्रबंधन योजना' के लिए मैनुअल तैयार किया और डेटा सेंटर के नेटवर्क सर्किट में सिस्को फ़ायरवॉल, फ़ोर्टिगेट फ़ायरवॉल और हनी पॉड डिवाइस आदि जैसे सुरक्षा घटकों को भी स्थापित किया है। दो साल पहले कंपनी ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 27001: 2022 का प्रमाणन प्राप्त किया और बाद में डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और निर्माण परियोजनाओं के प्रबंधन में बहु–विषयक सेवाओं के दायरे को कवर करते हुए ऑडिट पूरा किया, जिसमें कार्यशाला सहित बुनियादी ढांचा औद्योगिक और अन्य निर्माण परियोजनाओं के क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन परामर्श शामिल है ताकि प्रयोज्यता के विवरण के अनुसार सूचना को सुरक्षित किया जा सके। कंपनी कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है और CERT–In और NCIIPC द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सिमुलेशन भी करती है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट का परीक्षण और ऑडिट किया गया है और पाया गया है कि यह Cert–IN (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप है और इसे 'वेब सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्र' प्राप्त हुआ है। यह Cert–IN दिशानिर्देश के अनुसार GIGW 3.0 मानदंडों का भी अनुपालन करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अपनी सभी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मुख्य परियोजना के विभिन्न आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य/आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों को पूरा करने के लिए परियोजना प्रभाग को समन्वय, सहयोग और सहायता प्रदान करता है। हाल ही में उद्योग क्षेत्र के लिए 20.00 करोड़ रुपये की

ऐसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन कार्य पूरा किया गया, जिन्होंने अपने सेटअप के लिए इंडस्ट्री 4.0 नॉर्म्स का अनुपालन किया और शैक्षणिक संस्थानों के लिए उनके नेटवर्किंग और निगरानी समाधानों के लिए 3.00 करोड़ रुपये का कार्य भी पूरा किया।

इसके अलावा, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइटों के माध्यम से कंपनी की दृश्यता बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट ब्रांडिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष आईटी पहल की गई है।

हाल ही में कंपनी को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित पीएसई समिट में एंटरप्राइज एप्लीकेशन की श्रेणी में आईटी उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला।

14.0 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:

बी एंड आर कंपनी के भीतर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की बेहतरी के लिए निरंतर प्रक्रिया में है। कंपनी को आईएसओ 9001:2015 में अपडेट होने पर गर्व है:

क) बुनियादी ढांचे, औद्योगिक और अन्य निर्माण परियोजनाओं के क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन परामर्श सहित निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और प्रबंधन में बहु–विषयक सेवाएं;

ख) बेली टाइप यूनिट ब्रिज, बंक हाउस और स्टील स्ट्रक्चरल का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति।

पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा बाह्य लेखापरीक्षकों डीएनवी–जीएल द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न की गई है।

DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 171606-2015-AQ-IND-RvA
Initial certification date: 21 February 1997
Valid: 21 February 2024 – 20 February 2027

This is to certify that the management system of
Bridge And Roof Co. (India) Ltd.
Kankaria Centre (5th Floor), 2/1, Russel Street, Kolkata - 700071, West Bengal, India

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Multidisciplinary services in design, engineering, procurement, construction and management of construction projects including project management consultancy in the fields of infrastructure, industrial and other construction projects

Place and date: **Barendrecht, 16 February 2024**
For the issuing office: **DNV - Business Assurance Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Netherlands**

Erie Koek
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 171606-2015-AQ-IND-RvA
Initial certification date: 21 February 1997
Valid: 21 February 2024 – 20 February 2027

This is to certify that the management system of
Bridge And Roof Co. (India) Ltd.
Kankaria Centre (5th Floor), 2/1, Russel Street, Kolkata - 700071, West Bengal, India

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Multidisciplinary services in design, engineering, procurement, construction and management of construction projects including project management consultancy in the fields of infrastructure, industrial and other construction projects

Place and date: **Barendrecht, 16 February 2024**
For the issuing office: **DNV - Business Assurance Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Netherlands**

Erie Koek
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

15.0 निदेशक

दिनांक 6 सितंबर, 2023 के आदेश संख्या 7(3)/98–पीई.IV/सीपीएसई–I के अनुसरण में राष्ट्रपति ने भारी उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मुक्ता शेखर को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक श्री राजेश कुमार, सीसीए, एमएचआई के स्थान पर बी एंड आर बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

16.0 निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31 मार्च, 2024 तक कंपनी में सात निदेशक हैं, जिनमें से तीन पूर्णकालिक निदेशक हैं [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना प्रबंधन), दो सरकारी नामित निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक। कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से अनुरोध किया है। स्वतंत्र निदेशकों के पद पर एक रिक्ति थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे:–

1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)– श्री राजेश कुमार सिंह 08.10.2021 से
2) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)– श्री नव रत्न गुप्ता 20.04.2023 से
3) कंपनी सचिव (सीएस)– श्रीमती राखी कर 01.04.2014 से।

17.0 बोर्ड की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पांच बार बैठक हुई – 07 जून, 2023, 25 जुलाई, 2023, 30 अगस्त, 2023, 29 दिसंबर, 2023 और 21 मार्च, 2024। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। इसके अलावा, वित्त वर्ष: 2023–24 के दौरान, बोर्ड की विभिन्न समितियों की निम्नलिखित समय

समितियां:	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बैठकें
लेखा परीक्षा समिति	5
सीएसआर	3
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	2

बोर्ड की बैठकें आम तौर पर कोलकाता में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। हालांकि, इस मामले पर डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार और पर्यटन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने/उद्योग संयंत्र और साइट की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल की एक बैठक चेन्नई में आयोजित की गई थी।

18.0 भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन:

सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में कंपनी और उसके प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारी उद्योग मंत्रालय के बीच हर साल एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले मापदंडों और उनके लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। एमओयू मूल्यांकन वर्ष के पूरा होने पर वास्तविक उपलब्धि बनाम लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, जिसके आधार पर कंपनी की एमओयू रेटिंग दी जाती है। पिछले वित्त वर्ष: 2022–23 के दौरान कंपनी ने "बहुत अच्छा" की रेटिंग हासिल की और वित्त वर्ष: 2023–24 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग की उम्मीद है।

19.0 सतर्कता तंत्र:

कंपनी में सतर्कता विभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य–प्रणाली में अनियमितताओं को रोकने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रहा है। अवैध व्यवहार से मुक्त स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए संगठन के लोगों की गतिविधियों की निगरानी और निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के कार्यों में दोष खोजने के बजाय समय–समय पर सीवीसी, डीपीई, डीओपीटी द्वारा निर्दिष्ट नियमों और विनियमों का पालन करने पर अधिक जोर दिया गया है। निर्माण उद्योग की निरंतर बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया में पारदर्शिता और बिना किसी उल्लंघन के नियमों और विनियमों का पालन करना और प्रणाली और प्रक्रियाओं का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सतर्कता की अवधारणा चूक होने का इंतजार करने को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि यह इस तथ्य पर काम करती है कि उन खामियों को कैसे टाला जा सकता है ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके, इस प्रकार, कंपनी निवारक सतर्कता की अवधारणा को बढ़ावा देती है। गतिविधियों के हर क्षेत्र में नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता के साथ–साथ अवैध गतिविधियों की प्रभावी स्कैनिंग और रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। निवारक सतर्कता सुशासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक साधन है। कंपनी निर्माण व्यवसाय गतिविधियों के हर क्षेत्र में निवारक सतर्कता, नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता के महत्व के माहौल को बढ़ावा देती है, साथ ही निरंतर निगरानी के माध्यम से अवैध गतिविधियों की प्रभावी जांच करती है।

कर्मचारी लागू कानूनों और विनियमों और आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। रिपोर्ट करने योग्य मामलों को नोडल अधिकारी को बताया जा सकता है जो ऑडिट कमेटी की देखरेख में काम करता है। कर्मचारी ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी कर्मचारी को ऑडिट कमेटी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया

20.0 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):

हमारी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। वर्ष 2023–24 के दौरान कोई यौन उत्पीड़न का मामला रिपोर्ट/निपटारा नहीं किया गया।

21.0 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण

आपकी कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक सहायक और सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाने के लिए समर्पित है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए कंपनी की एक आंतरिक समिति है। अधिनियम के अनुसार नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनमें नियमित कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर आए लोग, अस्थायी कर्मचारी, तदर्थ कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और एजेंसियों या ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित व्यक्ति शामिल हैं। आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक समिति (आईसी) के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है। आईसी में पाँच सदस्य होते हैं, जिनमें कंपनी के चार अधिकारी और एक गैर सरकारी संगठन का बाहरी सदस्य शामिल होता है। वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

22.0 वैधानिक लेखापरीक्षक:

भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत लेखा वर्ष 2023–2024 के लिए मेसर्स रे एंड रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोलकाता और मेसर्स एल.बी. झा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोलकाता को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

23.0 लागत लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 और उसके तहत नियमों के अनुसार, एक फर्म मेसर्स सुभेंदु दत्ता एंड कंपनी को वार्षिक आम बैठक के समापन तक वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

24.0 सचिवीय लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके तहत नियमों के अनुसार, फर्म मेसर्स सिद्धार्थ बैद, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक आम बैठक के समापन तक कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

25.0 वार्षिक रिटर्न के अंश:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उपधारा 3(ए) और धारा 92 की उपधारा (3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न के अंश, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित, 31 मार्च, 2024 तक वार्षिक रिटर्न के अंश इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जो अनुलग्नक VI के रूप में है।

26.0 आभार:

बोर्ड इस अवसर पर भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकार, बैंकरों, लेखापरीक्षकों, मूल्यवान ग्राहकों, सहयोगियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सबसे बढ़कर कर्मचारियों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्राप्त समर्थन, मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपनी गहरी प्रशंसा और आभार व्यक्त करता है। निदेशकों को आने वाले वर्षों में उनका समर्थन और सहयोग प्राप्त होने का विश्वास है।

निदेशक मंडल की ओर से

(राजेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

कोलकाता
दिनांक: 09.08.2024

ऊर्जा उपयोग पर रिपोर्ट

1. **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम:** **ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड** (केवल हावड़ा वर्क्स के लिए)

2. **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के उत्पाद/सेवाएँ:** ग्राहक के डिज़ाइन और ड्राइंग के आधार पर आवश्यक स्वीकृति के साथ निम्नलिखित उत्पादों का फेब्रिकेशन/विनिर्माण।

   i) स्ट्रक्चरल (बंक हाउस/ब्रिज गर्डर)।
   ii) बेली ब्रिज

3. **पिछले दो वर्षों के दौरान ऊर्जा के विभिन्न रूपों और टर्नओवर का उपयोग (व्यय) (बिजली, डीजल, प्राकृतिक गैस – प्रत्येक का विवरण दें)**

क्र. सं.	ऊर्जा के रूप	वित्तीय वर्ष: 2022-23			वित्तीय वर्ष: 2023-24		
		ऊर्जा व्यय (₹ लाख में)	टर्नओवर (₹ लाख में)	%	ऊर्जा व्यय (₹ लाख में)	टर्नओवर (₹ लाख में)	%
1	बिजली	108.68	2322.54	4.66%	105.83	1925.62	5.50%
2	एचएसडी	2.59		0.11%	2.59		0.13%
3	एल.पी.जी. और बीएमसीजी	3.92		0.17%	4.45		0.23%
	कुल	115.19		4.94%	112.87		5.86%

4. **ऊर्जा लेखापरीक्षा का विवरण, यदि किया गया हो:**

   क) कब (वर्ष) और किस एजेंसी द्वारा : वित्तीय वर्ष: 2022-23, मेसर्स डीएस क्यूब एनर्जी एंड एनवायरो कंसल्टेंट्स द्वारा। फ्लैट 2ए, दक्षिणायन अपार्टमेंट, 337 एनएससी बोस रोड, कोलकाता-700084

   (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा सेवा विभाग, हावड़ा में प्रक्रियाधीन है)

   ख) ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए भुगतान की गई राशि : ₹ 25,488/- (करों सहित)

   ग) क्या ऊर्जा लेखापरीक्षा में संपूर्ण पीएसई अर्थात सभी इकाइयां शामिल थीं या केवल आंशिक। यदि आंशिक, तो विवरण दें : लेखापरीक्षा में संपूर्ण हावड़ा वर्कशॉप को शामिल किया गया है।

   घ) दी गई सिफारिशों की कुल संख्या : 4

5. **वित्त वर्ष 2022-23 की सिफारिशों के अनुरूप वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पहले से उठाए गए कदम/उपाय:**

   i) कम दक्षता वाली ए.सी. मशीनों की नियमित ओवरहालिंग और रखरखाव किया जा रहा है।
   ii) पुरानी ए.सी. इकाइयों को बी.ई.ई. स्टार-रेटेड से बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
   iii) लाइन लॉस से बचने के लिए रन स्क्रू कंप्रेसर लगाना।
   iv) आइसोलेशन पेंटिंग और शॉट ब्लास्टिंग के लिए पुराने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को ऊर्जा कुशल स्क्रू कंप्रेसर से बदल दिया गया है।

अनुबंध – II

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उपलब्धियां

1. विशिष्ट क्षेत्र जहां अनुसंधान, विकास और तकनीकी उपलब्धियां हासिल की गईं:

क) वेट फ्लू गैस डी–सल्फराइजेशन (एफजीडी) का उपयोग करके प्रदूषण पैदा करने वाली गैसों जैसे SO_2, NO_x और CO_2 के मापन के लिए UV डिफरेंशियल ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक के बजाय इन्फ्रा–रेड (IR) एब्जॉर्प्शन तकनीक का उपयोग।

ख) निर्माण के दौरान पानी का उपयोग करने के स्थान पर जैकिंग विधि द्वारा फ्लोटिंग रूफ टैंक की डबल डेक रुफ को उठाना।

ग) टैंक के निर्माण के दौरान गर्थ वेल्डिंग मशीन का उपयोग करके क्षैतिज बट जोड़ों की वेल्डिंग।

2. अनुसंधान, विकास और तकनीकी उपलब्धियों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ:

क) SO_2, NO_x और CO_2 जैसी प्रदूषण पैदा करने वाली गैसों के मापन के लिए यूवी डिफरेंशियल ऑप्टिकल अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रौद्योगिकी के स्थान पर इन्फ्रा–रेड (आईआर) अवशोषण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वेट फ्लू गैस डी–सल्फराइजेशन (एफजीडी)।

- प्रदूषण फैलाने वाली गैसों जैसे SO_2, NOX और CO_2 के मापन के लिए यूवी डिफरेंशियल ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी (UV DOAS) तकनीक के बजाय, शोध किया गया और इन्फ्रा–रेड (IR) एब्जॉर्प्शन तकनीक का उपयोग करने का सुझाव दिया गया, जो SO_2, NO_x, CO, CO_2 और H_2O जैसी गैसों से होने वाले प्रदूषण को एक साथ माप सकती है।
- यह CO2, H2O, तापमान, दबाव और रिमोट कैलिब्रेशन सुविधा के संबंध में ऑनलाइन सामान्यीकरण की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- UV स्रोत का जीवन 18 महीने से कम है, इसलिए UV लैंप को बार–बार बदलने की आवश्यकता होती है, जबकि इन्फ्रा–रेड (IR) स्रोत का जीवन 10 वर्ष से अधिक है।

ख) निर्माण के दौरान पानी का उपयोग करने के स्थान पर जैकिंग विधि द्वारा फ्लोटिंग रूफ टैंक की डबल डेक रुफ को उठाना।

- इस प्रक्रिया में सभी नोजल को बंद करना, पानी भरना, पानी निकालना, नोजल को खोलना शामिल है, जिसे पूरा होने में कुल मिलाकर औसतन 10 दिन लगते हैं।
- इस जैकिंग प्रक्रिया में उठाने के लिए केवल 8 से 10 घंटे लगते हैं।
- यह विधि अधिक दक्षता, समय की बचत, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता प्रदान करती है।

ग) टैंक के निर्माण के दौरान गर्थ वेल्डिंग मशीन का उपयोग करके क्षैतिज बट जोड़ों की वेल्डिंग।

- यह एक सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है। कई खंडों से बनी रेल को क्षैतिज जोड़ के ऊपर एक उपयुक्त ऊंचाई पर मजबूती से स्थिर किया जाता है, जिसे गर्थ वेल्डिंग मशीन का उपयोग करके वेल्ड किया जाना है।
- गर्थ वेल्डिंग मशीन का उपयोग संपूर्ण वेल्डिंग के लिए किया जा सकता है, यानी छत वेल्डिंग से लेकर अंतिम वेल्डिंग तक या हॉट पास से लेकर अंतिम वेल्डिंग तक।
- मैनुअल वेल्डिंग की तुलना में बहुत तेज़ है और वेल्डर की आवश्यकता को कम करती है।
- वेल्डिंग की मरम्मत की संभावना लगभग शून्य है और इस प्रकार पुनः काम करने की संभावना लगभग शून्य है।
- चूंकि वेल्डिंग फ्लक्स द्वारा कवर की जाती है, इसलिए पिघली हुई धातु के साथ ऑक्सीजन के संदूषण या फंसने की संभावना शून्य है।

3. भविष्य की अनुसंधान एवं विकास योजना:

क) रिफाइनरी परियोजनाओं के लिए एलपीजी मार्केटिंग टर्मिनल प्रोसेस प्लांट की प्रारंभिक इंजीनियरिंग।

ख) उपकरणों का उन्नयन/आधुनिकीकरण।

ग) डबल लेन मॉड्यूलर स्टील बेली ब्रिज का डिजाइन और विकास।

घ) रिम सील अग्निशमन उपकरण का निर्माण।

4. वित्त वर्ष 2023–24 में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

पूंजी : ₹ शून्य

राजस्व : ₹ 3.04 करोड़

कुल : ₹ 3.04 करोड़

5. प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुकूलन: –

क) वेट फ्लू गैस डी–सल्फराइजेशन (एफजीडी) का उपयोग करके प्रदूषण फैलाने वाली गैसों जैसे SO2, NOX, और CO2 के मापन के लिए यूवी डिफरेंशियल ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक के बजाय इन्फ्रा–रेड (आईआर) एब्जॉर्प्शन तकनीक का उपयोगे । ख) निर्माण के दौरान पानी का उपयोग करने के स्थान पर हाइड्रोलिक जैकिंग विधि द्वारा फ्लोटिंग रूफ टैंक की डबल डेक रुफ को उठाना। ग) टैंक के निर्माण के दौरान गर्थ वेल्डिंग मशीन का उपयोग करके क्षैतिज बट जोड़ों की वेल्डिंग।	प्रौद्योगिकी को अवशोषित कर लिया गया है

निर्माण के दौरान पानी का उपयोग करने के स्थान पर जैकिंग विधि द्वारा फ्लोटिंग रूफ टैंक की डबल डेक रुफ को उठाना।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व

समूह	31 दिसंबर 2023 तक कर्मचारियों की संख्या				पिछले कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य तरीकों से		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ग्रुप ए	627	104	8	70	3	0	0	0	154	19	3			
ग्रुप बी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ग्रुप सी	208	12	0	14	0	0	0	0	34	3	0			
ग्रुप डी														
(साफाइ कर्मचारी को छोड़कर)	142	13	2	10	0	0	0	0	54	5	1			
ग्रुप डी (साफाइ कर्मचारी)	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
कुल	**984**	**136**	**10**	**94**	**3**	**0**	**0**	**0**	**242**	**27**	**4**			

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	31 दिसंबर 2023 तक कर्मचारियों की संख्या				पिछले कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या													
					सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओह	वीएच	एचएच	ओह	कुल	वीएच	एचएच	ओह	वीएच	एचएच	ओह	कुल	वीएच	एचएच	ओह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ग्रुप ए	627	0	0	4				0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0	0
ग्रुप बी	0	0	0	0				0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0	0
ग्रुप सी	208	3	3	3				0	0	0	0				2	1	0	1
ग्रुप डी	149	3	3	2				0	0	0	0				5	2	3	0

टिप्पणी: (i) वी.एच. का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

(ii) एचएच का अर्थ है श्रवण विकलांग (श्रवण दोष से पीड़ित व्यक्ति)

(iii) ओएच का अर्थ है अस्थि विकलांग (चलने-फिरने में अक्षमता या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

अनुबंध – V

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

1. दृष्टि

कंपनी का विज़न, समुदायों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, पारदर्शी और नैतिक तरीके से आर्थिक, सामाजिक और टिकाऊ तरीके से अपने कार्यों को संचालित करने में निर्माण क्षेत्र में अपने साथियों के बीच निरंतर नेतृत्व का प्रदर्शन करना है।

2. मिशन

बी एण्ड आर अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को एकीकृत करने का प्रयास करेगा और समाज की सतत विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम संभव समाधान प्रदान करने की दिशा में काम करेगा।

3. उद्देश्य

सीएसआर नीति के उद्देश्य हैं:

3.1. बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के बोर्ड द्वारा दिया गया दृष्टिकोण और दिशा–निर्देश।

3.2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 और उसके संशोधनों के तहत अनुसूची VII में निर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को परिभाषित करना।

3.3. सीएसआर गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

3.4. कंपनी की सीएसआर नीति, कार्यक्रमों और पहलों के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाना।

3.5. सतत विकास को बढ़ावा देना और व्यवहार्यता अध्ययन सहित अपनी सभी गतिविधियों में सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं और उनके प्रभावों पर उचित ध्यान देना।

3.6. सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने में हितधारकों के साथ जुड़ाव।

4. सीएसआर संगठन संरचना

बी एंड आर में कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना होगी।

4.1. बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति

4.1.1. बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा किया जाता है और इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करने और इस संबंध में उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करने के लिए किया गया है।

4.1.2. समिति का पुनर्गठन निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में है।

4.1.3. इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

- ✓ स्वतंत्र निदेशक : अध्यक्ष
- ✓ अन्य स्वतंत्र निदेशक : सदस्य
- ✓ निदेशक (परियोजना प्रबंधन) : सदस्य
- ✓ निदेशक (वित्त) : सदस्य
- ✓ सरकार द्वारा नामित निदेशक : सदस्य

4.1.4. बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति निम्नलिखित को तैयार करेगी और कंपनी के निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी:

4.1.4.1. सीएसआर नीति

4.1.4.2. अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में वार्षिक कार्य योजना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे;

- कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों की सूची;
- ऐसी गतिविधियों के निष्पादन का तरीका;
- परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए निधियों के उपयोग और कार्यान्वयन कार्यक्रम के तौर–तरीके;
- गतिविधियों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र; और
- कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव आकलन, यदि कोई हो, का विवरण

4.2. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति

4.2.1. बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति को बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति द्वारा समर्थन दिया जाता है।

4.2.2. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति का नेतृत्व बी एण्ड आर के एक वरिष्ठ कार्यकारी द्वारा किया जाता है, जिसे नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है और इसमें अन्य बी एण्ड आर अधिकारी शामिल होते हैं।

4.2.3. समिति कंपनी की सीएसआर नीति, कंपनी अधिनियम की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 और उसके संशोधनों के अनुसार कंपनी की सीएसआर पहलों का समन्वय और कार्यान्वयन करेगी।

5. प्रमुख फोकस वाले क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इसके आगे विस्तृत किए गए संशोधनों के तहत अनुसूची VII में निर्दिष्ट अनुसार गतिविधियाँ की जाएंगी; समय–समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश, या तो सीधे या ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण के माध्यम से। कंपनी सीएसआर गतिविधियों में अपने प्रमुख क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित की परिकल्पना करती है:

5.1 सामान्य सीएसआर थीम के अनुरूप गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.2 ऐसी गतिविधियाँ जो समुदायों को लाभान्वित करती हैं जैसे स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आदि

5.3 इंजीनियरिंग, निर्माण और संबद्ध उद्योग में रोजगार के संदर्भ में लाभकारी प्रदर्शन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना, साथ ही कम सहायता और स्वतंत्रता के साथ बेहतर जीवन जीना।

6. सीएसआर गतिविधियों का चयन

6.1 गतिविधियों का स्थान:

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, उन गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है जो कंपनी के परियोजना स्थानों में और उसके आसपास स्थित हैं, उनमें से अधिकांश अधिमानतः आकांक्षी जिलों में हो सकती हैं, ताकि इसके वाणिज्यिक संचालन से निकटता से प्रभावित लोगों, पर्यावरण और हितधारकों से जुड़ सकें। इसके अलावा, सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाना और गतिविधियों की प्रगति/प्रदर्शन पर नियमित निगरानी करना आसान है।

6.2 गतिविधियों का चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और उसके संशोधनों के तहत अनुसूची VII में निर्दिष्ट मदों में से गतिविधि।

7. सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन

7.1. बी एण्ड आर स्वयं सीएसआर गतिविधि कर सकता है।

7.2. कोई कंपनी सीएसआर गतिविधियों या कार्यक्रमों को इस तरह से करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग भी कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी गतिविधियों या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

7.3. कंपनी एक बाहरी कार्यान्वयन एजेंसी को नियुक्त कर सकती है जिसे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

7.3.1. संगठन अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी होना चाहिए; या संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित इकाई; या अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, और समान गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

7.3.2. बाहरी कार्यान्वयन एजेंसी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के माध्यम से फॉर्म सीएसआर–1 दाखिल करके केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

7.3.3. एजेंसी को पिछले तीन वर्षों के दौरान समान प्रकृति की गतिविधियों के निष्पादन का अनुभव होना चाहिए।

7.3.4. फर्म के वार्षिक खातों का ऑडिट किया जाना चाहिए।

7.3.5. सरकारी एजेंसियों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ काम करने का अनुभव रखने वाली एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

8. वित्तीय बजट और व्यय नियंत्रण

8.1. निर्धारित सीएसआर व्यय पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ या उसके किसी भाग का 2% है। औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की जाएगी।

8.2. सीएसआर बजट को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

8.3. यदि कंपनी निर्धारित राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो खर्च न करने के कारणों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निर्दिष्ट करना होगा। ऐसी अव्ययित राशि, यदि कोई हो, को निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा:

8.3.1. 'चल रही परियोजनाओं' से संबंधित अव्ययित राशि : वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर 'अव्ययित सीएसआर खाते' में जमा की जाएगी।

8.3.2. 'चल रही परियोजनाओं के अलावा' से संबंधित अव्ययित राशि : वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में शामिल किसी भी निधि में

8.4. सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष किसी कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और उसे उसी परियोजना में वापस लगाया जाएगा या उसे अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कंपनी की सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा या ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

8.5. जहां कंपनी आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, ऐसी अतिरिक्त राशि को तत्काल बाद के तीन वित्तीय वर्षों तक खर्च करने की आवश्यकता के विरुद्ध सेट ऑफ किया जा सकता है।

8.6. किसी कंपनी के सीएसआर एजेंडे को लागू करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सभी हितधारकों, चाहे आंतरिक या बाहरी, की भागीदारी के लिए कॉर्पोरेट संचार रणनीतियों पर किए गए व्यय को इस उद्देश्य के लिए आवंटित बजट और निर्धारित सीमाओं से सीएसआर व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाएगा और इसे प्रशासनिक ओवरहेड व्यय में भी शामिल किया जाएगा। हालाँकि, प्रशासनिक ओवरहेड्स वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

9. सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी

9.1. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति सभी प्राप्त सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगी और इच्छित लक्ष्य के लाभ को ध्यान में रखते हुए भौतिक और वित्तीय व्यवहार्यता को मान्य करेगी।

9.2. चयनित परियोजना और निधि आवंटन को निदेशक मंडल को उनकी मंजूरी के लिए आगे की सिफारिश के लिए बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति के समक्ष रखा जाएगा।

9.3. एक बार सीएसआर गतिविधियों को मंजूरी मिलने के बाद, बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:–

9.3.1. परियोजना का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन विशेष रूप से लागत अनुमान।

9.3.2. परियोजना के मील के पत्थर और उनकी मापनीयता की परिभाषा पर स्पष्टता, विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन और मंजूरी।

9.3.3. प्रत्येक चरण के लिए समय चार्ट / परियोजना कार्यक्रम और वित्त पोषण की आवश्यकताएं।

9.3.4. भुगतान की शर्तें।

9.3.5. कार्यान्वयन एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में एजेंसी और बी एंड आर और किसी अन्य पक्ष की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण होना चाहिए।

9.3.6. परियोजना प्रलेखन

9.4. सीएसआर गतिविधियों की निगरानी:

9.4.1. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति, बी एण्ड आर अधिकारी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आवधिक साइट विजिट/प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से सीएसआर गतिविधि प्रदर्शन/प्रगति की निगरानी करेगी।

9.4.2. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति, बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो आवश्यकतानुसार निदेशक मंडल को कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की प्रगति/प्रदर्शन से अवगत कराएगी।

10. सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्टिंग

10.1. सीएसआर पहलों को कंपनी के शेयरधारकों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए अनिवार्य प्रकटीकरण के रूप में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाएगा। सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार होगा।

10.2. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा:

11. प्रभाव आकलन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार यदि आवश्यक हो, तो कंपनी की सीएसआर पहलों की सफलता और प्रभावशीलता की डिग्री निर्धारित करने के लिए, परियोजना पूरी होने और आवश्यक न्यूनतम निर्माण अवधि (प्रभाव महसूस होने की अवधि) की समाप्ति के बाद प्रभाव आकलन किया जा सकता है। लक्षित लाभार्थियों को मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के संदर्भ में सीएसआर परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए मेगा गतिविधियों के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया जा सकता है।

12. स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन और रिपोर्टिंग:

परियोजना की नियमित निगरानी बी एण्ड आर के स्वयं के कर्मियों द्वारा बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति से की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना योजना के अनुसार आगे बढ़े। गतिविधियों के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा।

दिनांक : 21 अप्रैल, 2022

(RAJESH KUMAR SINGH)
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

2. 31.03.2024 तक सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री आशीष चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष	3	3
2	श्री नव रत्न गुप्ता	निदेशक (वित्त) – सदस्य	3	3
3	श्री रवि कुमार	निदेशक (परियोजना प्रबंधन) – सदस्य	3	3
4	श्री ए. के. घोष	सरकार द्वारा नामित निदेशक – सदस्य	3	2
5	श्री एस. कृष्ण कुमार	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य	3	1

3. वेब–लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। कंपनी की सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट https://www.bridgeroof.co.in/CSR पर उपलब्ध हैं।

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

   सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन लागू नहीं है।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो

   कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से कटौती के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1	2020–21	2,79,918.00	2,79,918.00
2	2021–22	15,77,860.00	15,77,860.00
3	2022–23	38,47,628.00	28,60,702.00
	कुल	**57,05,406.00**	**47,18,480.00**

6. धारा 135(5) के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।

वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ (₹ लाख में)
2020–21	1234.63
2021–22	2918.73
2022–23	5474.36

औसत शुद्ध लाभ	**₹ 3209.24 लाख**

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।

औसत शुद्ध लाभ का 2%	**₹ 64,18,480.00**

(बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।
पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष शून्य है।

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो
वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि 47,18,480.00 रुपये है।

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी–7सी)।
वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी–7सी) 17,00,000.00 रुपये है।

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि		
	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि
64,18,480.00*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*नोट: पिछले 3 वित्तीय वर्षों से सेट ऑफ : ₹ 47,18,480.00

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियाँ : ₹ 17,00,000.00

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान खर्च की गई कुल राशि : ₹ 64,18,480.00

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	चंदौली और सोनभद्र के आकांक्षी जिलों में चिकित्सा विज्ञान संस्थान के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित मालवीय डेंटल इंप्लांट की सेवाओं के विस्तार से संबंधित मोबाइल डेंटल वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	अनुसूची VII की मद (i) – 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना'	हाँ	चंदौली और सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	2 साल	64,40,000	17,00,000	शून्य	नहीं	दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, **सीएसआर पंजीकरण संख्या – CSR00021745**

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम.	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य									

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि

प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि शून्य है।

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो

प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि शून्य है क्योंकि यह लागू नहीं है।

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई)

वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई) 64,18,480.00 रुपये है *

*नोट: पिछले 3 वित्तीय वर्षों से सेट ऑफ: ₹ 47,18,480.00

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियाँ: ₹ 17,00,000.00

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान खर्च की गई कुल राशि: ₹ 64,18,480.00

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	64,18,480.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	64,18,480.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				फंड का नाम	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1	2020–21	शून्य	86,84,338.00	पीएम केयर्स फंड	10,00,000.00	31.03.2021	शून्य
2	2021–22	शून्य	90,90,400.00	–	–	–	शून्य
3	2022–23	शून्य	99,22,268.00	–	–	–	शून्य
	कुल	**शून्य**	**2,76,97,006.00**		**10,00,000.00**		**शून्य**

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम सं.	प्रोजेक्ट आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई	Project duration	परियोजना अवधि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / चालू
1		चंदौली और सोनभद्र के आकांक्षी जिलों में चिकित्सा विज्ञान संस्थान के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में विकसित मालवीय डेंटल इंप्लांट की सेवाओं के विस्तार से संबंधित मोबाइल डेंटल वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	2022–23	2 साल	64,40,000.00	17,00,000.00	64,40,000.00	पूरा हो गया

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

(परिसंपत्ति–वार विवरण)

वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन या अधिग्रहण नहीं किया गया है

(अ) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तिथि। लागू नहीं

(आ) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि। शून्य

(इ) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं

(ई) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित): लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

कंपनी ने धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत पूरी तरह से खर्च कर दिया है।

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	[अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां लागू हो)

फॉर्म संख्या एमजीटी–9 वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

सि आइ एन	U27310WB1920GOI003601
पंजीकरण तिथि	16.01.1920
कंपनी का नाम	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	पब्लिक लिमिटेड/शेयरों द्वारा सीमित
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	'कंकड़िया सेंटर', 5वीं मंजिल, 2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता– 700071 टेलीफोन: +91 33 2217–2108/2274 फैक्स: +91 33 2217–2106
क्या कंपनी सूचीबद्ध है या	असूचीबद्ध

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण दिया जाएगा।

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	उपयोगिता परियोजनाओं का निर्माण	422	35%
2.	अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं का निर्माण	429	54%

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण –

–शून्य–

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्योरा)

श्रेणीवार शेयर होल्डिंग	संलग्नक देखें
प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग	संलग्नक देखें
प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन	शून्य
शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग पैटर्न) (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों के अलावा	संलग्नक देखें
निदेशकों की शेयर होल्डिंग और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी का ऋण:

(आंकड़े करोड़ ₹ में)

	जमाराशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	10.80	0.00	0.00	10.80
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**10.80**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
. योग	139.91	0.00	0.00	139.91
. कमी	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध परिवर्तन	139.91	0.00	0.00	139.91
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	150.71	0.00	0.00	150.71
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)	**150.71**	**0.00**	**0.00**	**150.71**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

i)	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:	अनुलग्नक देखें
ii)	अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक	अनुलग्नक देखें
iii)	एमडी/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक	अनुलग्नक देखें

VII. दंड/सजा/अपराधों का शमन

–शून्य–

VIII. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम			कुल राशि
		आर. के. सिंह (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	रवि कुमार (15.04.2023 से 31.03.2024 तक)	नव रत्न गुप्ता (20.04.2023 से 31.03.2024 तक)	
1	सकल वेतन				
	(अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	**47,28,665.00**	**50,27,760.00**	**51,70,258.00**	**149,26,683.00**
	(आ) निर्वाह भत्ता	–	–	–	–
	(इ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	**32,400.00**	**5400.00**	–	**37,800.00**
	(ई) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–
2	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–
3	स्वेट इक्विटी	–	–	–	–
4	कमीशन	–	–	–	–
	कमीशन	–	–	–	–
	– लाभ के % के रूप में				
	– अन्य (निर्दिष्ट करें)				
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	–	–	–	–
	कुल (क)	**47,61,065.00**	**50,33,160.00**	**51,70,258.00**	**149,64,483.00**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा				

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
		आशीष चतुर्वेदी (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	एस. कृष्ण कुमार (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	
	स्वतंत्र निदेशक बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	1,75,000.00	70,000	2,45,000
	कुल(1)	1,75,000.00	70,000	2,45,000
	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक निदेशक बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क कमीशन अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	–	–	–
	कुल(2)			
	कुल (ख)=(1+2)	**1,75,000.00**	**70,000**	**2,45,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			राशी
		आर. के. सिंह (01.04.2023 से 31.03.2024) (सीईओ)	नव रत्न गुप्ता (20.04.2023 से 31.03.2024) (सीएफओ)	राखी कर (01.04.2023 TO 31.03.2024) (कंपनी सचिव)	
1	सकल वेतन				
	(अ) आयकर अधिनियम 1981 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	47,28,665.00	51,70,258.00	27,19,964.00	1,26,18,887.00
	(आ) निर्वाह भत्ता				
	(इ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	32,400.00	–	–	32,400.00
	(ई) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–
2	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–
3	स्वेट इक्विटी	–	–	–	–
4	कमीशन	–	–	–	–
	– लाभ के % के रूप में	–	–	–	–
	– अन्य (निर्दिष्ट करें....	–	–	–	–
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	–	–	–	–
	कुल	47,61,065.00	50,33,160.00	51,70,258.00	126,51,287.00

शेयर होल्डिंग पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

I) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
अ) व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आ) केंद्र सरकार	0	54627155	54627155	99.35%	0	54627155	54627155	99.35%	0
इ) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ई) कॉर्पोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उ) बैंक / वित्तीय संस्थाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऊ) कोई अन्य.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (क)(1) :-	**0**	**54627155**	**54627155**	**99.35%**	**0**	**54627155**	**54627155**	**99.35%**	**0**
(2) विदेशी									
अ) अनिवासी भारतीय – व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आ) अन्य- व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इ) कॉर्पोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ई) कोई अन्य.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (क)(2) :-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रमोटर (क) की कुल शेयरधारिता = (क)(1)+(क)(2)	**0**	**54627155**	**54627155**	**99.35%**	**0**	**54627155**	**54627155**	**99.35%**	**0**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
(1) संस्थाएं									
अ) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आ) बैंक / एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इ) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ई) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उ) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऊ) बीमा कम्पनियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऋ) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ए) विदेशी उद्यम पूंजी कोष	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऐ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप–योग (ख)(1) :–	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. गैर–संस्थाएं (निर्दिष्ट करें)									
अ) निगमित निकाय									
i) भारतीय	0	357591	357591	0.65%	0	357591	357591	0.65%	0
ii) विदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) ₹ 1 लाख तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	2409	2409	0.00%	0	2409	2409	0.00%	0
ii) ₹ 1 लाख से अधिक नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप–योग (ख)(2) :–	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)	**0**	**360000**	**360000**	**0.65%**	**0**	**360000**	**360000**	**0.65%**	**0**
ग. जी.डी.आर. और ए.डी.आर. के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल योग (क+ख+ग)	**0**	**54987155**	**54987155**	**100.00%**	**0**	**54987155**	**54987155**	**100.00%**	**0**

(II) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/बंधक वाले शेयरों का % कुल शेयरों में	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए/ बंधकित शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	54627155	99.35%	0	54627155	99.35%	0	0

(III) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा) का शेयरधारिता पैटर्न:

क्रम सं.		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि)	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1)	भारत के राष्ट्रपति	54627155	99.35%	शून्य	54627155	99.35%
2)	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	357591	0.65%	शून्य	357591	0.65%
3)	श्रीमती चंद्रलेखा मेहता	600	0.00%	शून्य	600	0.00%
4)	श्रीमती तेहमी केकी धारूवाल	600	0.00%	शून्य	600(आईईपीएफ में स्थानांतरित)	0.00%
5)	श्री अजीत सिन्हा	300	0.00%	शून्य	300	0.00%
6)	सदाशिव त्यागराज सदाशिव	300	0.00%	शून्य	300 (आईईपीएफ में स्थानांतरित)	0.00%
7)	श्रीमती ललिता त्यागराजन	200	0.00%	शून्य	200 (आईईपीएफ में स्थानांतरित)	0.00%
8)	जयानंद गोविंदराज	100	0.00%	शून्य	100	0.00%
9)	सदाशिव गोविंदराज	100	0.00%	शून्य	100 (आईईपीएफ में स्थानांतरित)	0.00%
10)	सदाशिव त्यागराजन	100	0.00%	शून्य	100 (आईईपीएफ में स्थानांतरित)	0.00%

अनुबंध– VII

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 के अंतर्गत खरीद का विवरण

सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा जारी डी.ओ. संख्या 21(1)/2011–एम.ए. दिनांक 25–04–2012 के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए खरीद लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण नीचे दिया गया है:–

(आंकड़े करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान वास्तविक उपलब्धि
1	कुल वार्षिक खरीद	525.00	1278.73
2	एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	131.25	346.41
3	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	21.00	51.92
4	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	15.75	41.05
5	कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का %	25.00%	27.09%
6	कुल खरीद में से केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	4.00%	4.06%
7	कुल खरीद में से केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	3.00%	3.21%
8	एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम	हाँ	हाँ
9	क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद के लिए वार्षिक खरीद योजना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है?	हाँ	हाँ
10	क्या वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्य बताए गए हैं	हाँ	हाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2024
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, read with the Guidance Note on Secretarial Audit of the Institute of Company Secretaries of India]

To,
The Members,
M/s BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD
CIN: U27310WB1920GOI003601
Regd office: 2/1, Russel Street, 5th Floor
Kolkata 700071, West Bengal

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s. **BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD** having **CIN: U27310WB1920GOI003601** having its Registered Office at 2/1, Russel Street, 5th Floor, Kolkata-700071, West Bengal (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Management's Responsibility for Secretarial Compliances

The Company's management is responsible for preparation and maintenance of secretarial records and for devising systems to ensure compliances with the provisions of applicable Laws and Regulations.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate to provide a basis for our opinion.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD** and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the Audit Period from **1st April 2023 to 31st March 2024** ("the Reporting Period") complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company to the extent applicable for the financial year ended on **31st March, 2024** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the Rules made there under;

(iii) The Depositories Act, 1996/2018 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') to the extent applicable: -

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009/2018;
d) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable Regulations/ guidelines / circulars as may be issued by SEBI from time to time;
e) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998/2018; and

(vi) The Management has identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the Company:

a) Labour laws

We have also examined compliances with the applicable clauses of the following:

i. The Secretarial Standards as issued and mandated by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the

SIDHARTH BAID
Kolkata
M. No.: 41677
CP NO.: 13435
Company Secretary in Practice

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

composition of the Board of Directors that took place during the period under review and thereafter were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions taken at Board Meetings and Committee Meetings are carried out unanimously as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committee of the Board, as the case may be.

We further report that during the audit period there were no specific events or actions having a major bearing on Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards etc.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

1. The constitution of Audit Committee was not as per the Companies Act, 2013, due to shortfall of requisite number of independent director on the committee.

2. The Annual General Meeting of the Company for the Financial Year 2022-2023 was convened on 19th September, 2023 which stands adjourned due to wants of Quorum and the same has been conducted on 25th September, 2023.

3. During the year under review, it has been observed that the Company has not transferred the unpaid dividend to Investor Education and Protection Fund for the financial year 2022-23.

We have issued this certificate on the basis of data & soft copy of various documents provided to us through email as well as wherever our audit has required physical documents were verified as much as possible.

Disclosure
This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as ***Annexure - A*** and forms an integral part of this Report.

Sidharth Baid
Company Secretary in Practice
Membership No.: A17677
Certificate of Practice No.: 13436

Place: Kolkata
Date: 20.07.2024
UDIN: A017677F000788491

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

Annexure -A

Annexure to the Secretarial Audit Report of BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD (CIN U27310WB1920GOI003601) for the financial year ended on 31st March, 2024

To,
The Members,
M/s BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD
CIN: U27310WB1920GOI003601
Regd office: 2/1, Russel Street, 5th Floor
Kolkata 700071, West Bengal

Our Secretarial Audit Report for the financial year ended on 31st March, 2024 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on existence of adequate board process and compliance management system, commensurate to the size of the company, based on these secretarial records as shown to us during the said audit and also based on the information furnished to us by the officers and agents of the company during the said audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate, to the best of our understanding, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness, appropriateness and bases of financial records, books of accounts and decisions taken by the board and by various committees of the Company during the period under review. We have checked the board process and compliance management system to understand and to form an opinion as to whether there is an adequate system of seeking approval of respective committees of the board, of the members of the Company and of other authorities as per the provisions of various statutes as referred in the aforesaid secretarial audit report.

4. Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of compliance procedures on test check basis.

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness or accuracy with which the management has conducted the affairs of the Company.

Sidharth Baid
Company Secretary in Practice
Membership No.: A17677
Certificate of Practice No.: 13436

Place: Kolkata
Date: 20.07.2024
UDIN: A017677F000788491

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE : 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE (FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024)

To
The Members
Bridge & Roof Co. (India) Limited
Kankaria Centre, 2/1, Russel Street
5th Floor, Kolkata – 700071

I have examined the relevant records and documents as furnished to me pertaining to the compliance of Corporate Governance by **M/s. Bridge & Roof Co. (India) Limited**, a Union Government Company, for the year ended 31st March, 2024.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. My examination was limited to the procedure and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on financial statements of the Company.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanation given to me, I certify that the Company has generally complied with the guidelines of Corporate Governance framed out by Company.

I further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Company nor efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

SIDHARTH BAID Kolkata M. No. A17677 CP No. 13436 Company Secretary in Practice

Sidharth Baid
Company Secretary in Practice
M. No. : A17677
CP No. : 13436

Place: Kolkata
Date: 19.07.2024
UDIN: A017677F000779042

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के अनुसार तैयार की गई है। रिपोर्ट में ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, एक 'मिनी रत्न श्रेणी I कंपनी' में कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण शामिल है। कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रशासन का एक ठोस ढांचा स्थापित किया है। कॉर्पोरेट प्रशासन कंपनी के हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं, कानूनों के अनुपालन और नैतिक मानकों के पालन का अनुप्रयोग है। हमारा मानना है कि कॉर्पोरेट प्रशासन सभी हितधारकों के साथ मूल्यवान संबंध और विश्वास बनाए रखने के बारे में है, जिसमें उनके मूल्य को अधिकतम करने की प्रतिबद्धता है।

कंपनी का सिद्धांत

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड पारदर्शिता, विश्वास और अखंडता, प्रदर्शन अभिविन्यास, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और हितधारकों के मूल्य के सतत संवर्धन के लिए एक आत्म अनुशासन संहिता के रूप में संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के उच्चतम मानकों के विकास और अपनाने के माध्यम से अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन पर डीपीई द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस संहिता है "कंपनी की हर गतिविधि में उत्कृष्टता के साथ पेशेवर, लाभदायक, पारदर्शी और जवाबदेह होना।" निदेशक मंडल द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए गए कंपनी के प्रमुख मूल्य हैं:

क. रचनात्मक दृष्टिकोण

ख. टीम के रूप में काम करना

ग. प्रदर्शन में उत्कृष्टता

घ. काम और व्यवहार में ईमानदारी

ङ. जिम्मेदार और जवाबदेह होना

निदेशक मंडल:

निदेशक मंडल ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड का सर्वोच्च शासन निकाय है। निदेशक मंडल में कंपनी को रणनीतिक मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करने के लिए उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में समृद्ध ज्ञान और अनुभव रखने वाले विविध क्षेत्रों से लिए गए पेशेवर शामिल हैं। ब्रिज एण्ड रूफ में, हम मानते हैं कि कंपनी का बोर्ड सचेत रूप से शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और नीति दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए नेतृत्व की संस्कृति बनाता है। बोर्ड की कार्रवाइयां कंपनी के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार,ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड एक 'सरकारी कंपनी' है क्योंकि इसकी 99.35% चुकता शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार/भारत सरकार (जीओआई) के पास है और निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

31 मार्च, 2024 तक कंपनी के सात निदेशक हैं, जिनमें से तीन पूर्णकालिक निदेशक [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) और निदेशक (वित्त), दो सरकारी नामित निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक हैं। बोर्ड में एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। चूंकि ब्रिज एण्ड रूफ के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसलिए कंपनी समय–समय पर एमएचआई से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक (महिला निदेशक सहित) और बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध करती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी में कार्यकारी/कार्यात्मक निदेशकों और कम से कम एक महिला निदेशक के साथ गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन रहा।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति संबंधी नीति:

भारत के राष्ट्रपति ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति करते हैं।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव शामिल हैं।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक पर नीति:

बोर्ड के सदस्यों को कार्यात्मक निदेशकों के मामले में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्ति की शर्तों और नियमों के अनुसार निर्धारित निदेशक पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों के मामले में बैठक शुल्क प्राप्त करने के अलावा, कंपनी के साथ कोई भी भौतिक आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं होता है, जो बोर्ड के निर्णय में निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

कंपनी सचिव का पारिश्रमिक कंपनी की नीति और 'शेड्यूल 'बी' कंपनियों के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू वेतनमान के अनुसार है। कर्मचारियों को उनकी योग्यता और कार्य अनुभव, दक्षताओं के साथ-साथ संगठन में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार ग्रेड दिए जाते हैं। व्यक्तिगत पारिश्रमिक उचित ग्रेड के भीतर निर्धारित किए जाते हैं और नौकरी प्रोफ़ाइल, कौशल सेट, वरिष्ठता, अनुभव और समकक्ष नौकरियों के लिए प्रचलित पारिश्रमिक स्तर जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होते हैं।

बोर्ड सदस्यों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट की अधिसूचना जारी की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाले विवरण के संबंध में धारा 134(3)(पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है। इसके अलावा, एमसीए द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र ने यह भी छूट दी है कि नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी।

इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना के तहत अधिनियम की अनुसूची IV में संशोधन किया है, जिसके तहत उसने सरकारी कंपनियों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुपालन करने से छूट दे दी है और यदि संबंधित विभाग या मंत्रालयों ने इन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है तो बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता से भी छूट दे दी है।

इस संबंध में, डीपीई ने पहले ही सभी कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है। कार्यात्मक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन एमएचआई द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी का प्रदर्शन मूल्यांकन एमएचआई के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, और उक्त मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीपीई को प्रस्तुत किया जाता है। एमओयू लक्ष्य नीचे की ओर बढ़ते हैं और व्यक्तियों और टीम के प्रदर्शन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग बनते हैं। आंतरिक एमओयू में वित्तीय, गैर-वित्तीय और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन आदि सहित विभिन्न पैरामीटर शामिल हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशकों के संबंध में, उनका मूल्यांकन एमएचआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

31.03.2024 तक बोर्ड की संरचना निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	31.03.2023 तक अन्य बोर्ड में निदेशकों की संख्या
1	श्री राजेश कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	–
2	श्री रवि कुमार	निदेशक (परियोजना प्रबंधन)	–
3	श्री नव रत्न गुप्ता	निदेशक (वित्त)	–
4	श्रीमती मुक्ता शेखर	निदेशक-सरकार द्वारा नामित	8
5	श्री आदित्य कुमार घोष	निदेशक-सरकार द्वारा नामित	3
6	श्री एस. कृष्ण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	–
7	श्री आशीष चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	3

बोर्ड की प्रक्रिया:

1.0 कंपनी की नीति के अनुसार, बोर्ड द्वारा वैधानिक रूप से तय किए जाने वाले मामलों के अलावा, निवेश और पूंजीगत व्यय, संसाधनों का जुटाना, कर्मचारी मुआवजा आदि से जुड़े सभी अन्य प्रमुख निर्णय और तिमाही प्रदर्शन, परियोजनाओं की प्रगति, औद्योगिक संबंध, बाजार परिदृश्य, बजट और योजना आदि जैसे प्रमुख मुद्दों पर बोर्ड द्वारा नियमित एजेंडा आइटम के रूप में बैठकों में चर्चा की जाती है। विस्तृत एजेंडा नोट आम तौर पर बोर्ड की बैठकों से लगभग एक सप्ताह पहले प्रसारित किए जाते हैं।

भारत सरकार ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए एक नीति तैयार की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा 07.06.2023, 25.06.2023, 30.08.2023, 29.12.2023 और 21.03.2024 को 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं और उपस्थिति निम्नानुसार थी:

निदेशक का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या	क्या पिछली वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था?	अन्य कंपनियों में निदेशक पद	
				अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
श्री राजेश कुमार सिंह (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	5	5	हाँ	–	–
श्री बिस्वजीत बिस्वास निदेशक (परियोजना प्रबंधन)–अतिरिक्त प्रभार (14.04.2023 तक)	–	–	–	–	–
श्री रवि कुमार निदेशक (परियोजना प्रबंधन) 15.04.2023 से	5	5	हाँ	–	–
श्री नव रत्न गुप्ता निदेशक (वित्त) 20.04.2023 से	5	5	हाँ	–	–
श्री आदित्य कुमार घोष (सरकारी नामित– अंशकालिक आधिकारिक निदेशक)	5	4	हाँ	–	3
श्री राजेश कुमार (सरकारी नामित– अंशकालिक आधिकारिक निदेशक) 05.09.2023 तक	3	1	नहीं	–	3
श्रीमती मुक्ता शेखर (सरकारी नामित– अंशकालिक आधिकारिक निदेशक) दिनांक 06.09.2023 से प्रभावी	2	2	नहीं	–	8
श्री एस. कृष्ण कुमार (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	5	2	नहीं	–	–
श्री आशीष चतुर्वेदी (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	5	5	हाँ	–	3

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के पास पीईएसबी, भारत सरकार द्वारा तय अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं होंगी।

1.1 लेखापरीक्षा समिति:

बोर्ड ने निर्णय लेने, नीतियों की समीक्षा करने और प्रबंधन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया है।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कोरम, भूमिका, संदर्भ की शर्तें, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 और 7 तथा समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के साथ पढ़ा जाए।

संरचना, बैठक और उपस्थिति:

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के साथ, लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 और कॉर्पोरेट प्रशासन 2010 पर डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था। 31.03.2024 तक सदस्य थे – श्री आशीष चतुर्वेदी, अध्यक्ष, श्री रवि कुमार, सदस्य, श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य, श्री ए.के.घोष, सदस्य, श्री एस.कृष्ण कुमार, सदस्य।

समिति के विचारार्थ विषय डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) कॉर्पोरेट प्रशासन 2010 के दिशानिर्देश की आवश्यकता के अनुसार हैं और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं,

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और सूचना के प्रकटीकरण की देखरेख;
- सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता, लेखांकन मानकों, दिशा-निर्देशों और विधियों के अनुपालन की प्रबंधन, बाहरी लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
- कंपनी के वित्तीय विवरणों और प्रदर्शन की समीक्षा करना।
- समिति को किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगने, आंतरिक लेखा परीक्षकों की सहायता से किसी भी गतिविधि/कार्य की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बाहरी सहायता की मांग करने की शक्ति सौंपी गई है।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा करना और साथ ही लेखा परीक्षा के बाद किसी भी चिंता के क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना।

वर्ष 2023-24 के दौरान, समिति ने लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किए गए लेखापरीक्षा की समीक्षा की और निर्देश दिए तथा जहाँ भी आवश्यक हो, आगे की जांच और परीक्षण करने की मांग की। समिति ने बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों की भी समीक्षा की और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को महत्व दिया। लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया और उन्हें लागू किया गया।

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 5 बैठकें 07.06.2023, 25.07.2023, 30.08.2023 29.12.2023 और 21.03.2024 को आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार थी:

निदेशक का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री आशीष चतुर्वेदी (अध्यक्ष)	5	5
श्री विश्वजीत विश्वास	–	–
श्री रवि कुमार	5	5
श्री नव रत्न गुप्ता	5	5
श्री ए.के.घोष	5	4
श्री एस. कृष्ण कुमार	5	2

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

संरचना, बैठक और उपस्थिति:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 पर डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) दिशानिर्देश के अनुसार, 31.03.2024 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे: श्री आशीष चतुर्वेदी, अध्यक्ष, श्री रवि कुमार, सदस्य, श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य, श्री ए.के.घोष, सदस्य, श्री एस.कृष्ण कुमार, सदस्य।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं,

1) आम तौर पर, पारिश्रमिक नीतियों और प्रथाओं के लिए जिम्मेदार।
2) कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ/स्टॉक विकल्प और उनके प्रकार।
3) पेंशन/सेवानिवृत्ति/सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ और प्रथाएँ – कभी-कभी, सौदेबाज़ी करने वाले कर्मचारियों/यूनियनों से संबंधित नीतियों के लिए व्यापक अधिदेश।
4) सीईओ और शीर्ष प्रबंधन का रोजगार अनुबंध और पारिश्रमिक।
5) निदेशकों के पारिश्रमिक और संबंधित मामलों के लिए सिफारिशें।
   (शुल्क, लाभ-साझाकरण, स्टॉक अनुदान/विकल्प, नियम और शर्तें आदि)
6) आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों के साथ समन्वय।
7) अन्य कार्य, ज़्यादातर मानव संसाधन से संबंधित, जैसा कि सौंपा गया हो।

वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की दो (2) बैठकें 25.07.2023 और 30.08.2023 को आयोजित की गईं।

निदेशक का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री आशीष चतुर्वेदी (अध्यक्ष)	2	2
श्री विश्वजीत विश्वास	–	–
श्री रवि कुमार	2	2
श्री नव रत्न गुप्ता	2	2
श्री ए.के.घोष	2	2
श्री एस. कृष्ण कुमार	2	1

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के संबंध में संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और अन्य मामले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत लागू नियमों और सीएसआर और स्थिरता, 2014 पर डीपीई दिशानिर्देश के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति का गठन 5 जुलाई, 2013 को किया गया था और कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने पर, इसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के रूप में वैधानिक रूप से गठित किया गया है। 31.03.2024 तक, समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे: श्री आशीष चतुर्वेदी, अध्यक्ष, श्री रवि कुमार, सदस्य, श्री नव रत्न गुप्ता, सदस्य, श्री ए.के.घोष, सदस्य, श्री एस.कृष्ण कुमार, सदस्य।

वर्ष के दौरान, 07.06.2023, 29.12.2023 और 21.03.2024 को 3 (तीन) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बैठकें आयोजित की गईं। उपस्थिति निम्नानुसार थी:

निदेशक का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री आशीष चतुर्वेदी (अध्यक्ष)	3	3
श्री विश्वजीत विश्वास	–	–
श्री रवि कुमार	3	3
श्री नव रत्न गुप्ता	3	3
श्री ए.के.घोष	3	2
श्री एस. कृष्ण कुमार	3	1

1.2 पारिश्रमिक/बैठक शुल्क:

कार्यात्मक (कार्यकारी) निदेशकों को आपकी कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुच्छेद 15 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनका पारिश्रमिक और अन्य नियम व शर्तें सरकार द्वारा तय की गई नियुक्ति की शर्तों द्वारा शासित होती हैं। जबकि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को अनुसूची 'बी' स्केल यानी ₹ 180000–320000/– (01.01.2017 से संशोधित) में नियुक्त किया गया है, अन्य कार्यात्मक निदेशक अनुसूची 'बी' स्केल यानी ₹ 160000–290000/– (01.01.2017 से संशोधित) में हैं। नियुक्ति के अन्य सभी नियम और शर्तें जैसे आवास, कार का प्रावधान आदि सभी के लिए समान हैं और उनके संबंधित नियुक्ति आदेशों में निर्दिष्ट हैं और उक्त आदेश में निर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य शर्तें आपकी कंपनी के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार हैं। वर्ष के दौरान निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

नाम	वेतन एवं लाभ (बकाया सहित)
श्री आर. के. सिंह– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	47,61,065.00
श्री नव रत्न गुप्ता, निदेशक (वित्त) (20.04.2023 से 31.03.2024 तक)	51,70,258.00
श्री रवि कुमार निदेशक (परियोजना प्रबंधन) (15.04.2023 से 31.03.2024 तक)	50,33,160.00

गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। उन्हें बोर्ड की बैठकों और अन्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने की फीस का भुगतान किया जाता है, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय और अनुमोदित किया जाता है।

गैर–कार्यकारी सरकारी निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता है।

1.3 निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता:

कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश 2010 के अनुसार सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यवसाय आचरण और नैतिकता के लिए आचार संहिता जुलाई 2010 के महीने में अपनाई गई थी और कॉर्पोरेट प्रशासन 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

आचार संहिता के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि कंपनी ने बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रबंधन कार्मिकों से यह पुष्टि प्राप्त कर ली है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।

(राजेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

कोलकाता
दिनांक: 09.08.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सीईओ/सीएफओ प्रमाणन।

क) हमने 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (वित्तीय विवरण) और उस तिथि तक नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:–

i) इन वक्तव्यों में कोई भी असत्य कथन नहीं है, कोई भी तथ्य छूटा नहीं है, या कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो भ्रामक हो।

ii) ये दस्तावेज मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं;

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी ऐसा लेन–देन नहीं है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमें ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य कमी नहीं मिली है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है:–

i) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ) ऐसी कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना नहीं हुई है जिसके बारे में हमें जानकारी हो या जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

(राजेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

कोलकाता
दिनांक: 09.08.2024

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट:

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

संचार के साधन:

कंपनी के नतीजे कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.bridgeroof.co.in पर डाले जाते हैं। कंपनी की आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से और निदेशक मंडल को कंपनी में होने वाली प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताती है।

कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लिखित होती है, जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को प्रसारित किया जाता है।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BRIDGE AND ROOF CO. (INDIA) LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of Bridge and Roof Co. (India) Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 July 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Bridge and Roof Co. (India) Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143 (6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

29/08/2024.
(Sarat Chaturvedi)
Director General of Audit (Mines)
Kolkata

Place: Kolkata
Date: 29 AUG 2024

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

वित्तीय विवरण

वार्षिक रिपोर्ट 2023–24

दस साल का सारांश

(आंकड़े लाख ₹ में)

क्रम.	वित्तीय स्थिति	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	कुल आय	401428.39	332835.18	321465.09	270883.55	325489.47	308240.78	205599.64	175140.94	171017.74	143403.03
2	परिचालन से टर्नओवर	400456.57	331538.08	319517.26	270227.47	324660.94	307628.66	205341.36	174745.18	170875.61	143158.90
3	सकल मार्जिन (ईबीआईटीडीए)	19141.41	13028.14	9474.05	9037.03	12923.23	10092.54	6324.91	5791.62	3527.90	4852.13
4	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	10135.97	5665.45	3029.07	1265.88	5091.96	5142.37	2607.35	3008.22	503.16	1788.67
5	कर पश्चात लाभ (पीएटी)	7491.53	4089.96	2127.54	780.15	3142.10	3333.18	1657.37	1825.17	265.37	1199.99
6	नेट ब्लॉक	3505.56	3934.92	4295.26	5460.13	6496.28	5988.55	4852.17	4002.92	4187.72	4893.19
7	कार्यशील पूंजी	51338.45	53273.31	45029.49	45723.39	36630.32	35736.58	33807.53	33090.66	31753.83	30065.77
8	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	71388.00	71801.93	59426.97	56445.85	52209.70	44277.27	40896.78	39296.27	37665.49	36629.06
9	निवल मूल्य	49050.95	42906.26	39583.89	37666.71	37775.23	36218.13	33837.01	32828.20	31263.33	30997.96
10	तरलता अनुपात										
	वर्तमान अनुपात	1.15	1.16	1.15	1.17	1.14	1.16	1.20	1.27	1.23	1.26
11	लाभप्रदता अनुपात										
	बिक्री पर सकल मार्जिन	4.77%	3.91%	2.95%	3.34%	3.97%	3.27%	3.08%	3.31%	2.06%	3.38%
	पीबीटी से बिक्री	2.52%	1.70%	0.94%	0.47%	1.56%	1.67%	1.27%	1.72%	0.29%	1.25%
	पीएटी से बिक्री	1.87%	1.23%	0.66%	0.29%	0.97%	1.08%	0.81%	1.04%	0.16%	0.84%
	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	16.29%	9.92%	5.51%	2.07%	8.32%	9.20%	4.90%	5.56%	0.85%	3.87%
12	व्यय और बिक्री का अनुपात										
	परियोजना की बिक्री लागत	89.38%	88.04%	86.31%	85.50%	83.41%	85.92%	80.51%	78.64%	78.49%	80.54%
	बिक्री के लिए कर्मचारी लागत	5.59%	7.44%	10.08%	10.86%	9.22%	6.95%	8.30%	9.48%	10.41%	9.19%
13	मूल्य संवर्धन										
	कर्मचारी की संख्या	963	1028	1089	1131	1162	1206	1244	1312	1366	1409
	प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन	59.97	52.11	59.33	53.52	64.24	46.40	36.59	31.91	30.85	23.68
14	राजकोष में योगदान	22434.00	20546.00	12634.00	10374.00	14744.00	16552.49	12535.83	12277.96	15007.00	11205.64
15	आंतरिक संसाधन सृजन	8678.61	5319.57	3851.62	2787.63	5414.59	4701.33	2512.75	2597.00	1130.22	2520.19

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015, संशोधित रूप में और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और कुल व्यापक आय (लाभ और अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह।

राय का आधार

2. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

मामलों पर जोर

3. हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं

   क) नोट 30एबी देखें जिसमें कहा गया है कि व्यापार प्राप्य, अनुबंध प्राप्य, व्यापार देय, अन्य वित्तीय देयताएं, अग्रिम और जमा की शेष राशि पुष्टि के अधीन है। हालांकि, प्रबंधन को भौतिक अंतर की उम्मीद नहीं है।

   ख) नोट 30एसी देखें जिसमें कहा गया है कि आईटी प्रणाली की सीमाओं के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य और व्यापार देय की आयु मैन्युअल रूप से गणना की गई है।

   उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य सूचना

4. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपर्युक्त दस्तावेज इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
5. वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
6. वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।
7. जब हम उपर्युक्त दस्तावेजों को पढ़ते हैं, अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उनमें कोई भौतिक गलत बयान है, तो हमें उन लोगों को मामले की जानकारी देनी होगी जो शासन के प्रभारी हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

8. कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

9. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

10. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होता है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

11. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

12. एसए के अनुसार एक ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

13. भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

अन्य मामले

14. इन वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का तुलनात्मक वित्तीय विवरण, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर आधारित है, जिनकी लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी, जिन्होंने उन विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

15. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम अनुलग्नक–ए में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

16. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत आवश्यक के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के उत्तर इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक–बी" में प्रस्तुत किए गए हैं।

17. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी के सतर्कता विभाग द्वारा दी गई किसी भी रिपोर्ट को छोड़कर, हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है। नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 17 (आई) (एफ) में बताए गए मामलों को छोड़कर।

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो स्टेटमेंट और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें संशोधित रूप में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है।

(ङ) धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम कंपनी है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित टिप्पणियां धारा 143(3)(बी) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 17 (बी) और नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 17 (आई)(एफ) में बताई गई हैं।

(ज) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, अनुसूची वी के साथ धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम कंपनी है।

(झ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

अ. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के नोट 30एच का संदर्भ लें।

आ. कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर संभावित हानि के लिए लागू लेखांकन मानकों के अनुसार प्रावधान किए हैं।

इ. 1000 शेयरों पर 0.09 लाख रुपये का अवैतनिक लाभांश हस्तांतरित करने में देरी हुई है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया गया था। यह राशि अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई है।

ई. (i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या उधार या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ii) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधिकरण पक्ष") शामिल है, से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(iii) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी महत्वपूर्ण गलत बयान है।

उ. (क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई अंतरिम लाभांश घोषित किया है और न ही भुगतान किया है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।

ऊ. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें डेटाबेस स्तर को छोड़कर ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 30AD में वर्णित है। हालाँकि, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेन–देन को संपादित करने या हटाने की अनुमति नहीं देता है और इसलिए लेन–देन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

रे एंड रे के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की
पंजीकरण संख्या 301072इ

(ज्योति रंजन मलिक)
भागीदार
सदस्यता संख्या 301020
इउडिआइएन: 24301020विकेएएसआइकिउ8023

एल. बी. झा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की
पंजीकरण संख्या 301088इ

(डी. एन. रॉय)
भागीदार
सदस्यता संख्या 300389
इउडिआइएन: 24300389बिकेडिबिएनके7331

हस्ताक्षर का स्थान: कोलकाता
दिनांक: 20.07.2024

अनुलग्नक–क: स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए

[जैसा कि सम दिनांक की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ 15 में संदर्भित है]

i. (क)(अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(क)(आ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(ख) कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सभी मदों को शामिल किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल अचल संपत्तियों (पट्टे पर ली गई संपत्तियों को छोड़कर) के स्वामित्व विलेख बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी के नाम पर हैं। अचल संपत्तियों के संबंध में जिन्हें पट्टे पर लिया गया है और बैलेंस शीट की तिथि पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में दर्शाया गया है, पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं।

(घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2024 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ii. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है। पुस्तक रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी की अपनी पुस्तकों को तिमाही आधार पर बंद करने तथा तिमाही वित्तीय विवरण तैयार करने की नीति नहीं है, इसलिए हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि बैंक को प्रस्तुत किए गए अभिलेख, लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं या नहीं।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी भी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से (एफ) लागू नहीं होते हैं।

iv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान दूसरों को कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 09.02.2024 के आदेश का अनुपालन किया गया है।

vi. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत की केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए निर्धारित किया है और कंपनी द्वारा ऐसे रिकॉर्ड बनाए गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

vii. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी आमतौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि, जिसमें भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया राशि शामिल है, नियमित रूप से जमा करती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक सीएसटी कर, प्रवेश कर, मूल्य वर्धित कर और आयकर की बकाया राशि का विवरण, जो विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है:

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	विवादित कुल राशि (₹ लाख में)	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	वह फोरम जहां विवाद लंबित है	विरोध के तहत जमा की गई राशि (लाख ₹ में)	जमा नहीं की गई राशि (₹ लाख में)
आंध्र प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	32.12	2013-14	ए.पी वैट अपीलीय न्यायाधिकरण, विशाखापत्तनम	-	32.12
आंध्र प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	81.81	2001-02	एपी वैट अपीलीय न्यायाधिकरण, विशाखापत्तनम	-	81.81
आंध्र प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	217.71	2016- 17 (06/16) से 2017-18 (06/17 तक)	माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	-	217.71
आंध्र प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट पर जुर्माना	217.71	2016- 17 (06/16) से 2017-18 (06/17 तक)	माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	-	217.71
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	434.07	2010-11	उप आयुक्त, अपील, बड़ौदा	-	434.07
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	2,400.55	2011-12	उप आयुक्त, अपील, बड़ौदा	-	2,400.55
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	1,863.11	2012-13	उप आयुक्त, अपील, बड़ौदा	-	1,863.11
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	1,090.69	2013-14	उप आयुक्त, अपील, बड़ौदा	-	1,090.69
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	1,585.53	2014-15	उप आयुक्त, अपील, बड़ौदा	-	1,585.53
हरियाणा वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	42.69	2007-08	संयुक्त आयुक्त अपील, वाणिज्यिक कर, अंबाला	-	42.69
मध्य प्रदेश वैट	प्रवेश कर	156.00	2009-10	कर निर्धारण अधिकारी, बीना	27.70	128.30
मध्य प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	137.09	2009-10	कर निर्धारण अधिकारी, बीना	88.44	48.65
मध्य प्रदेश वैट	सीएसटी	0.05	2014-15	अपीलीय प्राधिकरण (ट्रिब्यूनल), बीना	0.05	-

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	विवादित कुल राशि (₹ लाख में)	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	वह फोरम जहां विवाद लंबित है	विरोध के तहत जमा की गई राशि (लाख ₹ में)	जमा नहीं की गई राशि (₹ लाख में)
मध्य प्रदेश वैट	प्रवेश कर	5.47	2014–15	अपीलीय प्राधिकरण (ट्रिब्यूनल), बीना	5.47	–
उत्तर प्रदेश बिक्री कर	कार्य अनुबंध पर बिक्री कर	37.86	2000–01 से 2001–02	उप आयुक्त अपील, व्यापार	–	37.86
उत्तर प्रदेश बिक्री कर	कार्य अनुबंध पर बिक्री कर	50.44	2004–05	उप आयुक्त अपील, व्यापार कर, मथुरा	–	50.44
पश्चिम बंगाल वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	99.41	2013–14	अपीलीय प्राधिकारी, डब्ल्यूबीएसटीडी	96.75	2.66
सेवा कर	सेवा कर	36.65	अप्रैल 2011 से सितम्बर 2013 तक	सेस्टेट, नई दिल्ली	2.75	33.90
सेवा कर	सेवा कर	57.55	2010–15	सीईएसटीएटी, इलाहाबाद	–	57.55
सेवा कर	सेवा कर	9.96	2011–16	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त (अपील I), फिरोजाबाद	0.74	9.22
सेवा कर	सेवा कर	1,416.14	2009–11	माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, पंजाब	106.21	1,309.93
ओडिशा जीएसटी	माल एवं सेवा कर	168.69	जुलाई 2017 से मार्च 2018	ओडिशा उच्च न्यायालय	16.87	151.82
महाराष्ट्र जीएसटी	माल एवं सेवा कर	480.17	2017–18	राज्य कर उपायुक्त, अपील, महाराष्ट्र	48.02	432.15
महाराष्ट्र जीएसटी	माल एवं सेवा कर	962.38	2018–19	राज्य कर उपायुक्त, अपील, महाराष्ट्र	96.24	866.14
दिल्ली जीएसटी	माल एवं सेवा कर	623.03	2018–19	उपलब्ध नहीं है	–	623.03
दिल्ली जीएसटी	माल एवं सेवा कर	1,685.61	2019–20	उपलब्ध नहीं है	–	1,685.61
दिल्ली जीएसटी	माल एवं सेवा कर	989.90	2020–21	उपलब्ध नहीं है	–	989.90
दिल्ली जीएसटी	माल एवं सेवा कर	255.90	2021–22	उपलब्ध नहीं है	–	255.90
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	50.90	वित्तीय वर्ष 2014 – 15	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	50.90	–
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	65.13	वित्तीय वर्ष 2015 – 16	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	65.13	–
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	104.64	वित्तीय वर्ष 2016 – 17	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	–	104.64
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	44.25	वित्तीय वर्ष 2016 – 17	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	44.25	–

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	विवादित कुल राशि (₹ लाख में)	वह अवधि जिससे संबंधित राशि	वह फोरम जहां विवाद लंबित है	विरोध के तहत जमा की गई राशि (लाख ₹ में)	जमा नहीं की गई राशि (₹ लाख में)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	89.40	वित्तीय वर्ष 2017 – 18	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	–	89.40
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	375.75	वित्तीय वर्ष 2017 – 18	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	375.75	–
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	104.65	वित्तीय वर्ष 2018 – 19	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	104.65	–
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	27.79	वित्तीय वर्ष 2019 – 20	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	27.79	–
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	430.18	वित्तीय वर्ष 2020 – 21	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	430.18	–
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	51.54	वित्तीय वर्ष 2021 – 22	सीआईटी (ए), एनएएफसी, दिल्ली	–	51.54
	कुल	**16,482.52**			**1,587.89**	**14,894.63**

viii. पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

ix. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋणों के पुनर्भुगतान या उधारदाताओं को ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चला कि, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घावधि प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ)और(च) कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है, इसलिए खंड 3 (ix) (ङ) और (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. (क) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है, न ही इसकी सूचना दी गई है, न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान (तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक) किसी भी व्हिसल–ब्लोअर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन के संबंध में अधिनियम की धारा 177 और 188 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। लागू भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता के अनुसार, संबंधित पक्ष लेन–देन का विवरण लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट 30आर में प्रकट किया गया है।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है, और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क)और(ख) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, खंड 3 (xvi) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ग) कंपनी किसी भी समूह से संबंधित नहीं है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को चालू एवं तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

xix. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

xx. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कोई भी निधि अप्रयुक्त नहीं है, इसलिए खंड 3(XX) (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

रे एंड रे के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की
पंजीकरण संख्या 301072इ

(ज्योति रंजन मलिक)
भागीदार
सदस्यता संख्या 301020
इउडिआइएन: 24301020विकेएएसआइकिउ8023

एल. बी. झा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की
पंजीकरण संख्या 301088इ

(डी. एन. रॉय)
भागीदार
सदस्यता संख्या 300389
इउडिआइएन: 24300389बिकेडिबिएनके7331

हस्ताक्षर का स्थान: कोलकाता
दिनांक: 20.07.2024

अनुलग्नक–बी: स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए
[स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 16 में संदर्भित]

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

(1) क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

हां, कंपनी के वर्ष के लिए लेखा लेनदेन को लेखा और वित्त मॉड्यूल, पेरोल और एचआर मॉड्यूल के ईआरपी (ओरेकल ईबीएस) के माध्यम से सू. प्रौ. प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है। कंपनी पूरे भारत में फैले निर्माण व्यवसाय में है जहाँ इन्वेंट्री रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते हैं। इसके अलावा, आईटी सिस्टम की सीमाओं के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों और व्यापार देय राशियों के पुराने विवरण भी मैन्युअल रूप से गणना किए जाते हैं। हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि सू. प्रौ. प्रणाली के बाहर की गई गतिविधियों के लिए वित्तीय पर कोई भौतिक प्रभाव है।

(2) क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है?

समीक्षाधीन अवधि के दौरान ऋण/उधार/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं आया।

(3) क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं

वर्ष के दौरान कंपनी को केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है।

रे एंड रे के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की
पंजीकरण संख्या 301072इ

(ज्योति रंजन मलिक)
भागीदार
सदस्यता संख्या 301020
इउडिआइएन: 24301020विकेएएसआइकिउ8023

एल. बी. झा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की
पंजीकरण संख्या 301088इ

(डी. एन. रॉय)
भागीदार
सदस्यता संख्या 300389
इउडिआइएन: 24300389बिकेडिबिएनके7331

हस्ताक्षर का स्थान: कोलकाता
दिनांक: 20.07.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–सी

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए
[स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 (एफ) में संदर्भित]

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2024 तक ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपना ऑडिट "मार्गदर्शन नोट" और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग पर मानक के अनुसार किया और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जहां तक लागू हो। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

4. हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण में भौतिक गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

5. हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

   1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।

   2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन–देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की

तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटियों या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

8. हमारी राय में और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों के आधार पर, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। कंपनी ने अनौपचारिक प्रथाएं स्थापित की हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर उचित आंतरिक नियंत्रण रखने में प्रभावी हैं। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण की एक औपचारिक प्रणाली कंपनी द्वारा कार्यान्वयन के चरण में है। हमने कंपनी के 31 मार्च, 2024 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और बताई गई कमजोरी पर विचार किया है।

रेय एंड रेय के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की
पंजीकरण संख्या 301072इ

(ज्योति रंजन मलिक)
भागीदार
सदस्यता संख्या 301020
इउडिआइएन: 24301020विकेएएसआइकिउ8023

एल. बी. झा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की
पंजीकरण संख्या 301088इ

(डी. एन. रॉय)
भागीदार
सदस्यता संख्या 300389
इउडिआइएन: 24300389बिकेडिबिएनके7331

हस्ताक्षर का स्थान: कोलकाता
दिनांक: 20.07.2024

31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण			नोट्स	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
I.		**संपत्ति**			
(1)		**गैर तात्कालिक परिसंपत्ति**			
	(क)	संपत्ति, प्लांट और उपकरण	2	3,505.56	3,912.48
	(ख)	उपयोग का अधिकार संपत्ति	3	552.51	130.72
	(ग)	वित्तीय पूंजी			
		(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4	12,229.80	10,738.85
	(घ)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	5	3,761.68	3,063.60
		कुल गैर – मौजूदा संपत्तियां		**20,049.55**	**17,845.65**
(2)		**वर्तमान संपत्ति**			
	(क)	सूची	6	10,535.73	10,735.71
	(ख)	वित्तीय पूंजी			
		(i) व्यापार प्राप्तियां	7	1,26,129.34	1,07,633.05
		(ii) नकद और नकद के समकक्ष	8	14,934.78	5,716.29
		(iii) नकदी और समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	9	25,048.70	6,382.99
		(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10	83,988.58	70,393.58
	(ग)	अनुबंध परिसंपत्तियां	11	85,393.45	1,28,172.11
	(घ)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	12	9,948.35	9,615.47
	(ङ)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	35,394.95	43,475.87
		कुल मौजूदा संपत्तियां		**3,91,373.88**	**3,82,125.07**
		निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत	**14**	**–**	**0.11**
		कुल संपत्ति		**4,11,423.43**	**3,99,970.83**
II.		**इक्विटी और देयता**			
		हिस्सेदारी			
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	15	5,498.72	5,498.72
	(ख)	अन्य इक्विटी	16	43,552.23	37,407.54
		कुल इक्विटी		**49,050.95**	**42,906.26**
(1)		**गैर मौजूदा देनदारियां**			
	(क)	वित्तीय देयताएं			
		(i) अन्य वित्तीय देयताएं	17	16803.74	23,760.77
		(ii) पट्टा देयताएं		229.72	166.69
	(ख)	प्रावधान	18	5,303.59	4,968.21
		कुल गैर–वर्तमान देयताएं		22,337.05	28,895.67

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण			नोट्स	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(2)		**वर्तमान देनदारियां**			
	(अ)	वित्तीय देनदारियां			
		(i) उधारी	19	15,071.17	1,080.93
		(ii) व्यापार देयताएं			
		(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	20	9,973.06	11,358.98
		(आ) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया	20	1,70,920.03	1,97,296.83
		(iii) पट्टा देयताएं		320.48	27.83
		(iv) अन्य वित्तीय देयताएं – चालू	21	19,694.04	10,716.12
	(आ)	पिछला – वर्तमान	22	3,460.97	2,268.84
	(इ)	अन्य वर्तमान देनदारियां	22A	1,20,595.68	1,05,419.37
		कुल वर्तमान देनदारियां		**3,40,035.43**	**3,28,168.90**
		कुल देनदारियों		**3,62,372.48**	**3,57,064.57**
		कुल शेयर और देनदारियां		**4,11,423.43**	**3,99,970.83**
		सामग्री लेखांकन नीतियाँ	1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

रे एंड रे के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म
पंजीकरण संख्या 301072इ

सीए ज्योति रंजन मल्लिक
भागीदार
सदस्यता संख्या 301020

एल. बी. झा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म
पंजीकरण संख्या 301088इ

सीए डी. एन. रॉय
भागीदार
सदस्यता संख्या 300389

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20.07.2024

निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 09362244

नव रत्न गुप्ता
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन – 10083026
डीआईएन – 10105298

रवि कुमार
निदेशक
(परियोजना प्रबंधन)

राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

राखी कर
कंपनी सचिव

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(आंकड़े लाख ₹ में)

	विवरण	नोट्स	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
I.	**आय**			
II.	परिचालन से राजस्व	23	4,00,456.57	3,31,538.08
III.	अन्य आय	24	971.82	1,297.10
IV.	**कुल आय (II+III)**		**4,01,428.39**	**3,32,835.18**
V.	**खर्च**			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	25	1,28,072.55	92,829.15
	उप–ठेका और अन्य निर्माण व्यय	25क	2,20,188.23	1,91,298.51
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	22,379.60	24,675.53
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2 & 3	1,187.08	1,229.61
	वित्त व्यय	27	7,818.36	6,133.08
	अन्य व्यय	28	11,646.60	11,003.85
	कुल व्यय (V)		**3,91,292.42**	**3,27,169.73**
VI.	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (IV – V)**		**10,135.97**	**5,665.45**
VII.	**असाधारण मद**		**–**	**–**
VIII.	**कर पूर्व लाभ (VI – VII)**		**10,135.97**	**5,665.45**
IX.	**कर व्यय**	**29**		
	(1) वर्तमान कर		3,342.52	2,093.36
	(2) आस्थगित कर		(698.08)	(517.87)
X.	**वर्ष के लिए लाभ (VIII – IX)**		**7,491.53**	**4,089.96**
XI.	**अन्य व्यापक आय**			
	(1) वे मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(अ) रोजगार के बाद लाभ दायित्वों / परिभाषित लाभ योजना पर पुनर्मापन लाभ / (हानि)		(153.85)	(174.50)
	(आ) उस मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		38.72	43.92
	(2) वे मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
	(अ) विदेशी परिचालनों के रुपांतरण पर विनिमय अंतर			
	(आ) इस मद से संबंधित आयकर			

(आंकड़े लाख ₹ में)

	विवरण	नोट्स	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर के बाद) (XI)		**(115.13)**	**(130.58)**
XII.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X + XI)**		**7,376.40**	**3,959.38**
XIII.	**प्रति इक्विटी शेयर आय :**			
	(1) प्रति शेयर मूल आय(₹)		13.62	7.44
	(2) डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर(₹)		13.62	7.44

सामग्री लेखांकन नीतियाँ

साथ में दिए गए नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

रे एंड रे के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म
पंजीकरण नम्बर 301072इ

सीए ज्योति रंजन मल्लिक
भागीदार
सदस्यता नम्बर 301020

एल. बी. झा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म
पंजीकरण संख्या 301088इ

सीए डी. एन. रॉय
भागीदार
सदस्यता संख्या 300389

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20.07.2024

निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 09362244

नव रत्न गुप्ता
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन – 10083026
डीआईएन – 10105298

रवि कुमार
निदेशक
(परियोजना प्रबंधन)

राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

राखी कर
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क) इक्विटी शेयर पूंजी

(आंकड़े लाख ₹ में)

शेयरों का वर्ग	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	मात्रा	शेयरों की संख्या	मात्रा
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	**5,49,87,155**	**5,498.72**	**5,49,87,155**	**5,498.72**
इस अवधि के दौरान जारी	–	–	–	–
इस अवधि के दौरान कटौती	–	–	–	–
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	**5,49,87,155**	**5,498.72**	**5,49,87,155**	**5,498.72**

ख) अन्य इक्विटी

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन	
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	25,224.31	13,728.30	(1,545.07)	37,407.54
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभ/(हानि)	–	7,491.53	–	7,491.53
भारतीय लेखा मानक समायोजन	–	–	–	–
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–	–	(115.13)	(115.13)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**25,224.31**	**21,219.83**	**(1,660.20)**	**44,783.94**
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	–	–	–	–
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	–	1,231.71	–	1,231.71
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	–	–	–	–
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**25,224.31**	**19,988.12**	**(1,660.20)**	**43,552.23**

रे एंड रे के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म
पंजीकरण संख्या 301072इ

सीए ज्योति रंजन मल्लिक
भागीदार
सदस्यता संख्या 301020

एल. बी. झा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म
पंजीकरण संख्या 301088इ

सीए डी. एन. रॉय
भागीदार
सदस्यता संख्या 300389

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20.07.2024

निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 09362244

नव रत्न गुप्ता
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन – 10083026
डीआईएन – 10105298

रवि कुमार
निदेशक
(परियोजना प्रबंधन)

राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

राखी कर
कंपनी सचिव

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले लाभ	10,135.97	5,665.45
इसके लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1,187.08	1,229.61
विदेशी मुद्रा (लाभ)/ विदेशी मुद्रा पर हानि	(50.71)	55.00
वित्तीय साधनों पर उचित मूल्य लाभ या हानि/परिशोधित लागत के माध्यम से	(8.75)	(7.15)
(लाभ)/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	(9.66)	(191.09)
अन्य गैर-परिचालन आय	(42.47)	
वित्त आय	(657.87)	(609.39)
वित्त लागत	7,818.36	6,133.08
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	647.39	1,973.41
के लिए प्रावधान पूर्वानुमानित हानि	1,097.79	281.55
रोजगार के बाद लाभ/(हानि) पुनर्मापन लाभ दायित्व/परिभाषित लाभ योजना	(153.85)	(174.50)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन (हानि)/लाभ	**19,963.28**	**14,355.97**
कार्यशील पूंजी समायोजन:		
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	(27,762.72)	35,133.84
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	15,176.30	7,187.16
अन्य अनुबंध देयताओं में वृद्धि/(कमी)	–	–
अल्पकालिक प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	136.81	125.77
अल्पकालिक वित्तीय ऋण में (वृद्धि)/कमी	–	0.19
इन्वेंट्री में (वृद्धि)/कमी	199.98	(1,238.78)
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(17,796.45)	838.66
अल्पावधि में (वृद्धि)/कमी		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(13,755.08)	(66,338.09)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	8,080.92	(31,028.72)
अन्य अनुबंध परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	41,600.25	48,202.48
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी	(18,665.71)	(4,200.28)
अन्य वित्तीय देयताओं में (वृद्धि)/कमी – चालू	8,977.92	
नकदी उत्पन्न	**16,155.50**	**3,038.20**

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य दीर्घकालिक वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(6,957.03)	9,064.63
दीर्घावधि प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	335.38	108.84
दीर्घावधि वित्तीय ऋण में (वृद्धि)/कमी	–	0.89
दीर्घावधि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,490.95)	(3,710.66)
दीर्घावधि में (वृद्धि)/कमी अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	–	(0.03)
प्रत्यक्ष करों का भुगतान (रिफंड के बाद शुद्ध)	(3,636.65)	82.90
परिचालन गतिविधियों से/(उपयोग में) शुद्ध नकदी	**4,406.24**	**8,584.77**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद, अमूर्त परिसंपत्तियों सहित और पूंजी अग्रिम शमिल है	(416.78)	(572.64)
प्राप्त ब्याज	657.87	609.39
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय	20.30	252.20
निपटान के लिए रखी गई संपत्तियों के लिए बिक्री प्रतिफल के लिए अग्रिम	0.11	1.40
निवेश गतिविधियों से/(उपयोग में) शुद्ध नकदी	**261.50**	**290.35**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पकालिक उधार की आय/पुनर्भुगतान (शुद्ध)	13,990.24	(3,808.89)
पट्टा भुगतान	(440.14)	(399.65)
वित्तीय लागत	(7,818.36)	(6,133.08)
भुगतान किया गया लाभांश	(1,231.71)	(643.35)
वित्तीय गतिविधियों से/(उपयोग में) शुद्ध नकदी	**4,500.03**	**(10,984.97)**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि	9,167.78	(2,109.85)
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	**5,716.29**	**7,824.16**
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	14,884.07	5,714.31
विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव	(50.71)	(1.98)
कुल नकदी और नकदी समकक्ष (नोट 9)	14,934.78	5,716.29
नकदी और नकदी समकक्ष शेष में शामिल हैं		

1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

साथ में दिए गए नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कंपनी नकदी प्रवाह के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का पालन कर रही है

रे एंड रे के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म
पंजीकरण नम्बर 301072इ

सीए ज्योति रंजन मल्लिक
भागीदार
सदस्यता संख्या 301020

एल. बी. झा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म
पंजीकरण संख्या 301088इ

सीए डी. एन. रॉय
भागीदार
सदस्यता संख्या 300389

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 20.07.2024

निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 09362244

नव रत्न गुप्ता
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन – 10083026

रवि कुमार
निदेशक
(परियोजना प्रबंधन)
डीआईएन – 10105298

राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

राखी कर
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 1: अवलोकन और सामग्री लेखांकन नीतियां

क) कंपनी अवलोकन

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ("ब्रिज एण्ड रूफ" या "कंपनी") भारत में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसका पंजीकृत कार्यालय 'कंकड़िया सेंटर', चौथी और पांचवीं मंजिल, 2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता- 700071 में है।

1920 में स्थापित, ब्रिज एण्ड रूफ तब से भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया है। निगमन के बाद से "बी एण्ड आर" भारत के साथ-साथ विदेशों में भी पूरे औद्योगिक और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों को शामिल करते हुए सभी प्रकार के सिविल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और टर्नकी परियोजनाओं को लेकर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सेवा कर रहा है। 2020-21 में, कंपनी ने 100 वर्षों की अपनी शानदार यात्रा पूरी कर ली है।

ख) अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ग) तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए जाते हैं, सिवाय अन्यथा उल्लेखित के।

घ) वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 "नकदी प्रवाह का विवरण" की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित बैलेंस शीट और लाभ और हानि के विवरण में मदों के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को नोटों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है जो अधिसूचित लेखांकन मानकों के तहत प्रकट किए जाने वाले अन्य नोटों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं।

वित्तीय विवरणों में राशियां भारतीय रुपए में लाख में प्रस्तुत की जाती हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा अनुमत दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाता है। प्रति शेयर डेटा भारतीय रुपए में दो दशमलव स्थानों तक प्रस्तुत किया जाता है।

ङ) प्रमुख अनुमान और मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी का प्रबंधन ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाए जो उस अवधि की आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों के रिपोर्ट किए गए शेषों और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरणों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं को संबंधित नीतियों के तहत समझाया गया है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन, अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के संबंध में भावी दायित्व, अनुबंधों को पूरा करने की अपेक्षित लागत, सुधार लागतों के लिए प्रावधान, उचित मूल्य माप आदि शामिल हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर, यदि कोई हो, उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं।

च) चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के लिए परिचालन चक्र

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए परिचालन चक्र, जहां भी लागू हो, दोष दायित्व अवधि सहित विशिष्ट परियोजना/अनुबंध/सेवा की अवधि को कवर करता है और संबंधित व्यवसाय लाइनों और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों पर सामान्य रूप से लागू सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर प्राप्तियों (प्रतिधारण राशि सहित) की वसूली तक विस्तारित होता है।

छ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पीपीई को तब पहचाना जाता है जब यह संभावना होती है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पीपीई को कर/शुल्क (वसूली योग्य के अलावा) को छोड़कर लागत पर दर्शाया जाता है, यदि कोई हो, तो

संचित मूल्यह्रास और संचयी हानि को घटाया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे ऐसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और स्थापना के लिए जिम्मेदार होता है, यदि कोई हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागत लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में चार्ज की जाती है।

स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि/कटौती पर मूल्यह्रास की गणना उपयोग की अवधि के अनुपात में की जाती है।

स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग उपकरण जैसे मद को पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं और एक वर्ष से अधिक समय तक उपयोग किए जाने की उम्मीद है। स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग उपकरणों के अन्य सभी आइटम इन्वेंटरी के आइटम के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

₹10000/– या उससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है। जहां परिसंपत्ति के एक हिस्से ("परिसंपत्ति घटक") की लागत परिसंपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, उस महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोगी जीवन अलग से निर्धारित किया जाता है और ऐसे परिसंपत्ति घटक को उसके अलग उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है।

इन परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं जो आम तौर पर कमीशनिंग पर होता है। मूल्यह्रास को लिखित मूल्य विधि का उपयोग करके पहचाना जाता है ताकि परिसंपत्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि के अलावा) की लागत को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उनके उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों को कम करके लिखा जा सके, या उन परिसंपत्तियों के मामले में जहां उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया गया था, इस प्रकार निर्धारित उपयोगी जीवन पर। अपवाद नीचे दिया गया है:

निर्माण उपकरण और उपकरण उपयोगी जीवन– 5 वर्ष डब्ल्यूडीवी 45.07%

परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को दर्शाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा की जाती है। अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और उपयोगी जीवन/अवशिष्ट मूल्य के अनुमानों में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अग्रणीत राशि को निपटान के मामले में या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, अमान्य कर दिया जाता है।

ज) हानि

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो पीपीई की क्षति के लिए जाँच की जाती है। यदि कोई हो, तो वह उस सीमा तक क्षति प्रदान की जाती है, जब परिसंपत्तियों या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों की वहन राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य और उसके उपयोग में मूल्य में से अधिक होती है। उपयोग में मूल्य किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई के निरंतर उपयोग और उसके उपयोगी जीवन के अंत में उसके निपटान से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भावी नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। हानि हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है और परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है।

झ) पट्टे

कंपनी 1 अप्रैल 2019 से भारतीय लेखा मानक 116 'लीज' का अनुपालन कर रही है।

पट्टे पर ली गई संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और वित्तीय विवरण में उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है। पट्टे के किराए को ब्याज, मूल्यह्रास और मूल मूल्य के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और मूल्यह्रास शुल्क लाभ और हानि विवरण में लगाए जाते हैं और मूल राशि को पट्टे के दायित्वों में समायोजित किया जाता है।

पहले वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत पट्टे

कंपनी ने पहले से वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया (अर्थात, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां भारतीय लेखा मानक 17 के तहत मान्यता प्राप्त पट्टा परिसंपत्तियों के बराबर हैं)।

पट्टे जिन्हें पहले परिचालन पट्टे के रूप में गिना जाता था

कंपनी ने उन पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टे की देनदारियों को मान्यता दी है जिन्हें पहले परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, सिवाय अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों के। कंपनी शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देयता को मान्यता देती है, जिसे प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है और तदनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को पट्टे की देयता के बराबर राशि पर मापा जाता है।

कंपनी ने निम्नलिखित उपलब्ध व्यावहारिक उपाय अपनाए:

(i) उन पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टे छूट जिनकी पट्टा अवधि प्रारंभिक आवेदन की तिथि से 12 महीने के भीतर समाप्त हो जाती है और कुल पट्टा अवधि 12 महीने से कम है

(ii) उन पट्टों के लिए कम मूल्य पट्टा छूट जहां अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है। (मूल्य में ₹ 50,000 से कम की परिसंपत्तियां)

ञ) बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (या निपटान समूह) को 'बिक्री के लिए रखे गए' के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी और बिक्री अत्यधिक संभावित है, अर्थात बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां यह संकेत देती हैं कि यह संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या बिक्री का निर्णय वापस लिया जाएगा।

बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह) को उनकी वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है। बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और एक बार बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत होने के बाद उनका मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

ट) इन्वेंटरी का मूल्यांकन

पूर्ण आकार और लीविंग्स/ऑफ-कट से युक्त स्टील स्टॉक जो निर्माण की प्रक्रिया में उपयोग योग्य है, का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। स्टील स्टॉक की लागत मापने के लिए भारित औसत सूत्र का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल के साइट स्टॉक का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है और FIFO लागत सूत्र का उपयोग किया जाता है।

संरचनात्मक कार्यों के मामले में, उत्पादन के सभी चरणों को कवर न करने वाले कार्यों का मूल्यांकन भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करते हुए लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

कार्य स्थल पर उपभोग्य सामग्रियों और स्क्रैप सहित अन्य सामग्रियों का मूल्यांकन FIFO लागत फार्मूले का उपयोग करते हुए लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

हावड़ा वर्क्स और परियोजना स्थलों पर उपकरणों और उपकरणों का मूल्य क्रमशः भारित औसत लागत सूत्र और FIFO विधि का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अप्रचलित, अनुपयोगी और अधिशेष भंडारों और पुर्जों के मूल्य में कमी की समीक्षा करके उसका पता लगाया जाता है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

ठ) राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को मान्यता देती है जब वह किसी ग्राहक को वादा किया गया सामान या सेवा हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। राजस्व को प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक मान्यता दी जाती है। प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट होता है क्योंकि ग्राहक को परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित करने का काम समय के साथ किया जाता है और राजस्व मान्यता प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर की जाती है।

लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी ने अनुबंधों के निष्पादन दायित्व के संबंध में राजस्व को उसके सापेक्ष विक्रय मूल्य से मापा है। अनुबंध गतिविधि के पूरा होने के चरण के संदर्भ में पूर्णता के प्रतिशत विधि के तहत राजस्व को मान्यता दी जाती है। पूर्णता के चरण को उस अनुपात की गणना करके मापा जाता है जो आज तक किए गए खर्चों को अनुबंध की अनुमानित कुल लागतों से जोड़ता है। पूर्णता के प्रतिशत विधि के तहत राजस्व का निर्धारण अनिवार्य रूप से अनुबंधों की प्रकृति के आधार पर प्रबंधन अनुमानों को शामिल करता है जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

अ) परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य के मामले में, जहां कुल निष्पादन, बिलिंग, संग्रह, करों के अनुपालन सहित दोष देयता (डीएलपी) आदि की जिम्मेदारी कंपनी पर है, राजस्व की पहचान लागत और मार्जिन के आधार पर प्रतिशत पूर्णता पद्धति पर की जाएगी।

आ) अन्य निर्माण के संबंध में, कंपनी माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करती है और प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर राजस्व को मान्यता देती है।

इ) वर्ष के अंत में, निष्पादित लेकिन बिल नहीं किए गए कार्यों का लेखा आंतरिक इंजीनियरों द्वारा प्रमाणन के आधार पर किया जाता है।

ई) माल और सेवाओं की बिक्री से राजस्व ग्राहक को नियंत्रण के हस्तांतरण और अनुबंध के तहत प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर मान्यता दी जाती है।

कंपनी प्रत्याशित हानि को तत्काल पहचान लेती है जब यह सम्भावना होती है कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक है।

अनुबंधों के परिणामस्वरूप बिलिंग से अधिक राजस्व की पहचान की जाती है जिसे वित्तीय स्थिति के विवरण में अनुबंध परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ग्राहकों से बिल की गई और देय राशि को वित्तीय स्थिति के विवरण में वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंतिम अनुबंध निपटान तक ग्राहक द्वारा रखे गए भुगतानों के हिस्से को एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य आमतौर पर ग्राहक को अनुबंध के तहत निर्दिष्ट कंपनी के शेष प्रदर्शन के लिए सुरक्षा का एक रूप प्रदान करना होता है, जो उद्योग अभ्यास के अनुरूप है।

डिपॉजिटरी अनुबंधों से उत्पन्न अनुबंध परिसंपत्तियों को उन अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त जमाराशि के शुद्ध रूप में दिखाया जाता है। यदि अनुबंध परिसंपत्तियां जमाराशि से अधिक हैं तो शुद्ध शेष राशि को 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के भाग के रूप में दिखाया जाता है और यदि जमाराशि अनुबंध परिसंपत्तियों से अधिक है तो उसे 'अन्य चालू देयताओं' के भाग के रूप में दिखाया जाता है।

अग्रिम भुगतान के लिए देयता को मान्यता दी जाती है और इसे भौतिक वित्तपोषण घटक के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग परियोजना निष्पादन के समय कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे वित्तीय स्थिति के विवरण में अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

चालू वर्ष में प्रकटित अनुबंध परिसंपत्तियां, "बिलिंग से अधिक मान्यता प्राप्त राजस्व" को अनुबंध परिसंपत्ति के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

चालू वर्ष में प्रकटित अनुबंध देनदारियों को "अग्रिम में प्राप्त आय" के रूप में पिछले वर्ष में अन्य चालू देनदारियों के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अन्य आय – अन्य आय को तब हिसाब में लिया जाता है जब ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ण) विदेशी मुद्रा लेनदेन

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कार्यात्मक मुद्रा है। कार्यात्मक मुद्रा के अलावा कोई भी अन्य मुद्रा विदेशी मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर या लेनदेन की तिथि पर वास्तविक दर के लगभग बराबर दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की समापन दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

त) कर्मचारी लाभ

अ. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

वेतन, मजदूरी जैसे सभी लाभ, जिसमें गैर–मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं, जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय होते हैं, उन्हें अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उस अवधि में हिसाब में लिया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

आ. रोजगारोपरांत लाभ योजनाएं:

i. परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार के बाद की लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग इकाई को निर्दिष्ट अंशदान का भुगतान करती है। कंपनी भविष्य निधि और पेंशन योजना के लिए निर्दिष्ट मासिक अंशदान करती है। कंपनी के अंशदान को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएँ

ग्रेच्युटी लाभ के संबंध में देयता की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन किया जाता है। ग्रेच्युटी देयता राशि को कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए विशेष रूप से गठित स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड में योगदान दिया जाता है। एक्चुरियल लाभ और हानि को उस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है, जिसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है।

इ. अन्य कर्मचारी लाभ

क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। उपयोगकर्ताओं को उपयोगी जानकारी प्रदान करने और वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, परिभाषित लाभ योजना के संशोधन, कटौती या निपटान पर, कंपनी शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) को फिर से मापने के लिए बीमांकिक मान्यताओं को अद्यतन करती है, और शेष वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि (योजना संशोधन, कटौती या निपटान के बाद) के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज निर्धारित करने के लिए अद्यतन मान्यताओं और संशोधित शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का उपयोग करती है।

थ) उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्तियों (अर्थात, ऐसी परिसंपत्तियाँ जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है) के अधिग्रहण के कारण उधार लेने की लागत को उस तिथि तक लागत में जोड़ा जाता है जब तक कि ऐसी परिसंपत्तियाँ अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं। अन्य उधार लेने की लागतों को उस अवधि में व्यय किया जाता है जिसमें वे खर्च की गई थीं।

द) आय पर कर

अवधि के लिए कर व्यय में चालू और स्थगित कर शामिल हैं। कर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो।

वर्तमान कर

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उस राशि के आधार पर मापा जाता है, जो कर अधिकारियों से वसूली जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की उम्मीद है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर लागू या मूल रूप से लागू कर दरों और कर कानूनों पर आधारित है।

विलम्बित कर

विलम्बित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

विलम्बित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति का भुगतान किया जाता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू किए गए या मूल रूप से लागू किए गए कर दरों और कर कानूनों पर आधारित होते हैं।

विलंबित कर देयताओं और परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में की जाती है।

ध) दावा

शुल्क वापसी, नकद प्रोत्साहन, बीमा और अन्य सभी दावों को लेन–देन की प्रकृति के अनुसार, वसूली/निपटान के आधार पर बिक्री/किए गए कार्य का मूल्य/दावों के रूप में हिसाब में लिया गया है।

न) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

प्रावधान को खातों में तब पहचाना जाता है जब पिछली घटना(ओं) के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा भारतीय लेखा मानक –37 के अनुसार किया जाता है, जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम न हो। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह संभावित हो। प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ और आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है।

प) प्रति शेयर आय (ईपीएस)

मूल ईपीएस राशि की गणना इक्विटी धारक को वर्ष के लिए देय लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत ईपीएस राशि की गणना (यदि आवश्यक हो) इक्विटी धारकों को देय लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, साथ ही संपूर्ण तनुकृत संभावित इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयरों में रूपांतरित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को भी इसमें जोड़ा जाता है।

प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब:

अ. ऐसे उपकरण (आकस्मिक रूप से जारी किए जाने वाले शेयरों सहित) जो भविष्य में प्रति शेयर मूल आय को संभावित रूप से कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रति शेयर आय में कमी की गणना में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे प्रस्तुत अवधि के लिए प्रति–पतला हैं।

आ. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 33 प्रति शेयर आय के अनुच्छेद 64 के अनुसार लेखांकित लेनदेन के अलावा साधारण शेयर लेनदेन या संभावित साधारण शेयर लेनदेन का विवरण, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद होता है और यदि वे लेनदेन रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले हुए होते तो अवधि के अंत में बकाया साधारण शेयरों या संभावित साधारण शेयरों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन होता।

फ) नकद एवं नकद समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक में नकदी और हाथ में नकदी, पारगमन में प्रेषण शामिल हैं जो नकदी की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

ब) वित्तीय साधनों

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब पहचाना जाता है जब कंपनी उपकरणों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लेनदेन लागत शामिल होती है या उचित मूल्य पर जहां लेनदेन मूल्य उचित मूल्य से अलग होता है।

i. वित्तीय परिसंपत्तियों का अनुवर्ती मापन

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में उनकी संपूर्णता में या तो परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

ii. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

बाद के माप के प्रयोजन के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना होता है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होता है।

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसे परिशोधित लागत या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है।

iv. वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है। कंपनी अनुबंध प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि पर हानि भत्ते को मापती है। अपेक्षित क्रेडिट हानि का अनुमान लगाते समय, विचार की गई अवधि असामान्य रूप से लंबी अतिदेय अवधि होती है [(यानी) अनुबंध से अनुबंध के आधार पर दोष देयता अवधि से तीन साल आगे] अनुबंध की शर्तों के अलावा। डिफ़ॉल्ट दरों की समीक्षा की जाती है और आगे के अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त हानि भत्ता लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है।

v. वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ हस्तांतरित हो जाते हैं।

vi. वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

vii. वित्तीय देनदारियों की पहचान रद्द करना

वित्तीय दायित्व तब अमान्य हो जाता है जब वह समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। अमान्य वित्तीय दायित्व की वहन राशि और भुगतान किए गए और देय प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

viii. नकारात्मक मुआवजे के साथ पूर्व भुगतान सुविधा वाले वित्तीय साधन का वर्गीकरण

नकारात्मक मुआवजे के साथ पूर्व भुगतान सुविधा वाले वित्तीय साधनों को भारतीय लेखा मानक 109 के तहत निर्दिष्ट संबंधित शर्तों के अनुसार "परिशोधन लागत पर मापा गया", या "लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया" या "अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नोट 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	भूमि	इमारतें, सड़क बाड़ लगाना / कारखाना भवन	गैर-फैक्ट्री इमारतें	संयंत्र और मशीनरी	विद्युत नियुक्ति	कंप्यूटर, टाइपराइटर, अकाउंटिंग मशीन	फर्नीचर और फिटिंग	पंप, ट्यूबवेल और सर्वेक्षण उपकरण	वाहन	कुल
संक्रमण तिथि के अनुसार अनुमानित लागत: **1 अप्रैल, 2022**	14.14	4.32	52.44	7798.47	117.86	459.55	772.26	1603.43	1005.02	11827.49
2022 – 23 के दौरान वृद्धि	0.00	0.00	0.00	460.04	28.51	44.67	39.72	0.00	–0.30	572.64
2022 – 23 के दौरान निपटान	0.00	0.00	0.00	53.01	0.17	0.04	0.00	1.35	6.54	61.11
अन्य समायोजन (निपटान के लिए रोके गए)	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
31 मार्च, 2023 तक लागत	**14.14**	**4.32**	**52.44**	**8205.39**	**146.20**	**504.18**	**811.98**	**1602.08**	**998.18**	**12338.91**
इस वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00	0.00	238.52	12.28	135.23	71.30	3.26	0.00	460.59
इस वर्ष के दौरान निपटान	0.00	0.00	0.00	5.13	0.05	0.25	0.00	2.59	2.62	10.64
अन्य समायोजन	0.00	0.00	0.00	13.44	–5.07	5.12	–0.05	–13.44	0.00	0.00
31 मार्च 2024 तक सकल ब्लॉक	**14.14**	**4.32**	**52.44**	**8452.22**	**153.36**	**644.28**	**883.23**	**1589.31**	**995.56**	**12788.86**
मूल्यह्रास/परिशोधन										
1 अप्रैल 2022 तक	0.28	1.57	27.32	4947.95	81.81	378.91	482.14	962.89	671.98	7554.85
वर्ष 2022–23 के दौरान प्रभार	0.00	0.06	0.50	613.61	5.40	20.47	71.77	110.20	49.46	871.47
अन्य समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
निपटान पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2023 तक	**0.28**	**1.63**	**27.82**	**5561.67**	**87.21**	**399.38**	**553.91**	**1073.09**	**721.44**	**8426.43**
इस वर्ष के दौरान प्रभार	0.00	0.10	1.20	559.75	13.02	67.73	70.11	95.15	49.81	856.87
अन्य समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2024 तक	**0.28**	**1.73**	**29.02**	**6121.42**	**100.23**	**467.11**	**624.02**	**1168.24**	**771.25**	**9283.30**

नेट ब्लॉक

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	भूमि	इमारतें, सड़क बाड़ लगाना / कारखाना भवन	गैर-फैक्ट्री इमारतें	संयंत्र और मशीनरी	विद्युत नियुक्ति	कंप्यूटर, टाइपराइटर, अकाउंटिंग मशीन	फर्नीचर और फिटिंग	पंप, ट्यूबवेल और सर्वेक्षण उपकरण	वाहन	कुल
31 मार्च 2024 को	13.86	2.59	23.42	2330.80	53.13	177.17	259.21	421.07	224.31	3505.56
31 मार्च 2023 को	13.86	2.69	24.62	2643.72	58.99	104.80	258.07	528.99	276.74	3912.48

नोट 3 : संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(आंकड़े लाख ₹ में)

अचल संपत्तियां	सकल वहन राशि				संचित परिशोधन				शुद्ध वहन राशि	
	1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	वर्ष के लिए अतिरिक्त	कटौती / समायोजन	शेष राशि 31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान परिशोधित	कटौती / समायोजन	31 मार्च 2024 तक शेष राशि	शेष राशि 31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि
आरओयू परिसंपत्तियां										
(i) भूमि	40.31		-	40.31	26.46	0.60	-	27.06	13.25	13.85
(ii) कारखाने की इमारत	12.17		-	12.17	3.58	0.94	-	4.52	7.65	8.59
(iii) अन्य परिसर	1,549.27	321.71	(1,010.70)	860.28	1,440.99	328.67	(1,440.99)	328.67	531.61	108.28
कुल	**1,601.75**	**321.71**	**(1,010.70)**	**912.76**	**1,471.03**	**330.21**	**(1,440.99)**	**360.25**	**552.51**	**130.72**

नोट 4 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर–चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
जमाराशि असुरक्षित मानी गई		
ग्राहक द्वारा रखी गई जमाराशि	8,909.77	9,397.92
मार्जिन मनी जमाराशि	782.72	870.58
अन्य जमाराशि	2,537.31	**470.35**
कुल	**12,229.80**	**10,738.85**

नोट 5 : विलंबित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
प्लांट, संपत्ति और उपकरण पर मूल्यह्रास	503.75	529.09
चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान	259.48	97.00
अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	1,606.00	1,166.73
अवकाश नकदीकरण	1,392.45	1,270.78
कुल	**3,761.68**	**3,063.60**

नोट 6 : इन्वेंटरी

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
इन्वेंटरी (लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम)		
कच्चा माल	10261.74	10308.59
उपभोज्य और अन्य सामग्री	194.79	362.52
उपकरण और ट्रैकल्स	55.65	32.76
स्क्रैप स्टॉक	40.05	48.34
गैर–चलती स्टॉक के लिए प्रावधान	(16.50)	(16.50)
कुल	**10,535.73**	**10,735.71**

नोट 7 : व्यापार प्राप्य

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
अनुबंध प्राप्य	1,26,099.37	1,08,696.11
व्यापार प्राप्य	1,538.62	1,145.43
अपेक्षित ऋण हानि समायोजन	(1,508.65)	(2,208.49)
कुल	**1,26,129.34**	**1,07,633.05**

नोट 8: नकद और नकद समकक्ष

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
हाथ में नकदी	0.87	36.07
बैंकों के पास शेष:		
चालू खातों में	14,933.91	5,612.52
पारगमन में प्रेषण	–	67.70
कुल	**14,934.78**	**5,716.29**

नोट 9: नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
मार्जिन मनी जमा	7,226.25	6,291.24
मार्जिन मनी पर ब्याज	322.31	91.04
सावधि जमा (निर्धारित)	17,500.00	–
निर्धारित लाभांश खाता	0.14	0.71
कुल	**25,048.70**	**6,382.99**

नोट 10 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
सुरक्षा जमा	681.54	2,311.54
ग्राहक द्वारा रखी गई जमा	20,487.29	16,119.57
अन्य प्राप्य	63,711.94	52,685.83
अपेक्षित क्रेडिट हानि समायोजन	(892.19)	(723.36)
कुल	**83,988.58**	**70,393.58**

नोट 11: अनुबंध परिसंपत्तियां

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	86,954.86	1,28,555.11
अपेक्षित ऋण हानि समायोजन	(1,561.41)	(383.00)
कुल	**85,393.45**	**1,28,172.11**

नोट 12 : वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	9,948.35	9,615.47
कुल	**9,948.35**	**9,615.47**

नोट 13: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सरकारी अधिकारियों के पास शेष राशि	20,905.85	22,243.85
पूर्वभुगतान व्यय	2,216.78	2,536.81
अनुबंध के विरुद्ध अग्रिम	11,534.57	17,806.96
अन्य	737.75	888.25
कुल	**35,394.95**	**43,475.87**

नोट 14 : निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया गया है

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
निपटान हेतु रखी गई अचल संपत्तियाँ	–	0.11
कुल	**–**	**0.11**

नोट 15 : शेयर पूंजी

(आंकड़े लाख ₹ में)

शेयरों का वर्ग	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अधिकृत पूंजी				
इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹. 10/– प्रत्येक)	60,000,000	6,000.00	60,000,000	6,000.00
कुल	**60,000,000**	**6,000.00**	**60,000,000**	**6,000.00**
जारी, सदस्यता और पूरी तरह से चुकता पूंजी:				
इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹. 10/– प्रत्येक)	54,987,155	5,498.72	54,987,155	5,498.72
कुल	**54,987,155**	**5,498.72**	**54,987,155**	**5,498.72**

क) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान:

शेयरों का वर्ग	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अवधि की शुरुआत में बकाया	54,987,155	5,498.72	54,987.155	5498.72
अवधि के दौरान वृद्धि	–	–	–	–
अवधि के दौरान परिपक्व	–	–	–	–
अवधि के अंत में बकाया	54,987,155	5,498.72	54,987.155	5498.72

ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार:

कंपनी के पास शेयर पूंजी का केवल एक वर्ग है, यानी इक्विटी शेयर जिनका अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

ग) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण।

शेयरधारक का विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग%	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग%
भारत के राष्ट्रपति	54,627,155	99.35%	54,627,155	99.35%

घ) प्रमोटरों की शेयरधारिता

प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2024 तक शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	31 मार्च 2024 तक शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति	**54,627,155**	**99.35%**	**शून्य**	**54,627,155**

नोट 16 : अन्य इक्विटी

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सामान्य रिजर्व		
अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार शेष राशि	25,224.31	25,224.31
वर्ष के दौरान वृद्धि	–	–
वर्ष के दौरान कटौती	–	–
वर्ष के अंत तक	**25,224.31**	**25,224.31**
अधिशेष / प्रतिधारित आय		
अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार शेष	13,728.30	10,275.35
वर्ष के दौरान वृद्धि	7,491.53	4,089.96
वर्ष के दौरान कटौती	–	–
भारतीय लेखा मानक समायोजन	–	6.34
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**21,219.83**	**14,371.65**
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण		
इक्विटी लाभांश	1,231.71	643.35
इक्विटी लाभांश पर कर	–	–
वर्ष के अंत में	**19,988.12**	**13,728.30**
अन्य समग्र आय		
अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार शेष राशि	(1,545.07)	(1,414.49)
रोजगार के बाद लाभ दायित्व/परिभाषित लाभ योजना पर वास्तविक लाभ/(हानि)	(115.13)	(130.58)
वर्ष के दौरान कटौती	–	–
वर्ष के अंत तक	**(1,660.20)**	**(1,545.07)**
कुल	**43,552.23**	**37,407.54**

भंडार की प्रकृति और उद्देश्य

सामान्य आरक्षित

सामान्य रिज़र्व, पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आधार पर उचित उद्देश्यों के लिए समय-समय पर प्रतिधारित आय से सामान्य रिज़र्व में हस्तांतरित लाभ को दर्शाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के परिणामस्वरूप, शुद्ध लाभ का एक निर्दिष्ट प्रतिशत अनिवार्य रूप से सामान्य रिज़र्व में हस्तांतरित करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

प्रतिधारित आय – अधिशेष

प्रतिधारित आय कंपनी द्वारा आज तक अर्जित लाभ है, जिसमें से विनियोजनों को हटा दिया गया है।

अन्य व्यापक आय:

यह ग्रेच्युटी के एक्चुरियल लाभ के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है।

नोट 17 : अन्य वित्तीय देयताएं – गैर चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सुरक्षा जमाराशि बरकरार रखी गई	16,717.90	23,749.58
अन्य	85.84	11.19
कुल	**16,803.74**	**23,760.77**

नोट 18 : प्रावधान – गैर चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान– छुट्टी	5,303.59	4,968.21
कुल	**5,303.59**	**4,968.21**

नोट 19: उधार

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सुरक्षित		
नकद ऋण और डब्ल्यूसीडीएल खाते (मांग पर चुकाने योग्य)		
भारतीय स्टेट बैंक	8,327.95	(1,699.41)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	622.68	11.58
बैंक ऑफ बड़ौदा	74.90	21.54
इंडियन बैंक	1,188.75	1,229.37
आईसीआईसीआई बैंक	(291.89)	(1,575.34)
पंजाब नेशनल बैंक	2,716.99	1,998.20
एचडीएफसी बैंक	–	1,200.00
बैंक ऑफ इंडिया	1,040.26	(8.77)
एक्सिस बैंक	(6.29)	903.75
केनरा बैंक	1,397.82	(999.99)
कुल	**15,071.17**	**1,080.93**

(कंपनी कंसोर्टियम बैंकों से उपरोक्त सुविधाएं प्राप्त कर रही है, जहां एसबीआई लीड बैंक है। नकद ऋण, कार्यशील पूंजी मांग ऋण खाते स्टॉक, प्रगति में अनुबंध और पुस्तक ऋण के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं और कंपनी की संपूर्ण अचल संपत्तियों / संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संयुक्त बंधक द्वारा भी संपार्श्विक रूप से सुरक्षित हैं)।

नोट 20: व्यापार देयताएं

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
स्वीकृतियाँ		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	9,973.06	11,358.98
अन्य	1,70,920.03	1,97,296.83
कुल	1,80,893.09	2,08,655.81

नोट 21: अन्य वित्तीय देयताएं – चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अनुबंध के विरुद्ध जमा	2,989.69	7,116.37
अदावाकृत लाभांश	0.14	0.12
पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए देयता	11.53	–
अन्य देय		
प्रतिधारित प्रतिभूति जमाराशियां	16,341.35	3,552.74
अन्य	351.33	46.89
	19,694.04	**10,716.12**

नोट 22 : प्रावधान – वर्तमान

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
बोनस	128.43	162.52
छुट्टी	521.30	373.27
ग्रेच्युटी	392.90	412.50
अन्य प्रावधान		
पूर्वानुमानित हानि	2,418.34	1,320.55
कुल	**3,460.97**	**2,268.84**

नोट 22ए : अन्य चालू देयताएं

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त अग्रिम राशि	89,223.02	73,661.00
वैधानिक दायित्व	27,520.26	26,094.85
कर्मचारी दायित्व	3,630.67	5,511.37
अन्य	221.73	152.15
कुल	**1,20,595.68**	**1,05,419.37**

नोट 23 : परिचालन से राजस्व

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) सेवाओं की बिक्री		
अंतर्देशीय – स्वीकृत/भुगतान/निपटान किए गए बिल	4,57,839.36	3,74,707.87
अनुबंध परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(58,167.97)	(43,897.11)
	3,99,671.39	**3,30,810.76**
ख) अन्य परिचालन राजस्व		
स्क्रैप की बिक्री	204.03	584.16
विविध आय	581.15	143.16
	785.18	727.32
कुल	**4,00,456.57**	**3,31,538.08**

नोट 24 : अन्य आय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय:		
बैंक जमा पर ब्याज	624.43	303.44
अन्य पर ब्याज	33.44	305.95
कर वापसी पर ब्याज	202.36	489.47
वित्तीय साधनों पर ब्याज	8.75	7.15
अन्य गैर-परिचालन आय:		
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (लाभ)	50.71	–
पीपीई की वस्तु की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	9.66	191.09
अन्य	42.47	–
कुल	**971.82**	**1,297.10**

नोट 25 : उपभोग की गई सामग्री की लागत

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	10,752.21	9,513.43
जोड़ें: खरीद	1,27,872.57	94,067.93
घटाएँ: वर्ष के अंत में इन्वेंटरी	10,552.23	10,752.21
कुल	**1,28,072.55**	**92,829.15**

नोट 25ए: उप–ठेका और अन्य निर्माण व्यय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
श्रम एवं उप–अनुबंध लागत	2,11,815.69	1,81,581.42
बिजली एवं ईंधन	2,821.75	3,559.24
किराया शुल्क	5,367.57	5,974.37
माल ढुलाई एवं हैंडलिंग शुल्क	183.22	183.48
कुल	**2,20,188.23**	**1,91,298.51**

नोट 26 : कर्मचारी लाभ व्यय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और भत्ते	19,945.96	22,040.64
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,450.72	1,647.64
ग्रेच्युटी फंड व्यय	243.61	237.99
स्टाफ कल्याण व्यय	739.31	749.26
कुल	**22,379.60**	**24,675.53**

नोट 27 : वित्तीय व्यय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
बैंक उधार	605.84	1,045.20
अन्य	4,795.89	2,774.52
अन्य बैंक शुल्क	2,416.63	2,313.36
कुल	**7,818.36**	**6,133.08**

नोट 28 : अन्य व्यय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव		
भवन	0.09	1.66
प्लांट और मशीनरी	360.36	355.84
अन्य	0.06	0.04
बीमा	269.88	310.93
दरें और कर	194.22	325.06
विज्ञापन	14.16	33.83
यात्रा व्यय	671.84	388.74
किराया	1,780.41	2,089.04
वाहन व्यय	1,431.84	1,810.15
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	166.92	175.05
विविध व्यय	3,784.23	1,900.45
कानूनी और पेशेवर शुल्क	257.75	113.64
निदेशक की बैठक फीस	2.45	2.65
परिवहन	885.65	997.75
डाक और टेलीफोन	50.48	77.71
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	14.08	12.13
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	17.00	99.22
अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	647.39	1,973.41
पूर्वानुमानित हानि	1,097.79	281.55
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	–	55.00
कुल	**11,646.60**	**11,003.85**

नोट 29 : आयकर व्यय

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्षों के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

क. लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर आयकर	3,353.61	2,070.78
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/(क्रेडिट)	(11.09)	22.58
कुल वर्तमान कर	**3,342.52**	**2,093.36**
स्थगित कर		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन से संबंधित स्थगित कर व्यय (आय)	(698.08)	(517.87)
कुल स्थगित कर	(698.08)	(517.87)
कुल आयकर व्यय/(लाभ) लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	**2,644.44**	**1,575.49**

ख. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उन मदों पर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	38.72	43.92
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल आयकर	**38.72**	**43.92**

ग. लेखांकन लाभ के साथ कर व्यय का समाधान:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर से पहले लाभ	10,135.97	5,665.45
आयकर व्यय की गणना @ 25.17	2,551.22	1,425.99
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य मूल्यह्रास के कारण शुद्ध समायोजन का प्रभाव	58.03	54.57
कर उद्देश्यों के लिए गैर-कर योग्य आय	(15.32)	(49.90)
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय	4.28	24.97
बीमांकिक आधार पर अवकाश नकदीकरण	121.67	15.11
अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	729.87	711.69
कर कानूनों के तहत अन्य स्वीकार्य व्यय	(96.14)	(111.65)
पिछले वर्षों से संबंधित कर व्यय	(11.09)	22.58
आस्थगित कर	(698.08)	(517.87)
आयकर व्यय लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	**2,644.44**	**1,575.49**

नोट 30 : खातों के लिए नोट

क. i) वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

नोट: 1 में उल्लिखित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू किया गया है।

कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानक और व्याख्याओं पर आधारित सिद्धांतों की मान्यता और माप का पालन किया है जो 31 मार्च, 2024 को प्रभावी हैं।

ii) अन्य व्यापक आय :

वास्तव में लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) और परिसंपत्ति अधिकतम सीमा के प्रभाव में कोई भी परिवर्तन (जहां भी लागू हो) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आई.एफ. आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य –

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
i) कच्चा माल 792.41 361.65		
ii) घटक और स्पेयर्स –		
	792.41	**361.65**

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
i) रॉयल्टी, जानकारी, पेशेवर और परामर्श शुल्क	–	–
ii) ब्याज	–	–
iii) अन्य	3.54	6.78
	3.54	**6.78**

घ. विदेशी मुद्रा में कमाई

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
i) निर्यात (विदेशी परियोजनाएं)		
	शून्य	**शून्य**

ङ. आयातित एवं स्वदेशी उपभोग का मूल्य

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्य	%	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्य	%
i) कच्चा माल खपत				
आयातित	792.41	0.62	361.65	0.39
स्वदेशी	1,25,045.98	97.64	88190.61	95.00
	1,25,838.39	**98.26**	**88,552.26**	**95.39**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्य	%	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्य	%
ii) घटक और स्पेयर पार्ट्स की खपत				
आयातित	–		–	
स्वदेशी	2234.16	1.74	4276.89	4.61
	1,28,072.55	**100.00**	**92829.15**	**100.00**

च. इन्वेंटरी में ₹ शून्य लाख का तृतीय पक्ष स्टॉक शामिल है (पिछले वर्ष – ₹ शून्य लाख)

छ. ऑडिटरों को भुगतान

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	2023–24	2022–23
लेखापरीक्षा शुल्क	8.00	8.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	2.00	2.00
प्रमाणन सेवा	4.08	2.13
कुल	**14.08**	**12.13**

ज. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(i) आकस्मिक देयताएं

- कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में बैंकों को दी गई ₹ 71,187.05 लाख की वित्तीय प्रति–गारंटी (पिछले वर्ष – ₹ 78,641.54 लाख)।
- कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में बैंकों को दी गई ₹ 1,34,906.11 लाख की गैर–वित्तीय प्रति–गारंटी (पिछले वर्ष – ₹ 1,06,802.34 लाख)।
- ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावों का सकल मूल्य ₹ 16,482.52 लाख है, जिसमें से अधिकारियों के पास जमा किए गए ₹ 1,587.89 लाख कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री कर, सेवा कर और आयकर के संबंध में ₹ 14,894.63 लाख की शुद्ध राशि है (पिछले वर्ष – ₹ 12,526.77 लाख)।
- विभिन्न एमएसएमई पक्षों और ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (वर्ष 2023–24 के लिए) के बीच कुल ₹ 3994.96 लाख की राशि के विवाद विभिन्न एमएसएमई सुविधा परिषदों के समक्ष लंबित हैं [पिछले वर्ष – ₹ 3,597.96 लाख]। कंपनी कुछ एमएसएमई पक्षों के साथ सौहार्दपूर्ण समझौते की प्रक्रिया में है और उसने विभिन्न एमएसएमई पक्षों या एमएसएमई सुविधा परिषदों से प्राप्त दावों को भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है, जिनकी कुल राशि ₹ 2059.00 लाख [पिछले वर्ष – ₹ 861.00 लाख] है।

(ii) अप्रयुक्त पूंजीगत व्यय के कारण प्रतिबद्धताएं ₹ शून्य लाख (जीएसटी सहित) हैं (पिछले वर्ष– ₹ 471.51 लाख)।

प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त मामलों के परिणामों का कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

झ. विधि मामला :

(i) एनएचएआई द्वारा कंपनी को दिए गए अनुबंध पैकेज संख्या एनएस–38–पीबी से संबंधित विवादों के मामले में, एनएचएआई के खिलाफ कंपनी के दावों और पक्षों के दावों पर दो अलग–अलग मध्यस्थ न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लिया गया और अधिकांश पुरस्कार कंपनी के पक्ष में थे। कंपनी ने एनएचएआई से अपने बकाए की वसूली के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रवर्तन याचिका दायर की थी। हालांकि, एनएचएआई ने फिर से डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की थी और दिसंबर, 2017 में पारित उनके आदेश और बाद के आदेशों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच ने ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को ₹ 120.02 करोड़ (जो कि एनएचएआई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जमा किया गया है) को चल रही न्यायिक कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन वापस लेने की अनुमति दी थी, जिसमें से कंपनी द्वारा वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के दौरान

क्रमशः ₹ 64.34 करोड़, ₹ 52.98 करोड़ और ₹ 2.70 करोड़ एनएचएआई से प्राप्त किए गए थे, जिसे आय नहीं माना जाता है क्योंकि मामला अभी भी विचाराधीन है।

(ii) कंपनी ने आईओसीएल की पानीपत रिफाइनरी में वर्ष 2003 और 2006 में दिए गए दस अलग-अलग अनुबंधों के निष्पादन से उत्पन्न आईओसीएल के साथ अपने विवादों को फरवरी, 2011 में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए), डीपीई के समक्ष प्रस्तुत किया। वर्ष 2012 में, प्रधान मध्यस्थ, पीएमए ने बैंक गारंटी जारी करने के आदेश के साथ-साथ पुरस्कार पारित किया। वर्तमान में पूरा विवाद माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय और एएमआरसीडी के समक्ष विचाराधीन है। इस मामले में शामिल हिस्सेदारी ₹ 36.00 करोड़ है।

(iii) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड और सीमा शुल्क विभाग के बीच विवाद का मामला आयुक्त (सीमा शुल्क) अपील के समक्ष रखा गया है, जिसमें ₹ 13.00 करोड़ की राशि के ब्याज सहित दावा किया गया है, और मामला सीसीए के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

(iv) देवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के बीच विवाद के मामले में कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने देवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा उठाए गए अधिकांश दावों को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी और मामला लंबित है। वर्तमान में यह

ञ. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	2023-24	2022-23
(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में सूक्ष्म एवं लघु के अंतर्गत किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूल राशि।	9,973.06	11,358.98
(ii) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया ब्याज।	926.79	833.53
(iii) धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता को नियत दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि के साथ।	-	-
(iv) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की कुल राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन एमएसएमई अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
(v) आगे के वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यमों को कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए भुगतान नहीं कर दी जाती।	-	-

नोट: कुल बकाया राशि ₹ 9973.06 लाख (पिछले वर्ष- ₹ 11358.98 लाख) में से, कार्य अनुबंध के निष्पादन के लिए एमएसएमई विक्रेता को देय राशि ₹ 6460.87 लाख (पिछले वर्ष- ₹ 4090.27 लाख) है।

ट. 31-03-2024 तक व्यापार प्राप्य और अनुबंध प्राप्य अवधि अनुसूची।

(आंकड़े लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	1,12,042.99	1,454.45	11,412.93	1,008.36	1719.26	1,27,637.99
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट खराब	–	–	–	–	–	–
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	–	–	–	–	–	–
(v)	विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट खराब	–	–	–	–	–	–
	घटाएँ: अपेक्षित क्रेडिट हानि समायोजन	–	–	–	–	–	-1508.65
	कुल	**1,12,042.99**	**1,454.45**	**11,412.93**	**1,008.36**	**1,719.26**	**1,26,129.34**

31-03-2023 तक व्यापार प्राप्य और अनुबंध प्राप्य अवधि अनुसूची

(आंकड़े लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	1,01,747.04	2,099.67	2,150.74	59.28	3784.81	1,09,841.54
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट खराब	–	–	–	–	–	–
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	–	–	–	–	–	–
(v)	विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट खराब	–	–	–	–	–	–
	घटाएँ: अपेक्षित क्रेडिट हानि समायोजन	–	–	–	–	–	-2,208.49
	कुल	**1,01,747.04**	**2,099.67**	**2,150.74**	**59.28**	**3,784.81**	**1,07,633.05**

ठ. 31-03-2024 तक व्यापार भुगतान योग्य अवधि निर्धारण अनुसूची (आंकड़े लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		अभी तक नहीं	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	-	5,316.58	1,459.82	1,554.17	865.79	9,196.36
(ii)	अन्य	43,801.18	7,551.80	51,889.13	4,190.15	63,487.77	1,70,920.03
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमई	-	776.70	-	-	-	776.70
(iv)	विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-
	कुल	**3,801.18**	**13,645.08**	**53,348.95**	**5,744.32**	**64,353.56**	**1,80,893.09**

31-03-2023 तक ट्रेड पेएबल्स एजिंग शेड्यूल (Figures in ₹ Lakh)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		अभी तक नहीं	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	-	7,000.75	130.54	574.30	55.43	7,761.02
(ii)	अन्य	-	1,89,463.32	3,120.58	2,188.93	2,524.00	1,97,296.83
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमई	-	2,358.86	1,239.10	-	-	3,597.96
(iv)	विवादित बकाया - अन्य		-	-	-	-	-
	कुल	**0.00**	**1,98,822.93**	**4,490.22**	**2,763.23**	**2,579.43**	**2,08,655.81**

ण. कंपनी के पास फैब्रिकेशन सहित निर्माण का एकल खंड है। इसमें ग्राहकों से प्राप्त आदेशों के अनुसार निष्पादित सिविल और मैकेनिकल निर्माण और संरचनात्मक निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं। इसलिए, भारतीय लेखा मानक 108 में परिभाषित खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

त. सीएसआर व्यय

(i)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि	64.18	60.75
व्यय की गई राशि	64.18	99.22
वर्ष के अंत में कमी	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों की कमी का योग	शून्य	शून्य
उपरोक्त कमी का कारण	एन/ए	एन/ए

(ii) वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय की गई राशि:

विवरण	31 मार्च, 2024			31 मार्च, 2023		
	भुगतान किया गया	प्रावधान	कुल	भुगतान किया गया	प्रावधान	कुल
क) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
ख) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	64.18	-	64.18	99.22	-	99.22
कुल	**64.18**	**-**	**64.18**	**99.22**	**-**	**99.22**

नोट: कंपनी द्वारा किए गए उपरोक्त सीएसआर व्यय में से, पिछले वर्षों से किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि ₹ 47.18 लाख (पिछले वर्ष के लिए आगे की राशि शून्य है) को आगे बढ़ाया गया है, तथा ₹ 9.86 लाख आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध है।

(iii) कंपनी ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के संबंध में अपनी सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया है

(iv) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ (पिछले वर्ष शून्य)

थ. प्रति शेयर आय :

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
शुद्ध लाभ (पीएटी)		7,491.53	4,089.96
शेयरों की संख्या		5,49,87,155	5,49,87,155
प्रति शेयर अंकित मूल्य	(₹)	10	10
बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस	(₹)	13.62	7.44

द. पुष्टि के लिए पक्षों से उत्तर न मिलने पर, प्राप्य और देय शेष राशि को लेखा पुस्तकों के अनुसार लिया जाता है।

ध. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण

अ) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व का पृथक्करण:

ब्रिज एण्ड रूफ के पास वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला है जो मूल रूप से समान हैं और एक ही तरीके से हस्तांतरित की जाती हैं, इसलिए एक एकल प्रदर्शन दायित्व की पहचान की जाती है और ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व का शून्य पृथक्करण रिपोर्ट किया जाता है।

आ) अनुबंध शेष

निम्नलिखित तालिका अनुबंधों से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(अ) अनुबंध परिसंपत्तियाँ	(नोट–11 देखें)		
अनुबंध प्रगति पर है जिसके लिए निर्माण अनुबंध पर ग्राहकों से राशि बकाया है लेकिन बिल अभी तक जारी नहीं किया गया है		86,954.86	1,28,555.11
घटाएँ: अपेक्षित क्रेडिट हानि		–1,561.41	–383.00
		85,393.45	**1,28,172.11**
(आ) अनुबंध देयताएँ			
i) ग्राहकों से अग्रिम	(नोट–22ए देखें)	89,223.02	73,661.00
ii) अनुबंध के विरुद्ध जमा	(नोट–21 देखें)	2989.69	7116.37
		92,212.71	**80,777.37**

इ) अनुबंध परिसंपत्तियाँ मुख्य रूप से कंपनी के उस कार्य के लिए प्रतिफल के अधिकारों से संबंधित हैं जो पूरा हो चुका है लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं किया गया है। 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों की राशि शून्य के हानि प्रभार से प्रभावित हुई। अनुबंध देयताएँ मुख्य रूप से निर्माण के लिए ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित हैं जिसके लिए समय के साथ राजस्व की पहचान की जाती है।

ई) वर्ष के दौरान अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देयताओं के शेष में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(अ) अनुबंध परिसंपत्तियाँ		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में	1,28,172.11	1,76,757.59
लागत व्यय और प्रगति बिलिंग का शुद्ध प्रगतिशील अनुबंधों के लिए	3,58,071.14	2,82,608.28
अनुबंध प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त	-3,99,671.39	-3,30,810.76
अपेक्षित ऋण हानि के कारण परिवर्तन	-1178.41	-383.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	**85,393.45**	**1,28,172.11**

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(आ) अनुबंध देयताएँ:		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में	80,777.37	76,947.01
अवधि के दौरान अनुबंध देयताओं में परिवर्तन	11,435.34	3,830.36
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	92,212.71	80,777.37

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(इ) i) निम्न तालिका अपेक्षित ऋण हानि की गति को दर्शाती है		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में	3,314.85	1341.44
अवधि के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान	647.40	1973.41
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	3,962.25	3,314.85

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(ई) ii) निम्नलिखित तालिका पूर्वानुमानित हानि की गति को दर्शाती है		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में	1,320.55	1,039.00
अवधि के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान (रिवर्सल के बाद शुद्ध)	1097.79	281.55
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	2,418.34	1,320.55

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
उ) निम्नलिखित तालिका में भविष्य में प्रदर्शन दायित्वों से संबंधित मान्यता प्राप्त राजस्व शामिल है जो 31 मार्च 2024 तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) हैं:		
अनुबंध राजस्व	**13,24,925.11**	**17,50,000.00**

ऊ) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व का समाधान:

निम्न तालिका 31 मार्च, 2024 तक मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समाधान का खुलासा करती है

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
मान्यता प्राप्त राजस्व का अनुबंध मूल्य	4,00,456.57	3,31,538.08
अन्य स्रोत से मान्यता प्राप्त राजस्व (अन्य आय)	971.82	1,297.10
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	**4,01,428.39**	**3,32,835.18**

न. "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" पर भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

1 श्री राजेश कुमार सिंह को 08-10-2021 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार दिया गया।

2 श्री रवि कुमार को 15.04.2023 से निदेशक (परियोजना प्रबंधन) का प्रभार दिया गया।

3 श्री नव रत्न गुप्ता को 20.04.2023 से निदेशक (वित्त) का प्रभार दिया गया।

4 श्रीमती राखी कर, कंपनी सचिव 01-04-2014 से।

मुख्य प्रबंधन कार्मिक मुआवजे में निम्नलिखित शामिल हैं

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	2023-24	2022-23
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	176.84	152.93
रोजगार के बाद लाभ	24.78	10.08
अन्य दीर्घावधि लाभ	14.60	6.89
सेवा समाप्ति लाभ	–	–
शेयर आधारित भुगतान	–	–

प. "कर्मचारी लाभ" पर भारतीय लेखा मानक 19 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण:

लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध कर्मचारी लाभ व्यय:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
वर्तमान सेवा लागत	209.35	324.37	219.71	307.08
लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	468.42	384.59	447.48	379.52
निवेश आय	(438.72)	शून्य	(429.20)	शून्य
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	(16.23)	शून्य	(39.38)	शून्य
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	170.08	1,205.42	213.88	793.03
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध लाभ व्यय	**392.90**	**1,914.38**	**412.49**	**1,479.63**

परिभाषित लाभ दायित्व का विवरण :

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
परिभाषित लाभ दायित्व	6,794.02	5,824.88	6,505.84	5,341.48
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,401.12	–	6,093.35	–
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	392.90	5,824.88	412.49	5,341.48
घटाएँ: गैर मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत	–	–	–	–
योजना परिसंपत्ति/(देयता)	**(392.90)**	**(5824.88)**	**(412.49)**	**(5341.48)**

परिभाषित लाभ योजना के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	6505.84	5341.48	6215.07	5,271.17
ब्याज लागत	468.42	384.59	447.48	379.52
वर्तमान सेवा लागत और पिछली सेवा लागत	209.35	324.37	219.71	307.08
भुगतान किए गए लाभ	(559.67)	(1430.98)	(591.56)	(1419.59)
दायित्व पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	170.08	1205.42	213.88	793.03
अन्य कंपनियों से देयता का हस्तांतरण	शून्य	शून्य	1.26	10.27
विनिमय दर भिन्नता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बंद परिभाषित लाभ दायित्व	6794.02	5824.88	6505.84	5341.48

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
योजना परिसंपत्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	6,093.35	शून्य	5,961.06	शून्य
निवेश आय	438.72	शून्य	429.20	शून्य
नियोक्ता द्वारा अंशदान	412.49	शून्य	254.02	शून्य
भुगतान किए गए लाभ	(559.67)	शून्य	(591.56)	शून्य
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, शुद्ध ब्याज व्यय में मान्यता प्राप्त राशि को छोड़कर	16.23	शून्य	39.38	शून्य
अन्य कंपनियों से परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	शून्य	शून्य	1.26	शून्य
विनिमय दर में परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजना परिसंपत्तियों का समापन उचित मूल्य	**6401.13**	**शून्य**	**6093.35**	**शून्य**

बीमांकिक मान्यताएं

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
छूट दर (%)	7.00%	7.00%	7.20%	7.20%
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ	7.20%	शून्य	6.60%	शून्य

वर्तमान एवं पिछली अवधि की राशियाँ इस प्रकार हैं: (आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
परिभाषित लाभ दायित्व	6,794.02	5824.88	6,505.84	5,341.48
योजना परिसंपत्तियां	6,401.12	शून्य	6,093.35	शून्य
अधिशेष/(घाटा)	(392.90)	(5824.88)	(412.49)	(5341.48)
व्यय(लाभ)/हानि समायोजन	–	1205.42	0	793.03
योजना देनदारियों पर				
योजना परिसंपत्तियों पर व्यय(लाभ)/हानि समायोजन	**392.90**	**शून्य**	**412.49**	**शून्य**

फ. प्रस्तावित लाभांश

निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कर पश्चात लाभ (जहां भी लागू हो, टीडीएस के अधीन) यानी (लगभग) ₹ 4.09 प्रति इक्विटी शेयर ₹ 10 की दर से लाभांश की सिफारिश की है। यह इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

ब. पूंजी प्रबंधन

i. पूंजी का प्रबंधन करते समय, कंपनी का उद्देश्य एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता की रक्षा करना है, ताकि यह शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सके।

ii. कंपनी की पूंजी संरचना में इक्विटी शेयर पूंजी और प्रतिधारित आय शामिल है।

iii. प्रबंधन पूंजी पर रिटर्न की निगरानी करता है, जिसे कंपनी कुल शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित परिचालन गतिविधियों के परिणाम के रूप में परिभाषित करती है। इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश बोर्ड मीटिंग में घोषित किया जाता है और एजीएम द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

भ. वित्तीय साधन और जोखिम कारक

i. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य:

कंपनी जोखिमों की डिग्री और परिमाण के आधार पर जोखिमों का विश्लेषण करके कंपनी के संचालन से संबंधित प्रमुख वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करती है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं।

ii. बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम संभावित बाजार मूल्य आंदोलनों और किसी व्यवसाय के भविष्य के प्रदर्शन पर उनके प्रभाव से उत्पन्न होने वाला जोखिम या अनिश्चितता है। बाजार जोखिम का प्रमुख घटक ब्याज दर जोखिम है।

iii. विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

मुद्रा	देयताएं		वर्तमान में परिसंपत्तियां	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
कुवैती दिनार	7,45,637.17	7,45,637.17	–	593.516

निम्न तालिका विदेशी मुद्रा के लिए प्रासंगिक INR में 5% की वृद्धि या कमी का विवरण देती है। 5% वह संवेदनशीलता दर है जिसका उपयोग प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को आंतरिक रूप से विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्ट करते समय किया जाता है और यह विदेशी मुद्रा दर में उचित रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के मौद्रिक वस्तुएँ शामिल हैं और विदेशी मुद्रा दर में 5% परिवर्तन के लिए अवधि के अंत में इन लेनदेन को समायोजित किया जाता है।

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	इस प्रकार समाप्त वर्ष के लिए	
	31.03.2024	31.03.2023
वर्ष के लिए लाभ और हानि पर प्रभाव:		
विदेशी मुद्रा दर में 5% की वृद्धि के साथ	-98.04	-402.64
विदेशी मुद्रा दर में 5% की कमी के साथ	98.04	402.64

iv. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन:

कंपनी ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि कंपनी फ्लोटिंग ब्याज दर पर फंड उधार लेती है। यदि ब्याज दर 50 आधार अंक अधिक/कम होती और अन्य सभी चर स्थिर रखे जाते, तो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ ₹ 21.32 लाख घटता/बढ़ता। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 57.88 लाख।

v. क्रेडिट जोखिम:

क्रेडिट जोखिम प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और अन्य प्राप्य से है, जो क्रमशः 31 मार्च, 2024 तक ₹ 1,27,637.99 लाख और 31 मार्च, 2023 तक ₹ 1,09,841.54 लाख है। प्राप्तियां आम तौर पर असुरक्षित होते हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं जो मुख्य रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को बिक्री से बकाया होते हैं, जिनके डिफ़ॉल्ट का जोखिम अतीत में बहुत कम रहा है। अन्य प्राप्य के मामले में, ग्राहकों की ऋण पात्रता, पुनर्भुगतान की क्षमता और उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की निरंतर निगरानी के आधार पर ऋण जोखिम का प्रबंधन किया गया है। वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता ₹699.84 लाख वापस कर दिया गया है।

vi. तरलता जोखिम प्रबंधन:

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें नकद वितरित करके निपटाया जाता है। इसके प्रबंधन में कंपनी का दृष्टिकोण, जहाँ तक संभव हो, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों में, अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करना है।

कंपनी के तरलता के मुख्य स्रोत नकदी और नकद समकक्ष, बैंकों के साथ शेष राशि, परिचालन से उत्पन्न नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी सुविधाएँ हैं। कंपनी का मानना है कि कार्यशील पूंजी अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, कोई तरलता जोखिम नहीं माना जाता है।

vii. वित्तीय व्यवस्था:

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित अप्रयुक्त उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	इस प्रकार समाप्त वर्ष के लिए	
	31.03.2024	31.03.2023
एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली:		
निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा	9,928.83	21,419.07
कुल	**9,928.83**	**21,419.07**

कंपनी द्वारा किसी भी समय फंड आधारित कार्यशील पूंजी सीमा सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं

म. उचित मूल्य माप

i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2023 तक		
	एफवीओसीआई	एफवीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	एफवीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
व्यापार प्राप्य	–	–	1,26,129.34	–	–	1,07,633.05
नकद और नकद समतुल्य	–	–	14,934.78	–	–	5,716.29
अन्य बैंक शेष	–	–	25,048.70	–	–	6,382.99
सुरक्षा और अन्य जमा	–	–	96,218.38	–	–	81,132.43
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**–**	**–**	**2,62,331.20**	**–**	**–**	**2,00,864.76**
वित्तीय देयताएँ						
उधार	–	–	15,071.17	–	–	1,080.93
व्यापार देय	–	–	1,80,893.09	–	–	2,08,655.81
लीज़ देयताएँ	–	–	550.20	–	–	194.52
अदावाकृत लाभांश	–	–	0.14	–	–	0.12
सुरक्षा और अन्य जमा	–	–	36,048.94	–	–	34,418.69
पूंजीगत व्यय के लिए देयता	–	–	11.53	–	–	–
अन्य देय	–	–	437.17	–	–	58.08
कुल वित्तीय देयताएँ	**–**	**–**	**2,33,012.24**	**–**	**–**	**2,44,408.15**

ii) उचित मूल्य पदानुक्रम

उचित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन तकनीकों के इनपुट पर आधारित है जिसका उपयोग उचित मूल्य को मापने के लिए किया जाता है जो या तो अवलोकनीय या अवलोकनीय होते हैं और इसमें तीन स्तर होते हैं अर्थात स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 जैसा कि प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानक के तहत निर्धारित किया गया है।

यह खंड वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है, जिन्हें (क) उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और मापा जाता है तथा (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है।

कंपनी ने वित्तीय साधनों जैसे कि व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं, जमा, उधार, अन्य प्राप्य और देयताएं आदि के लिए उचित मूल्य पदानुक्रम का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि परिशोधित लागत और वहन मूल्य पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं उनके संबंधित उचित मूल्य का अनुमान है।

य लीज़

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 "लीज" को अपनाया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए सभी लागू लीज अनुबंधों पर मानक लागू किया, जिसमें प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर लीज देयता को मान्यता दी गई, अनुमानित वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी गई और लीज देयता के बराबर राशि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता दी गई, जिसे प्रारंभिक आवेदन की तिथि से ठीक पहले बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त उस लीज से संबंधित किसी भी प्रीपेड या अर्जित लीज भुगतान की राशि से समायोजित किया गया। 1 अप्रैल 2023 तक लीज देनदारियों और वर्ष के दौरान परिवर्धन पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 9.30% प्रति वर्ष है।

भारतीय लेखा मानक 116, "लीज" को अपनाने पर, पहले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए, कंपनी ने संक्रमण से ठीक पहले लीज परिसंपत्तियों की वहन राशि को प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की वहन राशि के रूप में मान्यता दी। भारतीय लेखा मानक 116, "लीज" के मापन सिद्धांत केवल उस तिथि के बाद ही लागू होते हैं। प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर भारतीय लेखा

मानक 116 के अनुसार कंपनी के पास कोई लीज देयता नहीं है।

परिचालन पट्टों के संबंध में व्यय की प्रकृति पट्टा किराये से बदलकर उपयोग अधिकार परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास तथा पट्टा देयता पर उपार्जित ब्याज के लिए वित्त लागत में बदल गई थी।

भारतीय लेखा मानक 116 के परिणामस्वरूप परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह में वृद्धि हुई है तथा पट्टे के भुगतान के कारण वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी बहिर्वाह में वृद्धि हुई है।

प्रारंभिक आवेदन पर चुने गए व्यावहारिक उपायों का सारांश निम्नलिखित है:

(अ) समान आर्थिक परिवेश में समान समाप्ति तिथि के साथ समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की गई

(आ) 01/04/2023 और 31/03/2024 तक कोई कठिन अनुबंध नहीं थे

(इ) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर कम मूल्य या/और 12 महीने से कम पट्टे अवधि वाले पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता न देने की छूट लागू की गई

(ई) प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को बाहर रखा गया।

(उ) पट्टे की अवधि निर्धारित करने में पूर्वदृष्टि का उपयोग करना, जहां अनुबंध में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं।

लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

लाभ–हानि विवरण में पट्टों से संबंधित निम्नलिखित राशि दर्शाई गई है:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2023
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास शुल्क		
भूमि पट्टे	1.54	–
भवन पट्टे	328.67	357.86
ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	75.27	50.55
अल्पकालिक पट्टों/कम मूल्य वाली संपत्तियों से संबंधित व्यय (अन्य व्यय में शामिल)	1,780.41	2,089.04
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह	364.85	399.65

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं: (आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	आरओयू परिसंपत्ति की श्रेणी		
	भूमि पट्टे	इमारत	कुल
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	–	274.46	274.46
जोड़	–	191.68	191.68
वर्ष के दौरान पुनर्समूहन	13.86	8.58	22.44
मूल्यह्रास	–	(357.86)	(357.86)
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	13.86	116.86	130.72
जोड़	–	321.71	321.71
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	–	430.29	430.29
मूल्यह्रास	(0.60)	(329.61)	(330.21)
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	13.26	539.25	552.51

आरओयू परिसंपत्तियों पर कुल मूल्यह्रास व्यय को लाभ और हानि विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

वर्तमान और गैर–वर्तमान पट्टा देयताओं का विवरण निम्नलिखित है:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान पट्टा देयताएँ	320.48	27.83
गैर–वर्तमान पट्टा देयताएँ	229.72	166.69
कुल	**550.20**	**194.52**

पट्टा देयता के वर्तमान भाग में पट्टा देयता पर ब्याज घटक शामिल नहीं है।

पट्टा देयताओं में निम्नलिखित गतिविधियां हैं:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक शेष	194.52	351.94
अतिरिक्त/समायोजन	908.04	191.68
कटौतियाँ	(262.78)	–
वर्ष के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	75.27	50.55
लीज़ देनदारियों का भुगतान	(364.85)	(399.65)
अंतिम शेष	**550.20**	**194.52**

नीचे दी गई तालिका में बिना छूट के आधार पर पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण दिया गया है:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एक वर्ष से कम	365.24	371.37
एक से पांच वर्ष	624.19	268.34
पांच वर्ष से अधिक	15.53	–
कुल	**1,004.96**	**639.71**

कंपनी को अपनी पट्टा देयताओं के संबंध में महत्वपूर्ण तरलता जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि चालू परिसंपत्तियां पट्टा देयताओं से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

कंपनी एक पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने कोई गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टा नहीं किया है।

र. प्रमुख विश्लेषणात्मक अनुपात

अनुपात	अंश	भाजक	वर्तमान अवधि	पिछला अवधि	विचरण (% में)	भिन्नता का कारण
(अ) वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.15	1.16	–0.86	
(आ) ऋण–इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.32	0.03	966.67	कारोबार में वृद्धि और विभिन्न नई परियोजनाओं के जुटने के कारण कार्यशील पूंजी का उपयोग बढ़ा।

अनुपात	अंश	भाजक	वर्तमान अवधि	पिछला अवधि	विचरण (% में)	भिन्नता का कारण
(इ) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	2.86	2.47	15.79	
(ई) इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	पीएटी	औसत शेयरधारक इक्विटी	16.29%	9.92%	64.21	राजस्व वृद्धि और लागत में कमी के परिणामस्वरूप अनुपात में सुधार हुआ है
(उ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री	औसत इन्वेंट्री	37.58	32.7	14.92	
(ऊ) व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	बिक्री	औसत प्राप्य खाते	3.43	4.5	-23.78	प्राप्य राशि का समय पर भुगतान अनुपात को कम करता है
(ऋ) व्यापार देयता कारोबार अनुपात	खरीदारी	औसत व्यापार देयताएं	1.79	1.49	20.13	
(ए) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	7.80%	6.14%	27.04	राजस्व वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुपात में सुधार हुआ है
(ऐ) शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	1.87%	1.23%	52.03	राजस्व वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुपात में सुधार हुआ है
(ओ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ईबीआईटी	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	27.44%	25.59%	7.23	
(औ) निवेश पर प्रतिफल	निवेशित निधियों से उत्पन्न आय	औसत निवेश	लागू नही	लागू नही		

ल. चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधार:

कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान बैंकों से कुल मिलाकर ₹ 2500 करोड़ की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न/विवरण कंपनी की खाता बहियों के अनुरूप हैं।

व. अन्य वैधानिक जानकारी:

i) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा समझौते विधिवत निष्पादित किए गए हैं जिनके स्वामित्व के दस्तावेज कंपनी के नाम पर नहीं हैं और ऐसी कोई अचल संपत्ति नहीं है जो दूसरों के साथ संयुक्त रूप से रखी गई हो)।

ii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

iii) कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

iv) कंपनी के पास कोई भी शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से परे कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया जाना है।

v) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

vi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विलफुल डिफॉल्टर्स संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

vii) कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

viii) कंपनी ने 31–03–2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

ix) कंपनी के पास 31–03–2024 तक कोई पूंजी–कार्य–प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) नहीं है।

x) कंपनी के पास कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य में मापी गई कोई निवेश संपत्ति नहीं है।

xi) कंपनी के पास किसी भी शेयर का स्वामित्व या उसमें कोई हित नहीं है या किसी अन्य संगठन में स्वामित्व हित नहीं है।

xii) कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे बैलेंस शीट तिथि पर लिया गया था।

श. कुछ मामलों में व्यापार प्राप्य, अनुबंध प्राप्य, अग्रिम, जमा और व्यापार देय जिनके लिए पार्टियों से पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, वे ऐसी पुष्टि के निर्धारण/प्राप्ति पर सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण में बताए गए मूल्य खातों की पुस्तकों में बताए गए मूल्य के बराबर वसूली योग्य/देय हैं।

ष. व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए आयु विवरण मैन्युअल रूप से किए जाते हैं क्योंकि यह लेखांकन सॉफ्टवेयर से उपलब्ध नहीं है।

स. कंपनी ने अपने खाता बही के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें डाटाबेस स्तर को छोड़कर ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा है।

ह. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17–02–2016 को आयोजित अपनी बैठक में रणनीतिक विनिवेश के लिए तंत्र को मंजूरी दी थी। सीसीईए ने 27 अक्टूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के 14 अक्टूबर, 2016 के सीसीईए नोट संख्या 3/14/2016–डीआईपीएएम–II–बी और 18 अक्टूबर, 2016 के अनुपूरक नोट पर विचार किया और कंपनी के संबंध में रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी। इस संबंध में, डीआईपीएएम ने कंपनी के रणनीतिक विनिवेश के लिए लेनदेन सलाहकार और कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। भारी उद्योग विभाग द्वारा परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की गई थी। आज तक, विनिवेश पर विभाग द्वारा कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया है और खातों की तैयारी के समय चालू चिंता की अवधारणा का पालन किया जाता है।

कक. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, क्लाइंट ने विक्रेताओं के बकाए का निपटान करने के लिए ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ₹ 5413.86 लाख की परफॉरमेंस बैंक गारंटी का आह्वान किया है। क्लाइंट ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विक्रेताओं के बकाए की ₹ 3,054.36 लाख की राशि का निपटान किया है और विक्रेता के बकाए का निपटान करने के बाद गारंटी की शेष राशि ₹ 2,359.50 लाख को रोक कर रखा गया है। क्लाइंट ने पुष्टि की है कि राशि कंपनी को जारी कर दी जाएगी और तदनुसार क्लाइंट द्वारा रखी गई जमा राशि के तहत दिखाई जाएगी। क्लाइंट और कंपनी के बीच चर्चा के बाद वर्तमान विकास के परिणामस्वरूप, 8 कार्य आदेश में से क्लाइंट ने 3 कार्य के लिए ₹ 1610.14 लाख की अपनी देनदारी को स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है हालाँकि रूढ़िवादिता के सिद्धांत पर विचार करते हुए कंपनी ने 749.36 लाख रुपये प्रदान किए हैं, जो कि बैंक गारंटी आमंत्रण आय के मूल्य और दावों की ग्राहक पावती के बीच के अंतर का कुल योग है।

कख. डिपॉजिटरी अनुबंधों से प्राप्त ₹ 24,894.54 लाख (पिछले वर्ष ₹ 21,445.87 लाख) की अनुबंध संपत्ति को उन अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त जमाराशि के शुद्ध रूप में दिखाया गया है। शुद्ध शेष राशि को 'अन्य चालू देनदारियों' के भाग के रूप में दिखाया गया है। गैर डिपॉजिटरी कार्यों से संबंधित अनुबंध संपत्ति की राशि ₹ 86,954.86 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,28,555.11 लाख) अनुबंध संपत्ति के रूप में दिखाई गई है (नोट संख्या 11)

कग. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

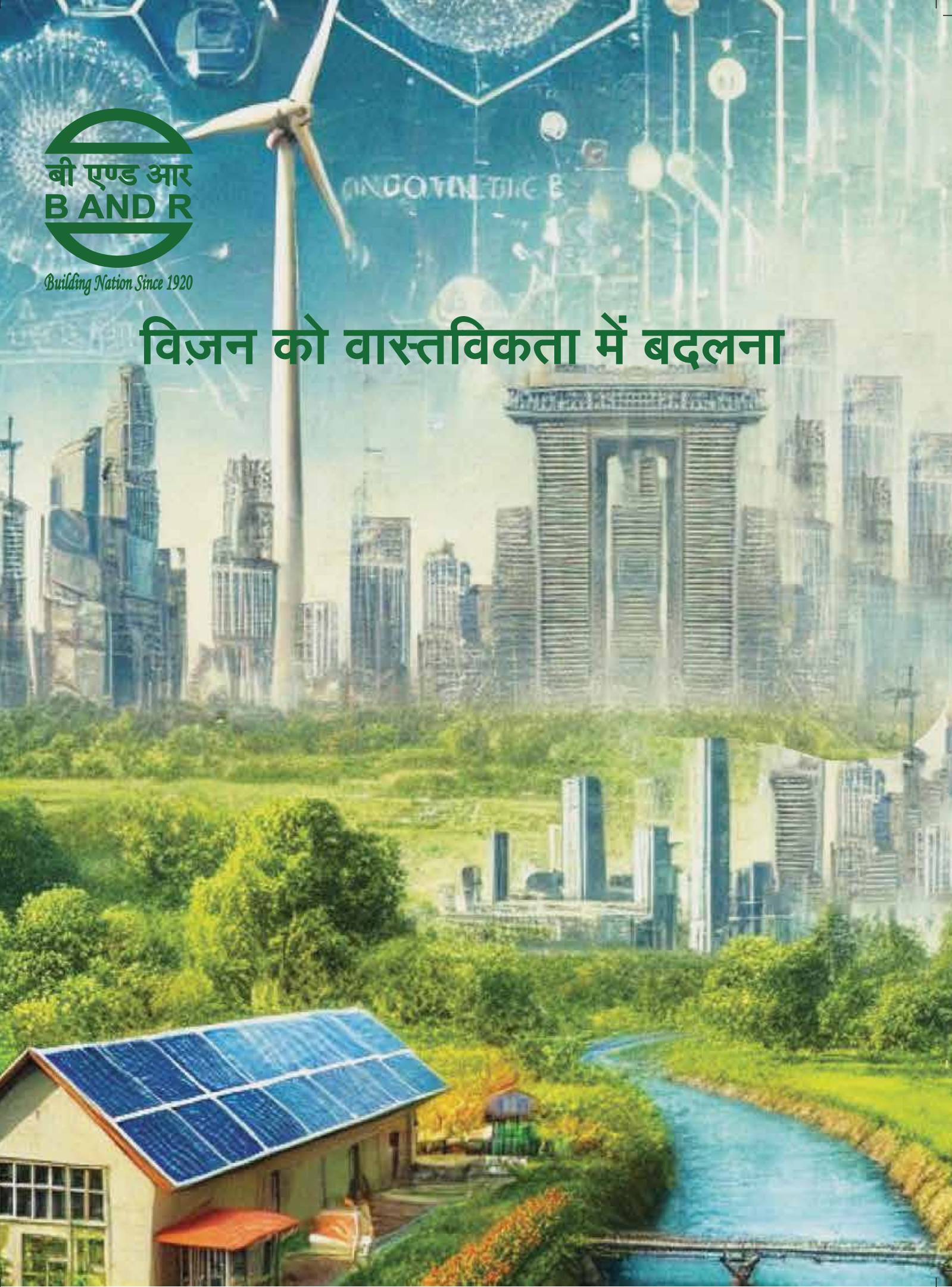
बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920
विज़न को वास्तविकता में बदलना

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023 - 2024

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
पांचवी मंजिल, कंकडिया सेंटर
2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता – 700 071

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED
(A Government of India Enterprise)
5th Floor, Kankaria Centre,
2/1, Russel Street, Kolkata - 700071

सीआइएन नं॰ / CIN No. U27310WB1920GOI003601

+91(33)2217-2108 Email: bridge@bridgeroof.co.in bridgeroof.co.in

bandr1920 @bridgenroof /bridgenroof /bridge-and-roof @bridgeroofco.iltd.289